लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अक १३ –गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा

गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्रमिकों के निवास के लिये क्वाटर

*१३५. **श्री एस० एन० दास**: क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निर्माण कार्यों में नियुक्त श्रमिकों के निवास के लिये क्वाटर बनाने की योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति, यदि कोई, की गई है ; और

(ख) योजना की ओर अब तक बनाये गये कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख). दिल्ली में निर्माण कार्यों में नियुक्त श्रमिकों के निवास के लिये क्वार्टर देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जिन्हें दिल्ली में रहने के लिये कोई स्थान नहीं है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: वह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता है । मुझे उस के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि जो योजना तैयार की जा रही है उस का अनुमानित व्यय कितना है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: वह अभी तैयारी की स्थिति में है ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या तैयार की जाने वाली योजना में उन श्रमिकों को भी सम्मिलित किया जायेगा जो सीधे सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किये गये हैं वरन् जो यहां ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किये गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह: नहीं, वे इस योजना में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे ।

भारत पाकिस्तान चल सम्पत्ति करार

*१३८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डो-पाकिस्तान चल सम्पत्ति करार, १९५० के अनिश्चित पदों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ कोई निर्णयात्मक समझौता हुआ है ;

(ख) प्रत्येक देश में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक पक्ष के क्या दावे हैं ; और

(ग) अनिश्चित पदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दल के बकाया के बारे में कोई निर्णयात्मक समझौता होने की क्या संभावना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) नहीं ।

(ख) पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के बारे में कोई दावे नहीं मांगे गये हैं । जहां तक भारत सरकार को ज्ञान है, पाकिस्तान सरकार द्वारा भी ऐसे कोई दावे नहीं मांगे गये हैं ।

(ग) अग्रेत्तर चर्चा के लिये सितम्बर, १९५३ में पाकिस्तान सरकार को भेजे गये हमारे निमंत्रण के उत्तर पर यह निर्भर होगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि चल सम्पत्ति के निबटारे के सम्बन्ध में, पाकिस्तान हमारे द्वारा हाल ही में पारित किये गये अधिनियम का बहाना बना रहा है और निबटारे को स्थगित कर रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं उस की सूचना चाहूंगा ।

नन्दीकोन्डा योजना

***१३९. श्री रघुरामैय्या** : क्या **योजना** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना में नन्दीकोन्डा योजना को सम्मिलित करने के विषय में कोई निश्चिय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). नन्दीकोंडा योजना सम्बन्धी प्रविधिक समिति का प्रतिवेदन १५ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न डी० संख्या २२ के उत्तर में सभा पटल पर रखा गया था । प्रतिवेदन आंध्र तथा हैदराबाद सरकारों को टिप्पणियों के लिये निर्देश किया गया था । हैदराबाद सरकार प्रविधिक समिति के निर्णयों से साधारणतया सहमत है । आंध्र सरकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है । उनके प्राप्त होते ही, कोई निश्चय किया जायेगा ।

श्री रघुरामैय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रतिवेदन आंध्र सरकार के पास टिप्पणियों के लिये कब भेजा गया था ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : अक्टूबर के मध्य में ।

श्री रघुरामैय्या : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि उसे प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करना है, और काफी समय पहले ही बीत चुका है, मैं जान सकता हूं कि क्या आंध्र सरकार को इस के अविलम्बनीय महत्त्व की याद दिलायी गयी है, और यदि हां, तो उत्तर की कब आशा है, और कब तक कोई निश्चय किया जाने को है ?

श्री नन्दा : जैसा कि उत्तर में पहले ही बनाया जा चुका है, इस से सम्बन्धित एक सरकार ने अपनी सम्मति बता दी है । दूसरी सरकार समय पर उत्तर दे सकने की स्थिति में नहीं थी । अब हम इस विषय में शीघ्रता कर रहे हैं और यथा संभव शीघ्र ही कोई निश्चय किया जायेगा ।

श्री रघुरामैय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या कोई समय सीमा निश्चित की जाने को है जिस से कि सारे विषय को बहुत शीघ्र समाप्त किया जाये ?

श्री नन्दा : हम अपने लिये कोई समय सीमा रख सकते हैं, किन्तु उसे हम किसी और पर लाद नहीं सकते हैं ।

श्री लंका सुन्दरम् : क्या माननीय मंत्री से मुझे यह आश्वासन मिल सकता है कि आंध्र में हुए वर्तमान संवैधानिक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार राज्यपाल से सम्पर्क स्थापित करेगी और इस बात का ध्यान रखेगी कि इस विषय में शीघ्र ही कोई निश्चय किये जायें ।

श्री नन्दा : यह किया जा रहा है ।

कोयला खनन उद्योग का मशीनीकरण

*१४१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार निकट भविष्य में भारत में कोयला खनन उद्योग के मशीनीकरण की कोई योजना चालू करने की प्रस्थापना करती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है;

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कोई विदेशी सहायता मांगी गयी है ;

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) नहीं चालू की जाने वाली नयी खानों में मशीनीकरण को प्रोत्साहन देने की सम्भावना को ध्यान में रखा गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं हूं कि क्या इस तथ्य के होते हुए कि धातुकर्मिक कोयले का अनुमानित संभरण सीमित है, और उत्पादन बहुत कम होता जा रहा है जबकि मांग बढ़ रही है, सरकार ने इस दिशा में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है ?

श्री आर० जी० दुबे : संभरण स्थिति को देखते हुए, जहां तक कि मांग के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह किसी बात से नहीं दिखायी पड़ता है कि मांग में वृद्धि हो रही है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार यह आशा नहीं करती कि आगामी वर्षों में जबकि हम नये इस्पात कारखानों की स्थापना करेंगे, तो धातुकर्मिक कोयले की मांग बहुत अधिक बढ़ जायेगी ।

श्री आर० जी० दुबे : सरकार उस पहलू से अवगत है, और इसी लिए कोयला बोर्ड को यह आदेश किया गया है कि नयी खानों और कोयला खदानों को खोलने के लिए किये गये आवेदन पत्रों पर, जहां तक संभव हो सके, मशीनीकरण को कार्यान्वित करने का दृष्टिकोण रखते हुए, पुनर्विलोकन किया जाये ।

श्री वी० पी० नायर क्या मैं जान सकता हूं कि जिन विभिन्न खानों से कोयला प्राप्त किया जाता है उनकी औसत गहराई कितनी है, और इन खानों में एक टन कोयले के साथ औसतन कितना पानी ऊपर उठाना पड़ता है ?

श्री आर० जी० दुबे : यदि माननीय सदस्य अलग सूचना दें तब इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव होगा ।

श्री वी० पी० नायर : वह मशीनीकरण से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी

१४२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के आर्थिक विकास के लिये कौन कौन सी योजनायें तैयार की गई हैं ; और

(ख) उस क्षेत्र में १९५४ में आरम्भ किये गये सामुदायिक परियोजनाओं की संख्या कितनी है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) पंचवर्षीय विकास योजना; सामुदायिक परियोजनायें; राष्ट्रीय प्रसार खण्ड ।

(ख) एक राष्ट्रीय प्रसार खण्ड १९५४ में आरम्भ किया गया है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये कुल कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : बहुत सी योजनायें हैं और इस समय मैं यह नहीं बता सकता हूं कि इनके लिये कुल कितना रुपया मंजूर किया गया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी की कुल जनसंख्या कितनी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस के लिये अलग से प्रश्न होना चाहिये।

सेफ्टी रेज़र तथा ब्लेड

*१४५. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) भारत में प्रतिवर्ष तय्यार किये जाने वाले सेफ्टी रेज़रों तथा ब्लेडों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन वस्तुओं को तय्यार करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या जो उत्पादन होता है उससे देश की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन देशों के नाम जिनसे उनका आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (कं) सेफ्टी रेज़र भारत में नहीं बनाये जाते हैं। हमारे देश में जो ब्लेड बनाये जाते हैं उनके सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ख) रेज़र ब्लेड बनाने वाली कम्पनियों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ग) नहीं।

(घ) इंगलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, ज़ेकोस्लेवाकिया, स्वीडेन तथा जापान से इनका आयात किया जाता है।

श्री अमजद अली : भारत सरकार रेज़र ब्लेडों के सम्बन्ध में कब तक आत्म निर्भर होने का विचार करती है ?

श्री करमरकर : हम आशा करते हैं कि देशी उद्योग विकसित होगा। उसकी माल तय्यार करने की क्षमता बहुत है। हम यह भी आशा करते हैं कि देश की जनता देशी ब्लेडों का अधिकाधिक प्रयोग करेगी। और इससे भी आत्म निर्भरता की तिथि निकट आयेगी।

श्री अमजद अली : बाहर से आयात किये गये ब्लेडों के दाम स्थानीय रूप से तय्यार किये गये ब्लेडों की तुलना में कैसे हैं।

श्री करमरकर : स्थानीय रूप से तय्यार किये गये ब्लेड विदेशों से आयात किये जाने वाले ब्लेडों की तुलना में बहुत सस्ते हैं।

श्री अमजद अली : और होते कैसे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री सारंगधर दास।

श्री सारंगधर दास : भारत के बने ब्लेड बाहर से आने वाले ब्लेडों की तुलना में गुण प्रकार में कैसे होते हैं ?

श्री करमरकर : बाहर से आने वाले सब से अच्छी क़िस्म के ब्लेड स्थानीय रूप से तय्यार किये जाने वाले ब्लेडों से कुछ ही अच्छे होते हैं। इस सम्बन्ध में हमें अभी कुछ और उन्नति करनी है।

पंडित डी० एन० तिवारी : ब्लेडों की क़िस्म को सुधारने के लिये क्या कुछ किया जा जा रहा है ?

श्री करमरकर : अभी वे अपना काम सीख रहे हैं आरम्भ में उनको उचित प्रकार की ब्लेडें प्राप्त करने में कठिनाई पड़ी थी। अच्छी धार देने के लिये, ऐसे ब्लेड बनाने के लिये जिनमें ज़ंग न लग सके तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये वे नई मशीनें लगा रहे हैं। धीरे धीरे वे अपनी कला का विकास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

रेडियो पत्रकारिता

*१४७. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को रेडियो पत्रकारिता की विशेष टेकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ख) भारत में रेडियो समाचार सेवा को केन्द्र में तथा राज्यों में दोनों जगह संगठित

करने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जहां तक आल-इंडिया रेडियो का सम्बन्ध है, उन संवाददाताओं सहायक समाचार सम्पादकों तथा उपसम्पादकों की श्रेणी के तेरह अधिकारियों को उन के कार्य के द्वारा ही प्रशिक्षित किया गया है। आल इंडिया रेडियो के अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है उन के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) आल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग को, जो अब सत्रह वर्ष पुराना है उचित संगठन के द्वारा समय समय पर रेडियो प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है। हाल ही में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का एक कार्यक्रम चालू किया गया है। तथा इन बुलेटिनों के लिये आवश्यक संगठन को तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का सम्पूर्ण समाचार सेवा कर्मचारी वर्ग की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिये पूर्णरूप से पुनर्संगठित किया जा रहा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : प्रश्न के भाग (ख) का जहां तक सम्बन्ध है, क्या मैं अन्य देशों के रेडियो स्टेशनों से प्रसारित किये जाने वाले झूठे तथा द्वेषपूर्ण समाचारों का खण्डन करने के लिये कोई विशेष बुलेटिन जारी किये जाते हैं ?

डा० केसकर : खण्डन करने के लिये हमारे कोई विशेष समाचार बुलेटिन नहीं होते हैं ?

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या आल इंडिया रेडियो के समाचार बुलेटिनों पर कोई कॉपीराइट अधिकार होता है अथवा प्रेस को भी उस के प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता होती है ?

डा० केसकर : सिद्धान्त रूप से कॉपीराइट अधिकार होता है, और समाचार पत्रों से आल इंडिया रेडियो के समाचार बुलेटिन छापने की आशा नहीं की जाती है। परन्तु व्यवहार रूप में इस को लागू करना तनिक कठिन है। हालांकि मुख्य अथवा महत्त्वपूर्ण नगरों में इस प्रकार समाचार बुलेटिनों की चोरी नहीं होती है, फिर भी छोटे छोटे नगरों में, हमें सूचना मिली है कि छोटे छोटे समाचार पत्र रेडियो के समाचार सुन कर उन्हें प्रकाशित करते हैं ।

डा० रामा राव : सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय समाचार पत्रों को इन समाचारों को प्रकाशित करने तथा इन को और अधिक प्रसारित करते से क्यों रोकता है ?

डा० केसकर : इस का कारण यह है कि "आल इंडिया रेडियो समाचार सेवा" इन समाचारों को समाचार अभिकरण (न्यूज़ एजेंसियों) से प्राप्त करती है, तथा समाचार अभिकरणों के साथ किये गये अपने संविदा के अनुसार हम इन समाचारों को केवल अपने प्रसारण के लिये ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम अन्य समाचार पत्रों को इन की नकल करने दें तो हम उन समाचार अभिकरणों को उस हद तक उन के राजस्व के स्रोत से वंचित करेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिये ।

मधु मक्खी पालन

*१४८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां मधु मक्खी पालन के और अच्छे तरीके प्रयोग में लाये गये हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप मधु के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो किस मात्रा में ; और

(घ) १९५३-५४ में भारत में मधु का कुल उत्पादन कितना था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

डा० राम सुभग सिंह : विवरण में यह बताया गया है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक मधु मक्खी पालन केन्द्र चला रहा है । भारत सरकार अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को इस कार्य के लिये कितना धन देती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : १९५३-५४ में इस कार्य के लये उस को २,२०,००० रुपये खर्च करने का अधिकार दिया गया था । उस में से उस ने १,३६,००० रुपये गत वर्ष खर्च किये थे । इस वर्ष उस को जितनी राशि के खर्च करने का अधिकार दिया गया था वह तीन लाख रुपये से कुछ अधिक है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस दो लाख रुपये से अधिक की राशि को खर्च करने के बाद ५,६८६ पौंड मधु का अतिरिक्त उत्पादन किया जा सका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो केवल एक अनुमान है जो हो सकता है कि ठीक न हो ।

श्री तिम्मय्या : क्या मधु की कोई मात्रा विदेशों को निर्यात की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मधु के कुल उत्पादन का अनुमान कैसे लगाया जाता है और क्या इस में वह मधु भी सम्मिलित किया जाता है जो ग्रामों में ग्रामवासियों द्वारा निकाला जाता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मधु के कुल उत्पादन का अनुमान लगाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ।

बच्चों के लिये चलचित्र

***१४९. डा० रामा राव** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बच्चों के लिये चलचित्र बनाने के निमित्त सरकार ने एक संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संस्था की क्या सहायता करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विचार है कि सरकार एक वृत्त चित्र का, जो पहले वर्ष तैयार किया जायेगा, सारा खर्च वहन करेगी । दूसरे वर्ष तैयारी किये जाने वाले वृत्त चित्र तथा दो छोटे चलचित्रों का ७५ प्रतिशत व्यय भी सरकार द्वारा दिया जायेगा ; परन्तु यदि प्रथम चलचित्र के प्रदर्शन से होने वाली आय २५ प्रति शत से अधिक हुई, तो तदनुसार सरकार का अंशदान भी घटा दिया जायेगा कार्यक्रम के व्यय का ५० प्रतिशत इसी प्रकार तीसरे वर्ष में भी सरकार द्वारा दिया जायेगा । तीसरा वर्ष समाप्त होने पर इस स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

डा० रामा राम: कितने शिल्पियों और कलाकारों को इस संस्था के सदस्यों के रूप में लिया गया है ?

डा० केसकर : यह संस्था अभी पंजीबद्ध नहीं है । अभी हम संस्था के नियम तथा विनियमन बना रहे हैं । नियमों और विनियमन के बनाये जाने के पश्चात् ही यह प्रश्न उत्पन्न होगा ।

डा० रामा राव : इस कार्यवाही के अतिरिक्त सरकार अपने निजी विभाग से बच्चों के लिये किसी प्रकार के चलचित्र बनाने का काम नहीं कर रही है, इस का क्या कारण है ?

डा० केसकर : यदि अकेली सरकार बच्चों के लिये चलचित्र बनाना प्रारम्भ कर दे, तो हमें डर है कि कहीं बच्चों के चल-चित्रों की संख्या सीमित न रह जाये । हम चलचित्र तैयार कर सकते हैं, परन्तु हम अधिक से अधिक बच्चों के चलचित्र तैयार करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहते हैं और हम इसे उत्तम उपाय समझते हैं और इस के द्वारा बच्चों के अधिक चलचित्र तैयार हो सकेंगे ।

श्रीमती ए० काले : क्या हम इन चल-चित्रों के विषय जान सकते हैं ।

डा० केसकर : इतनी जल्दी विषयों की बात नहीं की जा सकती ।

ग्राम पंचायतें

***१५२. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन राज्यों ने अभी तक ग्राम पंचायतों का संगठन-कार्य आरम्भ नहीं किया है ; और

(ख) इस के क्या कारण हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा मनीपुर ।

(ख) यह जानकारी सम्बद्ध राज्य सर-कारों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंडित डी० एन तिवारी : क्या सब राज्यों में ग्राम पंचायतों के संगठन-कार्य को पूर्ण करने के लिये राज्यों को, योजना आयोग या योजना मंत्रालय की ओर से कोई निर्देश जारी किया गया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : योजना के लिये ग्राम पंचायतों के महत्व को ध्यान में रखते हुये, समय समय पर इसके विस्तार के लिये परामर्श दिया गया होगा । परन्तु पंचायत राज्यों का विषय होने के कारण, योजना आयोग, इस सम्बन्ध में इतना अधिक कहना नहीं चाहता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या इन पंचायतों की आय को बढ़ाने के लिये कोई योजना सोची गई है ताकि वे अधिक उत्तम काम करा सकें । ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं समझता हूं कि इन सब मामलों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान लगा हुआ है और जब कभी उन्हें योजना आयोग के परामर्श की आवश्यकता होती है, तो उन्हें परामर्श दे दिया जाता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के शिमला में समवेत सम्मेलन द्वारा की गई सिफ़ारिशों या सुझावों पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है, और यदि हां, तो इन सिफ़ारिशों के किन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं समझता हूं कि उस सम्मेलन में सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और अब उन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही करना उनका काम है । योजना आयोग के परामर्श की जब आव-श्यकता होती है, तो यह लिया जाता है ।

खादी के गुण प्रकार

***१५३. श्री डाभी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री १६ सितम्बर

को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न कामों के लिये सरकार के काम आने वाली खादी के गुण-प्रकार, उनके विषय में ढील, उपलब्धता व्यय, आदि से सम्बन्धित व्यौरों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभा पटल पर उस की एक प्रति रखेगी ?

निर्माण, आवास, तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). संभरण तथा उत्सर्जन महा निदेशक के सभापतित्व में यह समिति एक स्थायी समिति है, जिसने इस प्रश्न पर कई बैठकों में विचार किया है और यह इसी काम को करती रहेगी। अब तक की गई प्रगति सम्बन्धी एक अल्प-टिप्पणी सभा पटल पर रखी जाती है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]**

श्री डाभी : क्या सरकारी आवश्यकताओं के लिये खादी खरीदते समय खादी के मूल्य के बारे में कोई शर्त लगाई हुई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मूल्य अधिमान की अनुमति है ।

श्री डाभी : किस मात्रा तक ।

सरदार स्वर्ण सिंह : यह कई बातों पर निर्भर है ।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि चालू वर्ष में सरकार को कितने कपड़े की आवश्यकता है और किस मात्रा तक उस की पूर्ती खादी से करने का विचार है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे इस की पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

विसाखापटनम में जहाजों की सूखी गोदी

***१५४. चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से विशाखापटनम में जहाज़ों की सूखी गोदी बनाने की सविस्तार योजना बना ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है, और

(ग) परियोजना के कब पूर्ण होने की आशा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). जी नहीं । सविस्तार योजना तैयार करने का कार्य हाथ में ले रखा है ।

(ग) व्यौरेवार प्रारूप लगभग ६ महीने में तैयार हो जायेंगे । निर्माण कार्य आरम्भ होने के लगभग दो या तीन वर्षों में गोदी पूर्ण हो जाने की आशा है ।

डा० रामा राव : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस सूखी गोदी पर कितना धन व्यय होने का अनुमान लगाया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जिस समय नीति का निर्णय किया गया था, तब केवल एक मोटा अनुमान लगाया गया था । लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था । इस समय प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और हमारे सलाहकार इंजीनियर शीघ्र ही आने वाले हैं, वे इस प्रश्न पर विचार करेंगे और इसमें कुछ समय लगेगा । वर्तमान सूचना यह है कि लगभग २ करोड़ रुपये का अनुमान होगा

थर्मो-इलक्ट्रिक जैनेरेटर

***१५५. श्री ए० सी० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आकाशवाणी के गवेषणा विभाग ने एक थर्मोइलैक्ट्रिक जैनेरेटर बनाया है जो रेडियो चलाने लायक बिजली तैयार कर सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे व्यापारिक ढंग पर तैयार करने की योजना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर : (क) आकाशवाणी के गवेषणा विभाग ने एक प्रयोगशाला माडल थर्मो-इलैक्ट्रिक जैनेरेटर, तैयार किया है, जो रेडियो चलाने के लिये पर्याप्त विद्युत् तैयार कर सकता है ।

(ख) वाणिज्यिक स्तर पर इस का निर्माण करने के लिये अभी किसी योजना पर विचार नहीं किया गया है । इस नमूने को अन्तिम रूप देने से पूर्व कुछ समय के लिये व्यापक प्रयोगात्मक क्षेत्रीय प्रयोग करने का विचार किया गया है ।

श्री एस० सी सामन्त : क्या जैनेरेटर सस्ता होगा और क्या इसे चलाना भी सरल होगा ।

डा० केसकर : जी हां, मैं भी ऐसा ही समझता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी देर तक इस क्रिया का प्रयोग किया गया था, और क्या यह सच है कि पहले इसे छोड़ दिया गया था ?

डा० केसकर : मुझे इस की जानकारी नहीं है कि क्या इसका एक बार पहले भी प्रयोग किया गया था और यह कि इसे छोड़ दिया गया था, परन्तु इतना मालूम अवश्य है कि पिछले एक वर्ष से इसका प्रयोग किया जा रहा है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें अगर बराबर चार घंटे रेडियो चलाया जाये तो उसमें कितना खर्च होगा ?

डा० केसकर : यह तो मैं नहीं बता सकूंगा क्यों कि मैं ने जैसे अभी कहा, इस का प्रयोग हो रहा है और उसके पूरा हो जाने पर ही मैं इस बात को अच्छी तरह से बता सकूंगा ।

श्री नवल प्रभाकर : अब जो प्रयोग हो रहा है, उसमें कितनी कीमत आयेगी ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री एस० सी० सामन्त ।

श्री एस० सी० सामन्त : यदि इस मशीन से काम न लिया जाये, तो क्या खराब होने वाली है ?

डा० केसकर : मैं यह नहीं जानता, परन्तु हमने इस का एक वर्ष तक प्रयोग किया है और यह सफल सिद्ध हुई है । विलम्ब का प्रथम कारण यह है कि इस जैनेरेटर के लिये मिश्रण की जो कुछ क्रियायें तैयार की गई हैं, उन पर भारत सरकार की एकस्व सलाहकारी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, और जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता, हम इन एकस्वों और क्रियाओं को जनता में प्रसारित नहीं करना चाहते । दूसरे, जैसा कि मैं ने कहा, नमूने के अन्तिम रूप में आने और गांवों के लिये बड़े पैमाने पर इसका निर्माण आरम्भ होने से पूर्व हम इस बात का पक्का निश्चय करना चाहते हैं कि यह आर्थिक दृष्टि से सस्ता है और अधिक समय तक चलने वाला है ।

वर्दियों का दिया जाना

*१५६. **श्री संगण्णा** : क्या **निर्माण, आवास, तथा संभरण** मंत्री २१ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये, अतारांकित प्रश्न संख्या ५८८, जो सरकारी होस्टलों में रहने वाले कर्मचारियों के लिये वर्दियों के संभरण के बारे में था, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वह मामला अब किस स्थिति में है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : वर्दियों के संभरण के व्यय के पुनरीक्षित प्राक्कलन का अन्तिम निर्णय हो चुका है और आशा है कि शीघ्र ही मंजूर हो जायेगा ।

श्री संगण्णा : वर्दियों के संभरण पर अनुमानतः लागत कितनी आयेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह केवल कुछ हज़ार रुपये है ।

श्री संगण्णा : क्या यह सत्य है कि इन होस्टलों में चौकीदारों को १२ घण्टे तक कार्य करना पड़ता है, और यदि ऐसा है तो सरकार की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इन चौकीदारों को अन्य किसी भी विभाग में चौकीदारों के समान ही कार्य करना पड़ता है । इन होस्टलों में काम करने वाले चौकीदारों से कोई विशेषतया अधिक काम नहीं लिया जाता । अतएव, मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि इन चौकीदारों के साथ कोई पृथक् तथा विशेष व्यवहार हो ।

लोक लेखा समिति बारहवां प्रतिवेदन

*१५७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक लेखा समिति के बारहवें प्रतिवेदन में निहित उन सिफ़ारिशों को, जो उनके मंत्रालय से सम्बन्ध रखती है, कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध १९४६ तथा १९४९ के दो मामलों से है । जैसे कि १५ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २ के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया था, तत्पश्चात् भारत-भण्डार विभाग के द्वारा नीति तथा प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाले विस्तृत नियम जिन में तत्सम्बन्धी प्राधिकारियों के ठीक ठीक अधिकारों को परिभाषित किया गया है, प्रस्थापित हो चुके है ।

इन सिफारिशों से सम्बन्धित एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार ने, कण्डिका ४(१) तथा १३(३) में निहित सिफ़ारिशों की गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुये, जनता के मनोभावों को नोट किया है और क्या वे ऐसा समझते हैं कि अभी तक किये गये उपाय, अन्तर्ग्रस्त समस्या की गम्भीरता को देखते हुये पर्याप्त हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, यह एक बहुत लम्बा और तर्कमय प्रश्न है । विभिन्न कण्डिकाओं पर, जिनकी ओर संकेत किया गया है, जो भी कार्यवाही की गई है, इस विवरण में इंगित है । उसकी एक प्रति यहां सभा पटल पर रखी जाती है और यह माननीय सदस्य को स्वयं निर्णय करना है कि क्या यह पर्याप्त है या नहीं । सरकार, जो कि इस निर्णय की उत्तरदायी है, ऐसा विचार रखती है, कि यह निर्णय बिल्कुल ठीक है ।

चीन को निर्यात

*१५९. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत-चीन व्यापार क़रार जिस पर हाल ही में हस्ताक्षर हुये हैं, के अनुसरण में सरकार इस वर्ष कुछ वस्तुयें चीन भेजने का विचार रखती है ; और

(ख) १९५४–५५ में भेजी जाने वाली वस्तुयें कौन कौन सी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). भारत-चीन व्यापार क़रार सरकारी तौर पर कोई व्यापार करने का विचार नहीं रखता । इस क़रार के अन्तर्गत तो साधारण व्यापार साधनों से ही व्यापार होगा ।

श्री एस० एन० दास : इस क़रार पर हस्ताक्षर हो जाने के उपरान्त, सरकार अथवा किसी और भारतीय अभिकरण ने, यह देखने के लिये कोई पग उठाये हैं, कि इन दो देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाया जाये ?

श्री करमरकर : मुझे इस के लिये सूचना चाहिये, क्योंकि अभी हाल में ही तो इस क़रार पर हस्ताक्षर हुये हैं। मुझे आयात और निर्यात की अनुज्ञप्तियों की वास्तविक संख्या की जांच करनी होगी।

डा० रामा राव : क्या सरकार के पास गुन्टूर ज़िले के तम्बाकू के निर्यातकर्ताओं से ऐसी कोई शिक़ायत आई है कि सरकार द्वारा निश्चित किये हुए नियमों के अनुसार उन्हें कोटा मिलना चाहिये था, किन्तु नहीं मिला ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कोई भी व्यक्ति, जो ऐसा विचार करता है कि उसे कोटा मीलना चाहिये था, और प्राप्त नहीं हुआ है, सदैव शिक़ायत भेज देता है। हमें जब भी ऐसी शिक़ायत प्राप्त होती है, हम उस की जांच करते हैं। अतः यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि सरकार ने किसी के अधिकारों को अस्वीकृत किया हो।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या उन व्यापारियों से, जो पहले से चीन के साथ व्यापार कर रहे थे, वे सुविधायें वापिस ले ली गई हैं ; और यदि ऐसा है तो क्या मैं उसके कारण जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्। जैसे कि मेरे माननीय सहयोगी ने उल्लेख किया है यह करार तो हाल ही की बात है अतः पहले से ही चीन से व्यापार करने वाले लोगों को अनुज्ञा देने अथवा न देने का प्रश्न अभी नहीं उठा। यदि माननीय सदस्य तम्बाकू की ओर निर्देश करते हैं तो यह बात एक ऐसे आधार पर की गई है जिसे सरकार पूर्ण रूपेण निष्पक्ष समझती है और मेरा विचार है इसने सर्व प्रकार से संतोष ही प्रदान किया है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को पुनः बसाना

*१६०. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये मंत्रियों की समिति की सिफ़ारिश में से कौन कौन सी सिफ़ारिश सरकार के द्वारा मान ली गई है और किन किन को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन सिफारिशों में से कई एक के विषय में योजना-आयोग द्वारा जांच की जाने की प्रतीक्षा की जा रही है ; तथा

(ग) क्या नवम्बर, १९५४ के अन्तिम सप्ताह में होने वाले पूर्वी-खण्ड के पुनर्वास मंत्रियों के प्रस्थापित सम्मेलन द्वारा इन सिफ़ारिशों पर फिर से विचार किया जायेगा।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) सभी सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं, और कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री टी० के० चौधरी: मंत्रियों की समिति ने लगभग ३२ विशेष सिफ़ारिशें की हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन में से कौन कौन सी विशेष सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये लिया गया है और क्या वे कार्यान्वित हो रही हैं। मैं यह प्रश्न

पूछना चाहता हूं क्योंकि मंत्रियों की समिति की सिफ़ारिशों का सम्बन्ध १९५७ तक के तीन आय-व्ययक वर्षों से हैं, और मेरा विचार है कि ये सभी बातें अभी तक उचित प्रकार से विचारी नहीं गई हैं और न ही कोई ठोस योजना बनी है । इन में से कुछेक सिफ़ारिशें तो ऐसी हैं कि जिन्हें तत्काल ही ले लेना चाहिये था । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें लिया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : सभी सिफ़ारिशें स्वीकृत कर ली गई हैं और कार्यान्वित हो रही हैं । यदि माननीय सदस्य इस के लिये कोई और निश्चित प्रश्न पूछेंगे, तो मैं उन्हें निश्चित ही उत्तर दूंगा ।

श्री तुषार चटर्जी : क्या सरकार ने यह पूछताछ की है कि विभिन्न राज्यों में इन सिफ़ारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : कार्यान्वित करने का कार्य हो रहा है और अभी हाल में ही तो हमने यह कार्य संभाला है ।

श्री के० के० बसु : पूर्वी बंगाल के शर्णार्थियों की बिना अधिकार आबाद की गई बस्तियों को अधिकृत बस्तियों का रूप देने के लिये कितनी धन-राशि निश्चित की गई है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह आंकड़ा मेरे पास नहीं है ।

सूती कपड़ा

*१६४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न **संख्या** १०१४ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे :

(क) यह निश्चित करने के लिये, कि सूती कपड़े की केवल निश्चित मान की क़िस्में ही बाहिर भेजी जायें, अभी तक कौन से ठोस पग उठाये गये हैं ; तथा

(ख) चालू वर्ष में कितने मामलों में कपड़े की बुरी क़िस्म के विषय में आयातकर्त्ताओं के द्वारा शिक़ायतें प्राप्त हुई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूती कपड़ा निधि समिति ने बाहिर भेजी जाने वाली वस्तुओं पर प्रकार नियंत्रण लगाने के विषय में अनेक योजनाओं पर विचार किया था । उन्होंने अब स्वेच्छा पर आधारित प्रकार प्रमाणन के लिये एक निरीक्षण-शाखा स्थापित करने का निर्णय किया है । इस अभिप्राय के लिये एक बिशेष चिन्ह पंजीबद्ध कर दिया गया है । यह भी विचार है कि इस योजना को हाल में ही स्थापित किये गये सूती कपड़ा निर्यात प्रोत्साहन संघ के माध्यम से विदेशी बाज़ारों में प्रचारित किया जाये ।

(ख) २८ शिक़ायतें प्राप्त हुई थीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या जिन मामलों की शिक़ायतें प्राप्त हुई थीं, उनकी जांच की गई थी, और क्या उस जांच के परिणाम-स्वरूप, किन्हीं मिलों, सार्थों अथवा संस्थाओं पर दण्ड लगाया गया था । यदि ऐसा है, तो क्या दण्ड दिये गये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : २८ शिक़ायतों में से ११ को तो कपड़ा-आयोग ने ही निपटा दिया है, और शेष १७ अभी जांच की स्थिति में हैं । जहां तक सरकार के दण्ड लगाने के अधिकार का सम्बन्ध है, वह तो एक ऐसा मामला है जो कि कठिनाइयों से परिपूर्ण है और मैं बिना पूर्व सूचना के माननीय सदस्य को नहीं बता सकता कि इस मामले में ठीक कौन सा मार्ग अपनाया जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह निरीक्षण-संघ सभी निर्यात-पत्तनों पर कार्य कर रहा है या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निरीक्षण संस्था अभी हाल में स्थापित की गई थी । यह बम्बई में काम कर रही है । मैं माननीय सदस्य को यह भी बतलाना चाहूंगा कि निर्यात के लिये अधिकांश कपड़ा बम्बई से हो कर जाता है ।

श्री एस० एन० दास : उन देशों के नाम क्या हैं जिन से ये शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व सूचना चाहिये ।

सीमान्त घटना

*१६५. **श्री रघुरामैया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ८ अक्तूबर, १९५४ को सार्जामारजा ग्राम के समीप पाकिस्तान सीमान्त पुलिस द्वारा एक भारतीय नागरिक श्री दलीप सिंह को गोली मार दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गोली किन परिस्थितियों में चलाई गई थी ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). ७ अक्तूबर, १९५४ की शाम को दो भारतीय नागरिक दलीप सिंह और सुचा सिंह जो कि अमृतसर ज़िले के छीना विधि चन्द ग्राम के निवासी थे, भारत पाकिस्तान सीमान्त के समीप भारतीय राजक्षेत्र में अपने ढोर चरा रहे थे, जब कि अपरबारी दोआब नहर की ओर से पाकिस्तानी सीमान्त पुलिस का एक दस्ता अचानक निकल आया और भारतीय राजक्षेत्र में घुस कर ढोरों और भारतीय नागरिकों को पकड़ने लगा । भारतीय नागरिकों ने बच निकलने की कोशिश की किन्तु पाकिस्तानी दस्ते ने उन का पीछा किया और उन पर गोली भी चलाई । एक गोली भागते समय दलीप सिंह को पीठ में लगी जिस से वह एक ऐसे स्थान के समीप गिरा जो कि भारतीय राजक्षेत्र के लभगभ १५० गज़ अन्दर को था और मर गया । दूसरा भारतीय नागरिक सुचा सिंह बच निकलने में सफल रहा ।

पाकिस्तानी सीमान्त पुलिस पशु पकड़ कर ले गई ।

श्री रघरामया : क्या मैं यह समझ लूं कि पाकिस्तान पुलिस के इस अभिकथन में कोई सचाई नहीं कि घायल व्यक्ति तस्कर-व्यापारी था ?

श्री अनिल के० चन्दा : उन का कहना था कि ये लोग पाकिस्तानी राजक्षेत्र में ढोर पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे ।

श्री रघुरामैया : हमारे राजक्षेत्र में इस अतिचार के बारे में पाकिस्तान सरकार से क्या अभ्यावेदन किये गये हैं और हमारी संतुष्टि के लिये उन से क्या उत्तर मांगा गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम ने पाकिस्तान सरकार के सामने बहुत विरोध प्रकट किया है और उस से प्रार्थना की है कि वह अपराधियों को पकड़ कर उन्हें कड़ा दण्ड दे । हम ने मृत व्यक्ति के आश्रितों के लिये पर्याप्त प्रतिकर भी मांगा है, परन्तु उस से अभी उत्तर नहीं मिला ।

कार्डिंग इंजन

*१६६. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि एक ऐसे कारखाने को जिस में विदेशी पूंजी लगी हुई है १९५३-५४ में कार्डिंग इंजन बनाने

की अनुमति दी गई है, जब कि पहला कारखाना जिसे अनुमति दी जा चुकी थी अपना दायित्व पूरा कर रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान्

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

डी० डी० टी० कारखाना

*१६९. **श्री अमजद अली** : क्या **उत्पादन** मंत्री १६ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस देश में एक और डी० डी० टी० कारखाना स्थापित करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई स्थान चुन लिया गया है और यह कब तक चलने लगेगा ;

(ग) देश की डी० डी० टी० की कुल आवश्यकता क्या है ; और

(घ) इस समय कितना डी० डी० टी० आयात किया जाता है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) दिल्ली के कारखाने का सामर्थ्य ७०० टन से १४०० टन तक बढ़ाने के अतिरिक्त, १४०० टन प्रतिवर्ष के सामर्थ्य का डी० डी० टी० का एक दूसरा कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) नये कारखाने के स्थान का प्रश्न अभी विचाराधीन है । यह बताना अभी सम्भव नहीं कि यह कब चलने लगेगा ।

(ग) अनुमानति आवर्तक आवश्यकता लगभग ३००० टन प्रतिवर्ष है ।

(घ) १९५२-५३ से मलेरिया विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में डी० डी० टी० का आयात दिखाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]** ।

श्री वीरस्वामी : क्या मद्रास सरकार ने मद्रास राज्य में एक डी० डी० टी० कारखाना लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ।

श्री आर० जी० दुबे : जी हां । विभिन्न प्रस्ताव विचाराधीन हैं और सम्भवतः एक मद्रास की ओर से है ।

अखिल-भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग गवेषणा संस्था

*१७०. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने एक अखिल-भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग गवेषणा संस्था स्थापित करने के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की गवेषणा समिति की योजना स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण;

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) देश में, विशेषकर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध गवेषणा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये कोई निर्णय करने से पहले सरकार को अपने आप को सन्तुष्ट करना है कि ग्रामोद्योगों के लिये एक अलग संस्था की आवश्यकता है । इस पहलू पर अब विचार किया जा रहा है और निकट भविष्य में निर्णय किये जाने की आशा है ।

श्री डाभी : यह निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह माननीय सदस्य का तीसरा प्रश्न है । समय उन कठिनाइयों के दूर किये जाने पर निर्भर है जो कि इस प्रकार के मामलें में स्वाभाविक है । मैं यह नहीं कह सकता कि निर्णय बहुत शीघ्र कर लिया जायेगा ।

रूरकेला जल-संभरण

*१७१. श्री **संगण्णा** : क्या **उत्पादन** मंत्री १६ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के, जो कि ब्राह्मणी नदी से रूरकेला के प्रस्तावित लोहे के कारखाने तक पानी पहुंचाने के लिये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के बारे में था, उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विस्तृत जांच को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं । हिन्दुस्तान लिमिटेड के टेकनिकल सलाहकारों द्वारा अभी इस मामले की जांच की जा रही है और इस मास के अन्त तक एक रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री **संगण्णा** : ब्राह्मणी नदी के संभरण के लिये प्रति दिन कितना पानी निकलता है ।

श्री **के० सी० रेड्डी** : गत वर्ष के हाइड्रोग्राफिक (पानी सम्बन्धी) सर्वेक्षण के समय देखा गया था कि बहुत गरमी के दिनों कम से कम जल संभरण ९६ क्यूसेक था और इस आधार पर सर्वेक्षण पदाधिकारी द्वारा कुछ प्रस्ताव किये गये थे । ये प्रस्ताव अब सलाहकारों को भेज दिये गये हैं । सलाहकार सारे मामले पर विचार कर रहे हैं और वे अपनी सिफ़ारिशों को उस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में, जो कि वे तैयार कर रहे हैं और जो कि इस मास के अन्त में सरकार को प्रस्तुत की जायेगी सम्मिलित करेंगे ।

श्री संगण्णा : क्या इस मामले में निर्णय करने के लिये उड़ीसा की सरकार से परामर्श किया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : वास्तव में हीराकुड बांध परियोजना के मुख्य इंजीनियर से ही सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया था ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या जल संभरण की इस नई योजना के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय का मोटे तौर पर कोई अनुमान लगाया गया है और यह राशि कितनी होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : ये सब पहलू अब टेकनिकल सलाहकारों के विचाराधीन हैं और उन की सिफारिशें विस्तृत रिपोर्ट में सम्मिलित की जायेंगी । जहां तक जल संभरण का सम्बन्ध है, प्रश्न केवल यह है कि हम नान-सर्क्युलेशन या री-सक्यूलेशन तरीक़ा अपनायें । यदि पहला तरीक़ा अपनाया जाये, तो पानी के संभरण का व्यय अनुमानतया १६० लाख रुपये होगा । यदि दूसरा तरीक़ा अपनाया जाये, तो लगभग ८० लाख रुपये की व्यवस्था करनी होगी । इन सब बातों की टेकनिकल सलाहकारों द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं यह जानना चाहता था कि चाहे कोई तरीक़ा अपनाया जाये, क्या इस परियोजना के कारण स्वयं रूरकेला परियोजना का कुल अनुमानित व्यय बढ़ जायेगा ?

श्री **के० सी० रेड्डी** । मैं नहीं कह सकता कि परिणाम क्या होगा ।

जाति भेद सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग

*१७४. श्री **एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ अगस्त, १९५४

गये तारांकित प्रश्न सं० १ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में जाति भेद की जांच के लिये नियुक्त किये गये संयुक्त राष्ट्र आयोग ने महा सभा को अपना प्रतिवेदन दे दिया है :

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां

(ख) हाल ही में समाचारपत्रों में प्रतिवेदन का सार, थोड़े विस्तृत रूप में, प्रकाशित हुआ है । फिर भी, उसके प्रमुख लक्षणों की ओर इंगिति करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट, अनुबन्ध संख्या ४२ ।]**

(ग) और (घ) . जी नहीं । संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्यसूची में उक्त विषय सम्मिलिति कर लिये जाने पर महासभा इस पर शीघ्र ही विचार करेगी ।

श्री **कृष्णाचार्य जोशी** : दक्षिण अफ़ीका में भारतीयों की जन संख्या कितनी है ?

श्री **अनिल के० चन्दा** : इसके लिये मुझे अलग सूचना चाहिये ।

चल-चित्र अधिनियम

*१७५. **श्री रघुरामैया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास चल-चित्र अनुज्ञप्ति केस में उच्चतम-न्यायालय के निर्णय को दृष्टि में रखते हुय क्या सरकार का चल-चित्र अधिनियम में संशोधन करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन किस प्रकार के हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). चल-कित्र अधिनियम के लिये किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । उच्चतम-न्यायालय ने मद्रास में प्रचलित उस नियम को अमान्य घोषित किया है जो १९१८ के न कि १९५२ के चलचित्र अधिनियम के अधीन बनाया जाना अभिप्रेत था । बाद में बनाये गये विधान के होते हुये भी देश के दूसरे भागों में इसी प्रकार का एक नियम प्रचलित था । चल चित्र अधिनियम, १९५२ के अधिनियम ३०, की धारा १२(४) और राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित इसी प्रकार के विधान में ऐसे उपबन्ध हैं जिन में, हम अनुभव करते हैं, वे आपत्तियां नहीं हो सकती जो उच्चतम-न्यायालय के निर्णय में हैं । इन अधिनियमों में उस उपबन्ध के अनुकूल आवश्यक निदेश जारी करने और उन थोड़े से राज्यों में जहां इस प्रकार के अधिनियम पारित नहीं किये गये वहां यह कार्य शीघ्र करवाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रघुरामैया : क्या विशेषरूप से यह मद्रास सरकार के ध्यान में लाया गया और क्या जानकारी उपलब्ध है कि उन्होंने निर्णय के अनुसार अपने नियम बदले हैं ?

डा० केसकर : मद्रास सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है और मुझे पूर्ण आशा है कि मद्रास विधान मण्डल के आगामी अधिवेशन में १९५२ के अधिनियम जैसा विधान पारित किया जायेगा ।

सिन्दरी का कारखाना

*१३६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिन्दरी में नये कोक संयंत्र के लगने के बाद सिन्दरी उर्वरक कारखाने में बनाये जाने वाले उर्वरक के मूल्यों में कमी होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). जब कि कोक के मूल्य में बचत की सम्भावना है यह कहना सम्भव नहीं कि सिन्दरी में बनाये जाने वाले उर्वरक के मूल्यों में कमी होने की कोई सम्भावना है। मूल्य निश्चित करने और समय समय पर उन्हें दोहराने के समय सब बातों का ध्यान रखा जाता है । विशेषकर उत्पादन मूल्य में समवाय जो बचत अथवा कमी करता है उस पर ध्यान रखा जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, इन के कम होने की कब तक सम्भावना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस विषय पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है और निश्चित तिथि बताना मेरे लिये ठीक न होगा ।

श्री सारंगधर दास : इस कारण कि पिछले कुछ मास में १० प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया है क्या मूल्य में कमी हीने की कोई सम्भावना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस पर भी निदेशकों का बोर्ड ही विचार करेगा और इस विषय में विनिश्चय करेगा ।

श्री आर० एन० सिंह : प्रश्न संख्या १४४ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज उसकी अनुज्ञा दूंगा ! कल भी माननीय सदस्य देर से आये थे ।

सामुदायिक परियोजनाओं के अध्ययन के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल

*१४४. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमण्डल ने जिस ने सामुदायिक परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिये इस देश की यात्रा की, सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार निकट भविष्य में इस प्रतिनिधिमण्डल से प्रतिवेदन प्राप्त करने की आशा करती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस प्रतिनिधि-मण्डल के बारे में कुछ उलझन सी प्रतीत होती है । एक और संयुक्त राष्ट्र शिष्टमण्डल ने सामुदायिक क्षेत्रों का दौरा किया था और उसका प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रकाशित किया था । परन्तु इस प्रतिनिधि-मण्डल से, जिसकी ओर निर्देश किया गया है, प्रतिवेदन अपेक्षित नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न समाप्त हो गये हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली के प्लाटों की नीलामी

*१३७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में और इसके आसपास विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में नीलामी द्वारा बेचने के लिये कितने प्लाट दिये गये ;

(ख) (१) विस्थापित व्यक्तियों (२) दूसरे लोगों द्वारा कितने प्लाट ख़रीदे गये ; और

(ग) क्या इन में से कोई भू-भाग, जो पहले किसी विस्थापित व्यक्ति को आवंटित किया गया और जिसके मूल्य का कुछ भाग दिया जा चुका था, बाद में ज़ब्त कर लिया गया ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) २३० ।

(ख) यह सब भू-भाग विस्थापित व्यक्तियों द्वारा खरीदे गये ।

(ग) जी नहीं ।

विश्व व्यापार सर्वेक्षण

***१४०. श्री नाना दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रमंडल के ५० देशों व बस्तियों के व्यापार तथा अर्थ विशेषज्ञों ने विश्व व्यापार सर्वेक्षण किया ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण में भारत के लिये हितकर किन बातों का पता लगा ;

(ग) क्या सर्वेक्षण के लिये किये गये सम्मेलन में साम्राजीय अधिमान के प्रश्न पर चर्चा की गई ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बिषय में क्या स्थिति अपनाई गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रशुल्क तथा व्यापार के सामान्य क़रार का पुनरीक्षण करने के बारे में ५ से १२ अक्तूबर, १९५४ तक लन्दन में हुई राष्ट्रमण्डल के देशों और ब्रिटिश बस्तियों के प्रतिनिधियों की बैठक की ओर निर्देश कर रहे हैं । यदि मेरी यह पूर्वधारणा ठीक है तो इस बैठक में राष्ट्रमण्डली व्यापार का सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) से (घ). बैठक विचार विनिमय के लिये की गई थी विनिश्चय करने के लिये नहीं । जिन विषयों पर विचार किया गया उनके लिये कोई विशेष प्रस्ताव नहीं किये गये थे अतः साम्राजीय अधिमान इत्यादि विषयों पर सरकार द्वारा किसी स्थिति के अपनाये जाने का कोई अवसर नहीं था ।

ट्रांस्फार्मर बनाने का कारखाना

***१४३. श्री एस० के० रज़मी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रावनकोर कोचीन में निकट भविष्य में कोई ट्रांस्फार्मर बनाने का कारखाना आरम्भ किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कब तक होने लगेगा ;

(ग) क्या यह निजी समवाय होगा अथवा राजकीय ;

(घ) क्या केन्द्र द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कहां तक ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । समवाय से मिले नवीनतम प्रगति प्रतिवेदन से पता चलता है कि १० लाख रुपये, अर्थात् वर्तमान जारी पूंजी, का एक तिहाई भाग एकत्र हो चुका है। आदेश दी गई मशीनरी में से १० प्रतिशत मिल चुकी है और कारखाने के निर्माण का कार्य हो रहा है ।

(ग) निजी ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जिला योजना समितियां

*१४६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री उन राज्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां ज़िला स्तर पर योजना निकाय बनाये गये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : बहुत से राज्यों में ज़िला स्तर पर स्थानीय योजना अथवा विकास समितियां बनाई गई हैं। आसाम में ऐसी समितियां सब डिवीज़नों के लिये और जम्मू व काश्मीर में तहसीलों के लिये स्थापित की गई हैं। मैसूर में ज़िला विकास समितियां स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सामुदायिक परियोजनायें

*१५०. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सामुदायिक परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकार को १९५४-५५ में सामुदायिक परियोजनाओं के विकास के लिये और क्या सहायता देने का वचन दिया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) १९५३-५४ में उक्त राज्य को दस राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड आवंटित किये गये थे। इनमें से कुछ को सामुदायिक परियोजना खण्डों में परिवर्तित करने के प्रश्न पर जनवरी, १९५५ के प्रारम्भ में विचार किया जायेगा।

पेंसिलें

*१५१. **श्री केलप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५४ तक सीसे की पेंसिलों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में उत्पादन बहुत कम होता है ; तथा

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १,४१,३३७ ग्रुस।

(ख) ५,९७,००० ग्रुस प्रति वर्ष (लगभग)।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) सम्भवत: देशी उत्पाद की मांग में कमी।

मध्य भारत की सिंचाई योजनायें

*१६१. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य भारत राज्य में सिंचाई की तीन बड़ी बड़ी योजनाओं में से किसी पर काम आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कुछ निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि टी, तो कार्य के कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]

कोसी परियोजना

*१६२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोसी परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]

वाघ नदी परियोजना

*१६३. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश विधान सभा के लगभग १५० सदस्यों ने भारत सरकार के पास वाघ नदी पर एक परियोजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषय में भारत सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है । किन्तु मध्य प्रदेश की सरकार ने यह सूचना दी है कि उक्त राज्य की विधान सभा के १३३ सदस्यों ने वहां के मुख्य मंत्री के पास अप्रैल, १९५३ में भंडारा ज़िले में वाघ नदी परियोजना को तत्काल कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में एक स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया था ।

(ख) परियोजना का विस्तृत ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]

(ग) राज्य सरकार ने योजना आयोग से इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की है । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यह विषय विचाराधीन है ।

अपहृत महिलायें

*१६७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १ अगस्त, १९५४ से ३१ अक्तूबर, १९५४ के बीच पाकिस्तान को वापस भेजी गई तथा पाकिस्तान द्वारा भारत को लौटाई गई अपहृत महिलाओं की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री **(सरदार स्वर्ण सिंह)** : अगस्त और सितम्बर, १९५४ में पाकिस्तान को भेजे गये तथा वहां से प्राप्त अपहृत व्यक्तियों की संख्या क्रमशः १७५ तथा १९ है । अक्तूबर मास के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

व्यापार तथा प्रशुल्क संबन्धी सामान्य सकरार

*१६८. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का जी० ए० टी० टी० के प्रति अपना दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिये अगले सत्र में इस पर विचार करने से पूर्व जनता की राय जानने का विचार है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जेनेवा में संविदा करने वाले पक्षों के चालू सत्र में जी० ए० टी० टी० पर पुनर्विचार पहले ही किया जा रहा है । सरकार ने पहले ही देश के प्रमुख व्यापार मंडलों से परामर्श कर लिया है तथा जनता से आगे और परामर्श करना वह आवश्यक नहीं समझती ।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

*१७३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने स्वायत्तशासी अधिकार मांगने के लिये कोई संकल्प पारित किया है; और

(ख) बोर्ड ने अपने प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने में क्या बन्धन बताये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ये बन्धन इसके परामर्शदात्री निकाय होने के कारण हैं ।

रावी नदी के बहाव पर नियंत्रण

*१७६. **श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **प्रधान मंत्री** ३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस के बाद से रावी नदी के बहाव पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा पाकिस्तान के बीच कोई समझौता हुआ है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : पाकिस्तान सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि दोनों देशों द्वारा संरक्षात्मक बांध तथा अन्य निर्माण कार्य परस्पर निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही किये जाने चाहिये । इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तावों पर पाकिस्तान सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार

*१४१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत को जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत रियायतें दी गई हैं ;

(ख) किन किन देशों द्वारा ये रियायतें प्रदान की गई हैं ;

(ग) इन में से प्रत्येक देशों के साथ हमारे देश से होने वाले आयात तथा निर्यात की (पदार्थवार) मात्रा एवं मूल्य क्या है ; और

(घ) किन किन पदार्थों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने रियायतें दी हैं तथा किन देशों को ये रियायतें दी गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). जितनी भी इस प्रकार की जानकारी एकत्र करना सम्भव हो सका उसको बताने वाले दो विवरण संलग्न हैं। [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]

सरकारी प्रकाशनों का मुद्रण

१४२. **डा० रामा राव** : क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार के फार्मों, गज़टों, अधिसूचनाओं तथा अन्य प्रकाशनों के मुद्रण पर प्रति वर्ष कितनी धन राशि व्यय की गई ;

(ख) इस मुद्रण कार्य में से कितना ग़ैर सरकारी मुद्रकों द्वारा तथा कितना सरकारी मुद्रणालयों द्वारा किया गया; और

(ग) कौन कौन से ग़ैर सरकारी मुद्रकों को आर्डर दिया गया था तथा प्रत्येक फर्म को कितने मूल्य के आर्डर दिये गये ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १९५३-५४ के आंकड़ों की अभी तक लेखा परीक्षा न हो सकने के कारण ये उपलब्ध नहीं हैं । पिछले तीन वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	रुपये
१९५०-५१	१,५८,१०,३६८
१९५१-५२	१,६८,०४,९८३
१९५२-५३	२,०४,२८,३१५

(ख) ग़ैर सरकारी मुद्रकों के मुद्रण की लागत (काग़ज़ की कीमत निकाल कर) इस प्रकार है :—

	रुपये
१९५०-५१	२३,२७,१४६
१९५१-५२	२३,६३,४८१
१९५२-५३	१९,६०,८६१

सरकारी मुद्रणालयों में किये गये मुद्रण की लागत (काग़ज़ की कीमत सहित) इस प्रकार है :—

	रुपये
१९५०-५१	१,३४,८३,२२२
१९५१-५२	१,४४,४१,५०२
१९५२-५३	१,८४,६७,४५४

(ग) १. मुद्रण तथा लेखन-सामग्री नियंत्रक ने जिन अन्य निजी मुद्रणालयों से काम करवाया उनकी एक सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

२. मंत्रालयों तथा अन्य विभागों ने जिन निजी मुद्रणालयों से काम करवाया उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं ।

३. प्रत्येक ग़ैर सरकारी मुद्रणालय को कितनी राशि का आर्डर दिया गया इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है । आंशिक रूप में कागज़ के मूल्य को निकाल कर निजी मुद्रणालयों द्वारा कराये गये मुद्रण कार्य की कुल लागत इस प्रकार है :—

	रुपये
१९५०-५१	२३,२७,१४६
१९५१-५२	२३,६३,४८१
	१९,६०,८६१

चलचित्र अधिनियम, १९५२

१४३. सरदार इकबाल सिंह : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ७ के अन्तर्गत वर्ष १९५४ में अब तक कुल कितने मामलों में दण्ड दिया गया है ;

(ख) किस प्राधिकारी ने दण्ड दिये हैं ; और

(ग) उसी अवधि में लगातार अपराध के कितने मामलों में अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना संग्रहीत की जा रही है और पटल पर रखी जायेगी ।

आस्ट्रेलिया में भारतीय

१४४. सरदार इकबाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया सरकार ने उन भारतीयों के आस्ट्रेलिया में पुनः प्रवेश पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं जो उस देश को छोड़ चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (पंडित जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). पिछले वर्षों में आस्ट्रेलिया सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अब तक ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है कि उस देश को छोड़ने के पश्चात् किसी भारतीय को आस्ट्रेलिया में पुनः प्रवेश की मनाही की गयी हो । भारतीयों के आस्ट्रेलिया में पुनः प्रवेश के सम्बन्ध में कोई निश्चित विनियम नहीं है । राष्ट्रमण्डलीय सरकार सामान्यरूप से उन

भारतीयों के आस्ट्रेलिया में पुनः प्रवेश पर कोई आपत्ति नहीं करती जो उस देश को छोड़ चुके हैं, यदि आवेदक अपने लम्बे आस्ट्रेलिया प्रवास का प्रमाण दे सके और यह सिद्ध कर सके कि उसने आस्ट्रेलिया में कोई नियम विरुद्ध काम नहीं किया ।

प्रसारण संगठन सम्मेलन

१४५. **श्री एस० एन० दास** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में जो ब्रिटिश प्रसारण निगम द्वारा संयोजित राष्ट्र मण्डलीय देशों के प्रसारण संगठनों का सम्मेलन हुआ था, क्या उसकी कार्यवाही सरकार को प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन ने क्या मुख्य सिफ़ारिशें और सुझाव रखे ; और

(ग) इन सुझावों और सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]

सिन्दरी का कारखाना

१४६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सिन्दरी के उर्वरक कारखाने में प्रति दिन कितने कोक की आवश्यकता होती है और कोक भट्टी संयंत्र की उत्पादन शक्ति कितनी है ;

(ख) इस कारखाने की आवश्यकता पूरी करने के बाद जो कोक बच रहेगा उस का उपयोग कैसे किया जायगा ; और

(ग) कोक भट्टी संयंत्र में कोक के उत्पादन में होने वाले उपोत्पादों से प्रति वर्ष कितनी आय होने का अनुमान है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) प्रतिदिन की आवश्यकता लगभग ५५० टन है । कोक भट्टी संयंत्र प्रति दिन ६०० टन का उत्पादन करने के लिये बनाया गया है ।

(ख) आपातकाल की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त कोक रख लेने के बाद जो कोक बचा रहेगा उसे विक्रय कर दिया जायेगा ।

(ग) कोक भट्टी संयंत्र में कोक के उत्पादन से होने वाले उपोत्पादों के विक्रय की आय कई बातों पर निर्भर है, विशेष रूप से उसकी आवश्यकता और उत्पाद के बाज़ारी मूल्य पर, जो समय समय पर घटा-बढ़ा करता है । मोटे तौर पर यह अनुमान है कि संयंत्र जब सम्पूर्ण उत्पादन करेगा तो समवाय प्रतिवर्ष २० से ३० लाख रुपये के मूल्य का उत्पाद बाज़ार में ला सकेगा ।

दूसरी पंच-वर्षीय योजना

१४७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी पंच-वर्षीय योजना के लिये सिंचाई तथा बिजली की योजनाओं के अतिरिक्त अपनी प्रस्थापनायें भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ग) ज़िलों के स्तर पर जो काम होंगे उन में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन बातों पर ज़ोर दिया है ; और

(घ) सरकार इन कामों पर होने वाले व्यय के लिये अनुदानों तथा ऋणों के रूप में कितना धन देगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठते

उर्वरक

१४८. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आगामी वर्षों में उर्वरकों की अनुमानित वार्षिक खपत क्या होगी ; और

(ख) भविष्य में जिन कारखानों को स्थापित करने का विचार है उन से किस मात्रा में उत्पादन की आशा की जाती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९]**

(ख) नत्रजनीय (नाइट्रोजन वाले) उर्वरकों के लिये अतिरिक्त सामर्थ्य निर्माण करने वाले एक कारखाने के स्थापित करने का प्रस्ताव है जो प्रतिवर्ष १·७ लाख टन नत्रजन उर्वरकों के लिये दिया करेगा [जो लगभग ८ लाख टन अमोनियम सल्फेट (तिक्तातु शुल्बीय) के समान होगा]। बाद की अवस्था में इसको बढ़ा कर २·५ लाख टन नत्रजन प्रतिवर्ष कर दिया जायेगा ।

ओषधि और औषधि-निर्माण करनेवाले सार्थ

१४९. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५३-५४ की पंच वर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन के के पृष्ठ १९६ के पैरा २३(२) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) बी० एच० सी० और लिन्डेन, (२) पेनीसिलिन, (३) स्ट्रेप्टोमाइसिन और (४) हृदय को बल देने वाली व अतिसार नाशक औषधियों के संश्लिष्ट खमीर के उत्पादन के लिये अनुज्ञप्ति देने वाली समिति ने जिन कारख़ानों की सिफ़ारिश की है, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन सभी योजनाओं में विदेशी पूंजी और विदेशी सहयोग कहां तक भाग लेगा ; और

(ग) इन में से कितने उत्पाद भारत में, भारतीय कच्ची सामग्री के आधार पर निर्माण किये जायेंगे और कितने उत्पाद लगभग तैयार कच्ची सामग्री से तैयार किये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख).

उत्पाद का नाम	अनुज्ञप्ति समिति द्वारा सिफ़ारिश किये गये सार्थ का नाम	विदेशी सहयोग का भाग
१	२	३
१ बी० एच० सी०	. टाटा केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई	जर्मन निर्माता सर्व श्री सी० एच० बोयहरिगर सोन से सहायता प्राप्त एक संस्था का सर्वश्री लिकेमा के शिल्पिक सहयोग से निर्माण किया जायेगा । विदेशी सार्थ स्वामिस्व भुगतान के बदले हमें आवश्यक बातें बतायेगा । इसमें विदेशी पूंजी नहीं लगी है ।
२. लिन्डेन . .	टाटा केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई ।	,,

१	२	३
३. पेनीसिलिन	. स्टैण्डर्ड फार्मेस्विटिकल वर्क्स, कलकत्ता।	कोई विदेशी सहयोग नहीं मिला है।
	एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, लिमिटेड, बम्बई।	,,
	ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (भारत) लिमिटेड, बम्बई।	,,
४. स्ट्रेप्टोमाइसन	. स्टैण्डर्ड फार्मेस्विटिकल वर्क्स, कलकत्ता।	,,
	अलबर्ट डेविड लिमिटेड, कलकत्ता।	,,
५. शुद्ध सूखा खमीर	. एलेम्बिक केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड, बम्बई।	,,
अतिसार नाशक गुणों की संश्लिष्ट औषधियां—		
६. इण्डो-क्लोरो हाइड्रासीक्युनोलिन (एन्टरो वायोफार्म)	अतुल प्राडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई।	निर्माण सर्वश्री सींबा लिमिटेड, बसले के शिल्पिक सहयोग से किया जायगा, जो उत्पादन के लिये सभी आवश्यक शिल्पिक जानकारी व सहायता प्रदान करेंगे। विदेशी पूंजी नहीं लगी है।
हृदय को बल देने वाली संश्लिष्ट औषधियां—		
७. निकेथा माइड	,,	,,

(ग) इन में से ५ उत्पाद भारतीय कच्ची सामग्री के आधार पर तैयार किये जायेंगे। शेष दो प्रारम्भ में आयात किये गये माध्यमों से और अन्त में कच्ची सामग्री के आधार पर तैयार किये जायेंगे।

रुई

१५०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कपड़े के उत्पादन के लिये कपड़े के कारखानों को प्रतिवर्ष कितनी गांठ रूई की आवश्यकता पड़ती है ;

(ख) चालू वर्ष में, सभी प्रकार के कपड़ों को मिला कर कुल कितना कपड़ा तैयार हुआ ;

(ग) चालू वर्ष में बढ़िया प्रकार के कपड़े के उत्पादन के लिये रुई की कितनी गांठें आयात कर ली गयी हैं ; और

(घ) जिन देशों से यह आयात की गई हैं, उन के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०]**

कच्चा लोहा

१५१. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी से ३० सितम्बर, १९५४ तक विदेशों को कितनी मात्रा में कच्चा लोहा निर्यात किया गया ;

(ख) जिन देशों को यह निर्यात किया गया है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) इस निर्यात के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ग) भारत के पास कच्चे लोहे के बड़े बड़े साधन हैं । अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, निर्यात के लिये काफी फालतू लोहा बच जाता है ।

तम्बाकू

१५२. श्री केलप्पन : क्या **वाणिज्य तथा** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चीन के अतिरिक्त अन्य देशों से तम्बाकू के निर्यात के लिये आदेश प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों से ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) सरकार को आदेशों के प्राप्त होने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि तम्बाकू का निर्यात सामान्य व्यापार प्रणाली द्वारा किया जाता है ।

सिन्दरी कारखाने में उत्पादन

१५३. डा० राम सुभग सिंह : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चालू मास में सिन्दरी उर्वरक कारखाने में अमोनियम सल्फेट (तिक्तातु शुल्बीय) के उत्पादन में गत वर्ष के इसी अवधि में इस वस्तु के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में कुछ वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). जी हां । अक्तूबर, १९५४ का उत्पादन ३०,००१ टन था जो अक्तूबर, १९५३ के उत्पादन से ९,९५६ टन अधिक है और नवम्बर, १९५१ से, जब से यह कारखाना उत्पादन करने लगा है, अब तक सभी महीनों से यह सर्वाधिक उत्पादन रहा है ।

पंजाब में सामुदायिक परियोजनायें

१५४. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब की सामुदायिक परियोजनाओं के बारे में सरकार ने कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इन परियोजनाओं द्वारा कृषि प्रशिक्षण ग्राम और कुटीर उद्योग प्रशिक्षण और बुनियादी शिक्षा में हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]

आप्रवास विधियां

१५५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितने देशों के राज्य क्षेत्रों की आप्रवास विधियों में हाल में ही संशोधन हुआ है ; और

(ख) कितने मामलों में इन विधियों से भारतीय जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). पिछले पांच वर्षों में सात देशों ने अपने आप्रवास विधियों का संशोधन किया है तथा सभी मामलों में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

इन सात देशों के नाम इस प्रकार हैं :— टांगानीका, रोडेशिया तथा न्यासालैंड संघ, बर्मा, लंका, अदन, मलाया तथा सिंगापुर ।

पूर्वी अफीका में भारतीय

१५६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या उन्हें राजनैतिक निर्योग्यता का सामना करना पड़ रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पूर्वी अफ्रीका में लगभग दो लाख भारतीय हैं ।

(ख) जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है, पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों को केन्या स्थित हाईलैंड्स पर खेती अथवा औद्योगिक प्रयोजन के लिये भूमि लेने अथवा पट्टे पर देने की स्वीकृति नहीं है ।

पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों के प्रति प्रशासनिक आदेशों तथा कार्यवाही के द्वारा भी अन्य मामलों यथा ऊंचे पदों पर नियुक्ति, शिक्षा, आप्रवास इत्यादि में भी विभेद किया जाता है ।

पुस्तकें

१५७. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ में तथा अक्तूबर, १९५४ के अन्त तक ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस से क्रमशः विभिन्न प्रकार की कितने मूल्य की पुस्तकों का आयात हुआ ; तथा

(ख) सरकार ने उन में से कितनी पुस्तकें प्रतिबन्धित (ज़ब्त) कीं तथा तत्पश्चात् मुक्त कर दीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]

(ख) हमें जानकारी नहीं है । इसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है ।

कोयला

१५८. **श्री गिडवानी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में विभिन्न प्रकार के कोयले के स्रोतों की अनुमानित मात्रा क्या है ;

(ख) अच्छे प्रकार के कोयले के उपयोग में मितव्ययता करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) नये कोयला-क्षेत्रों को ढूंढने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) भारत में कोयला स्रोतों की अनुमानित मात्रा निम्नलिखित है :

१. कोक बनाने के काम में आने वाला कोयला :

	(दस लाख टनों में)
(१) अछूते क्षेत्र	
(१) चुना हुआ—(क) और (ख)	३२९·६
(२) श्रेणी १	३९५·७
(३) श्रेणी २	४९·१
कुल योग	७७४·४
(२) चालू कोयला खदान	
(१) चुना हुआ—क	४०४·०
(२) चुना हुआ—ख	५७७·४
(३) श्रेणी १	५१२·९
(४) श्रेणी २	५०४·४
कुल योग	१,९९८·७
(१) और (२) का कुल योग	२,७७३·१

२. कोक बनाने के काम में न आने वाला कोयला :

	(दस लाख टनों में)
गोंडवाना कोयला	३७,११३·२५
टरशेरी कोयला	२,५३७·००
कुल योग	३९,६५०·२५

कोक बनाने के काम में न आने वाले कोयला क्षेत्रों के क्रमवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इसके सम्बन्ध में वैसी विस्तृत पड़ताल नहीं हुई है जैसी कि कोक बनाने के काम आने वाले कोयले के सम्बन्ध में की गयी है ।

(ख) अच्छे प्रकार के कोयले के उपयोग में मितव्ययता करने के लिये प्रमुखतया निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

(१) कोयला आयुक्त के द्वारा प्रत्येक उद्योग के लिये विभिन्न श्रेणी के कोयले की श्रेणी तथा प्रतिशत निर्धारित हुये हैं तथा ऐसे उद्योगों को, जहां पर बिना कुशलता की हानि हुये निम्न श्रेणी का कोयला उपयोग में लाया जा सकता है, ऊंची श्रेणी का कोयला काम में लाने की स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(२) श्रेणी संख्या २ तक के कोक बनाने के काम आने वाले कोयले का उत्पादन (जिसके क्षेत्र तुलना में बहुत कम हैं) इस उद्देश्य से नियम बद्ध कर दिया गया है कि ऐसे कोयले का उत्पादन ऐसे उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकतानुसार प्रतिबन्धित कर दिया जाय जिनके लिये इसका उपयोग अनिवार्य हो; यथा लोहा तथा इस्पात उद्योग, इस्पात बनाने की भट्टियां, तथा अन्य धातुकार्मिक प्रयोजनों के लिये । उत्पादन को घटाने की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि वह वर्तमान कोयलाक्षेत्रों के कार्य-संचालन को खर्चीला नहीं बनाता ।

(३) धातुकार्मिक कोयले का उत्पादन करने वाली नई खानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाती । चालू खानों में नई तहों को खोलने अथवा बन्द तहों को पुनः खोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(ग) कोयले की उपस्थिति की सूचना मिलने पर उसकी राशि तथा प्रकार को जानने के लिये नियमित क्षेत्र मापन तथा जल छेदन-कार्य किया जाता है ।

पावर अल्कोहल (शक्ति मद्यसार)

१५९. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में कितने परिमाण में पावर अलकोहल का निर्माण होता है ;

(ख) उसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है ; और

(ग) उससे कितने शुल्क की प्राप्ति, यदि होती हो, होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

	गैलन
१९५३	८,११९,४०५
१९५४ (जनवरी से सितम्बर तक)	६,५५३,६७२

(ख) पावर अल्कोहल के थोड़े से अंश को छोड़ कर जो कि एसिटिक एसिड तथा एसिटोन के निर्माण में कच्ची वस्तु के रूप में उपयोग में लाया जाता है, व्यावहारिक रूप से इसका लगभग सारा उत्पादन मोटर स्पिरिट के रूप में पैट्रोल में मिश्रित करने के लिये काम में लाया जाता है ।

(ग)	१९५३	८२,२३,०००
	१९५४ (अगस्त, १९५४ तक)	५८,९४,०००

श्रीलंका में भारतीय

१६०. **श्री रघुरामैया** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) श्री लंका के भारतीय उद्गम के व्यक्तियों द्वारा भारत के नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिये कुल कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं; और

(ख) आज तक कितने आवेदनपत्र पंजीयित हुये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एंव रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १५ जनवरी, १९५४ से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक ६,४५८ ।

(ख) इसी अवधि में ४,०३१ ।

भाखड़ा-नंगल परियोजना

१६१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में भाखड़ा-नंगल परियोजना के खर्च का जो अनुमान लगाया गया था उस में और उस सम्बन्ध में भारत सरकार की ज़िम्मेदारी में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में और कहां तक ; और

(ग) अब तक इस परियोजना के लिये सरकार की कितनी वित्तीय ज़िम्मेदारी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). परियोजना प्राधिकारियों ने भाखड़ा-नंगल परियोजना के १९५२ के प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर लिया है । केन्द्रीय सरकार की साझेदार सरकारों को ऋण की पेशगी देने की ज़िम्मेदारी किस अंश तक है, उस समय तक ज्ञात होगी जब बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत पुनरीक्षित आकलन सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान की सरकारों को ९८·२३ करोड़ रुपयों का व्याजवाही ऋण पेशगी दिया है ।

खादी हुंडियां

१६२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने अब तक कितने मूल्य की हुंडियां बेची हैं ; और

(ख) इन के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा वह सभा पटल पर रखी जायेगी । अब तक केवल उत्तर प्रदेश (२८ लाख रुपये) तथा कच्छ (२५,००० रुपये) के आंकड़े प्राप्त हुये हैं ।

मधुमक्खी पालन उद्योग

१६३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने मधुमक्खी पालन उद्योग पर कितनी राशि व्यय की है, तथा पिछले पांच वर्षों में इसका कितना विकास हुआ है ;

(ख) उन ग़ैर-सरकारी संगठनों के नाम तथा संख्या जिन्होंने इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के निमित्त सरकार से प्रार्थना की है ;

(ग) उन की प्रार्थनाओं पर किस प्रकार विचार किया गया है ; और

(घ) क्या शहद का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई गवेषणा की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष १९५३-५४ में अनुदान तथा ऋण की क्रमशः १,१०,८४२ रुपये तथा २५,५०० रुपये की राशियां बांटी गईं । चालू वर्ष में ४४,५०० रुपये अनुदान में दिये गये ।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने पिछले पांच वर्षों के दौरान मधुमक्खी-पालन की गवेषणा के लिये ५३,००० रुपये की राशि मंजूर की ।

जहां तक पिछले पांच वर्षों के दौरान विकास का सम्बन्ध है, यथार्थ जानकारी उपलब्ध नहीं है । किन्तु वर्ष १९५३-५४ में खादी बोर्ड के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों के १३२ गांवों में मधुमक्खी पालन केन्द्र स्थापित किये गये तथा ६९१ कमकरों को काम दिया गया । पहिले वर्ष ३२ नये केन्द्रों से कुल ५,६८६ पौंड शहद प्राप्त हुआ ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित ग़ैर-सरकारी संगठनों ने खादी बोर्ड से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की, और वह स्वीकृत भी की गई :

१. रामकृष्ण मिशन, अल्मोड़ा ।
२. अखिल भारतीय मधुमक्खी पालक संथा, दिल्ली ।
३. लोक सेवाश्रम कोलपाठ, मलबार ।
४. गांधी निकेतनाश्रम, कल्लुपत्तै ।

राम कृष्ण धाम मधुमक्खी पालन संस्था, अल्मोड़ा ने एक चलते केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में २४,००० रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है ।

निम्नलिखित संगठनों ने खादी बोर्ड से अपने अपने राज्यों में योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एजेन्सियों के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिये कहा है :—

१. ग्रामोद्योग समिति, बम्बई ।
२. सकलेशपुर मधुमक्खी पालक सहकारी सभा, मैसूर ।
३. वाई० एम० सी० ए० मार्तंडम्, त्रावनकोर-कोचीन ।
४. बिहार, ग्रामोद्योग समिति, मुजफ्फरपुर ।

इन संगठनों की प्रार्थनायें स्वीकार हो चुकी हैं । दक्षिण कन्नड़ मधुमक्खी-पालक सहकारी सभा, मंगलौर की इसी प्रकार की एक प्रार्थना विचाराधीन है ।

इलाहाबाद विश्व विद्यालय द्वारा प्रस्तुत भारतीय मधुमक्खी आकार-शास्त्र तथा

प्राणिशास्त्र के अध्ययन कि एक योजना को भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने स्वीकृत कर लिया है । भारतीय मधुमक्खियों के प्राणिशास्त्र, परिस्थितिविद्या, आदि सम्बन्धी अध्ययन करने के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय ने एक आवेदन पत्र भेज था जिसे अस्वीकार कर दिया गया है । पून विश्वविद्यालय का एक आवेदन-पत्र विचारार्धन है ।

(घ) जी हां । मधुमक्खी पालन की समस्याओं पर गवेषणा की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप पंजाब स्थित कटराई और मद्रासस्थित कोयम्बटूर के दो प्रादेशिक केन्द्रों, जिन्हें भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा पूरी वित्तीय सहायता मिलती है, में अधिक परिमाण में शहद का उत्पादन हो सकेगा ।

औद्योगिक आवास योजना

१६४. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या औद्योगिक आवास योजना के अधीन जूट उद्योग के मज़दूरों के लिये कोई आवास योजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने मकान बन चुके हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन, जूट उद्योग के मज़दूरों के आवास के लिये अभी तक कोई विशिष्ट परियोजना मंजूर नहीं की गई है । निश्चय ही, राज्य सरकारों को, जो योजना के अधीन घर बनाती हैं, यह अधिकार है कि वे, यदि चाहें, तो जूट मिलों के मज़दूरों को ये घेर दे सकती हैं ।

हीराकुड जलविद्युत परियोजना

१६५. **श्री सारंगधर दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड जलविद्युत् परियोजना की बिजली के उपभोग के लिये अद्यतन हुये हैं ;

(ख) किन किन समवायों तथा फर्मों ने और कितनी कितनी मात्रा के लिये ठेके लिये हैं ; और

(ग) प्रति एकक (यूनिट) दर क्या निश्चित हुई है, और दामोदर घाटी निगम, भाकड़ा नंगल तथा तुंगभद्रा की दरों के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्रता से सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

स्थानीय निर्माण-कार्य

१६६. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार को १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में स्थानीय निर्माण-कार्यों के लिये कितने धन का अनुदान दिया गया है ;

(ख) जिस कार्य के लिये अनुदान दिये थे उनके लिये राज्य ने कितने धन का उपयोग किया है ; और

(ग) उन कार्यों के लिये जनता ने कितना धन दिया ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये** परिशिष्ट १, **अनुबन्ध संख्या** ५४]

विद्युत बोर्ड

१६७. **श्री तिम्मय्या** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने मैसूर राज्य से, भारतीय विद्युत (संभरण) अधिनियम, १९४८, के अधीन, एक विद्युत बोर्ड स्थापित करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बोर्ड स्थापित हो गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) नहीं श्रीमान ।

सरकारी भवन

१६८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में उन सरकारी इमारतों पर, जो सम्पत्ति कार्यालय (एस्टेट आफिस) के अधीन हैं, (१) कितना किराया लगाया गया, (२) वास्तव में उन से कितना किराया प्राप्त हुआ है ;

(ख) ३१ मार्च, १९५४ तक पिछले वर्षों की कितनी बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई थी ; और

(ग) कितने धन का अपलेखन किया गया और यह किन परिस्थितियों में किया जाना आवश्यक समझा गया ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न है :—

	स्थान का नाम	१९५३–५४ में लगाया गया किराया (१)			१९५३–५४ में प्राप्त किराया (२)		
		रुपये	आने	पाई	रुपये	आने	पाई
१	दिल्ली तथा शिमला .	९७,४४,३६९	१२	०	९५,६४,२४०	४	०
२	बम्बई . .	६,५३,३४०	९	०	६,०५,९५५	७	३
३	कलकत्ता . .	९,०१,३९४	९	०	८,५४,९५७	१०	०
	कुल जोड़ .	१,१२,९९,१०४	१४	०	१,१०,२५,१५३	५	३

(ख)—

	स्थान का नाम	३१-३-५४ तक अप्राप्त धन		
		रुपये	आने	पाई
१	दिल्ली तथा शिमला .	१२,१३,७१२	०	०
२	बम्बई . .	५०,३१७	१३	९
३	कलकत्ता . .	४,२६,२६५	१	०
	कुल जोड़ .	१६,९०,२९४	१४	९

(ग) १९५३-५४ सम्बन्धी सूचना निम्न है :—

स्थान का नाम	अपलिखित धन रुपये	आने	पाई	कारण
दिल्ली तथा शिमला	७,३०५	०	०	यह धन उन व्यक्तियों के नाम में है जिन का अता-पता प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सका है । प्रत्येक व्यक्ति से अप्राप्त धन की मात्रा बहुत ही थोड़ी है, और इसीलिये इन मामलों पर और आगे कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया ।
बम्बई	६५	१०	०	यह धन आरम्भ में अस्थायी दर पर निर्धारित किराये तथा बाद में निर्धारित निश्चित मान के किराये का अन्तर है । निश्चित किरायों के निर्धारण में विलम्ब हो गया था और जो किरायेदार स्थान खाली कर चुके थे उन से धन प्राप्त करना कठिन हो गया ।
कलकत्ता	कुछ भी नहीं			
कुल जोड़	७,३७०	१०	०	

भूतपूर्व शासकों के भवन

१६९. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) सरकार ने रियासतों के भूतपूर्व शासकों के किन किन भवनों को १९५४ में अपने काम में लाने के लिये प्राप्त किया है ;

(ख) किन विशेष कामों के लिये उन का उपयोग होता है ; और

(ग) इन भवनों को किन शर्तों पर प्राप्त किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने १९५४ में रियासतों के भूतपूर्व शासकों के किसी भी भवन को प्राप्त नहीं किया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

गंगा नदी द्वारा भूमि का कटाव

१७०. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नन्देल-बड़दड़वा लूप लाइन क्षेत्र में पूर्वी रेलवे के स्टेशन धुलियां तथा नगरपालिका के उपनगर धुलियां के आस-पास गंगा नदी द्वारा हुए भमि के कटाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने भूमि के इस कटाव के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन भेजा है ;

(ग) क्या यह सच है कि दक्ष इंजीनियर भूमि के इस कटाव को गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन का सूचक मानते हैं ;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने, यदि कोई औपचारिक कार्यवाही की है, तो क्या है ; और

(ङ) क्या राज्य सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

सरोदा परियोजना

१७१. **श्री मगन लाल बागडी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरोदा परियोजना पर कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना कार्य हो चुका है ?

(ग) इस काम के लिये कुल कितनी धन राशि स्वीकृत हुई है ; और

(घ) इस काम के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) गढ़े की खुदाई हो रही है और सितम्बर, १९५४ के अन्त तक लगभग २·१६ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ।

(ग) ३९.६२ लाख रुपये ।

(घ) यह आशा है, कि १९५६-५७ में सरोदा तालाब से १५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होनी प्रारम्भ हो जायेगी और १९५७-५८ तक २१००० एकड़ भूमि के अन्तिम लक्ष्य की भी पूर्ति हो जायेगी ।

भारत से पाकिस्तान को लोगों का प्रव्रजन

१७२. **श्री महोदय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभी तक कुल कितने व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गये ; और

(ख) इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). (१) भारत पाकिस्तान पारपत्र योजना के अधीन एक देश से दूसरे देश को जाने की इच्छा करने वाले व्यक्तियों को उस देश से, जहां वे जा रहे हैं, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार के इच्छुक प्रव्रजकों को प्रव्रजन प्रमाणपत्रों अथवा आपात प्रमाणपत्रों के आधार पर ही, जो उस देश के राजनयिक प्रतिनिधि के द्वारा, जहां कि वे जाना चाहते हैं, जारी किये जाते हैं, देश छोड़ने की अनुमति दे दी जाती है । पूर्वी महाखण्ड के अलावा, ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर विभिन्न चौकियों से हो कर भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है । १५ अक्तूबर, १९५२ से अर्थात् जिस दिन से यह पारपत्र योजना जारी की गई थी भारत से पूर्वी बंगाल को अभी तक ११७ व्यक्ति जा चुके हैं ।

इन ११७ व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल को ।	६८
आसाम से पूर्वी बंगाल को	१
त्रिपुरा से पूर्वी बंगाल को	४८
	११७

(२) इस देश में स्थित पाकिस्तानी प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये आपात प्रमाणपत्रों के आधार पर भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के अलावा, कुछ व्यक्ति राजस्थान-सिंध की सीमा पर स्थित भुनावाओ-खोकरपर के रास्ते से भी हो कर भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं । भारत पाकिस्तान योजना के अनुसार पाकिस्तान द्वारा यह रास्ता अधिकृत पथ नहीं माना गया है और इस रास्ते से जाने वाले व्यक्तियों के पास अपेक्षित आपात प्रमाणपत्र नहीं होते हैं । यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या इस रास्ते से जाने वाले सभी व्यक्ति वास्तविक प्रव्रजक भी हैं । ८ अप्रैल, १९५० के प्रधानमंत्रियों के समझौते के बाद इस रास्ते से भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या ५,१७,२३८ है ।

इस संख्या का राज्य वार ब्यरा ११ मई, १९५३ के बाद से ही उपलब्ध है, और यह इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	कुल संख्या
१. उत्तर प्रदेश	४५,००७
२. राजस्थान	१२,१६९
३. हैदराबाद दक्षिण	७,४३१
४. बम्बई	६,४९१
५. सौराष्ट्र	६,१८७
६, मध्य प्रदेश	२,८७६
७. मद्रास	२,८१६
८. मध्य भारत	२,५३२
९. दिल्ली	२,१२०
१०. पंजाब	१,२८२
११. भोपाल	२९७
१२. बिहार	२७३
१३. बंगाल	७७
१४. विन्ध्य प्रदेश	७३
१५. मैसूर	६८

राज्य का नाम	कुल संख्या
१६. पैप्सू	३८
१७. आन्ध्र	२९
१८. हिमाचल प्रदेश	८
१९. आसाम	८
२०. त्रावनकोर-कोचीन	७
२१. उड़ीसा	३
२२. जम्मू तथा काश्मीर	२
२३. कुर्ग	१
कुल संख्या	८९,७९५

(३) अप्रैल, १९५०से पूर्व, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को गये, उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

उर्वरक व सीमेंट का कारखाना

१७३. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अपने राज्य में एक उर्वरक व सीमेंट का कारखाना खोलने के लिये भारत सरकार से कोई आर्थिक सहायता अथवा ऋण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में ऋण अथवा अनुदान के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नदी घाटी तथा जल-विद्युत परियोजनायें

१७४. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री इस सम्बन्ध में एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) नदी घाटी तथा जल-विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के निदेशाधीन विभिन्न राज्यों में किस प्रकार के अनुसन्धान किये जा रहे हैं ।

(ख) इनमें से कितने अनुसन्धान पूरे होने वाले हैं ;

(ग) जिन योजनाओं के लिये अनुसन्धान किये गये हैं उनमें से कौन सी अगले दो सालों में कार्यान्वित की जायेंगी ;

(घ) इस सम्बन्ध में सम्बद्ध राज्यों तथा केन्द्र के बीच किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कौन सा अभिकरण कार्यान्वित करेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी ।

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक-सभा

गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-४२ म० प०

पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा): विभिन्न सत्रों के दौरान में जैसा कि नीचे दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये, विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखलाने वाले विवरण मैं पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १— लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४

[**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७— लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४

[**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२— लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३

[**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १७— लोक़-सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३

[**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २२— लोक-सभा का तृतीय सत्र, १९५३

[**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २१— लोक-सभा का द्वितीय सत्र, १९५२

[**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या २२— लोक-सभा का प्रथम सत्र, १९५२

[**देखिये** परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७]

सभा का कार्य

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खंडों के लिये समय का बटवारा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को बताना है कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों को निबटाने के लिये समय नियत करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति की जो उप समिति नियुक्त की गई थी उस की बैठक कल हुई और वह समय के निम्नलिखित बटवारे से सहमत हुई :—

खण्डों की संख्या	नियत समय
खण्ड २ से १५ . . .	३ घंटे
खण्ड १६ से १९ . . .	४ घंटे
खण्ड २० से २४ . . .	५ घंटे
खण्ड २५, ९७ और ११४ . .	५ घंटे
खण्ड २६ से ३८ . . .	५ घंटे
खण्ड ३९ से ६० . . .	३ घंटे
खण्ड ६१ से ६५ .	२ घंटे
खण्ड ६६ से ८१ . .	२ घंटे
खण्ड ८२ से ८८ . .	२ घंटे
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ छोड़ कर)	२ घंटे
खण्ड १०३ से ११६ और अनुसूची (खण्ड ११४ छोड़ कर)	२ घंटे

अब मैं संसद्-कार्य मंत्री से सभा के द्वारा इस प्रतिवेदन के अनुमोदन के सम्बन्ध में एक औपचारिक प्रस्ताव रखने के लिये कहूंगा।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों को निबटाने के लिये कार्य मंत्रणा समिति की उपसमिति द्वारा नियत किये गये समय से, जिस की घोषणा आज अध्यक्ष महोदय ने की है, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपट्टनम्) : सदस्यों की सुविधा के लिये इस समय-सारिणी को लोक-सभा समाचार में मुद्रित करा देना उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, इस को लोक-सभा समाचार में छपवा दिया जायेगा।

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय में वृद्धि

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि अस्पृश्यता के व्यवहार अथवा उस से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिये दण्ड की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय शनिवार, ४ दिसम्बर, १९५४ तक बढ़ा दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

समवाय विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय में वृद्धि

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि समवायों तथा कतिपय अन्य संस्थाओं सम्बन्धी विधि को एकत्र और संशोधित करने वाले विधेयक के बारे में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये नियत समय अगले सत्र के अन्तिम सप्ताह के पहले दिन तक और बढ़ा दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री गिडवानी (थाना) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक---जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा डा० काटजू द्वारा १६ नवम्बर, १९५४ को प्रस्तुत किये गये अधोलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

साथ ही सभा श्री गोपालन, श्री श्यामनन्दन सहाय तथा श्री वल्लाथरास के परिचालन सम्बन्धी संशोधनों पर भी विचार करेगी।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : जैसा मैं ने कल कहा था, हमें इस सारे विधेयक को उस न्यायशास्त्र के महान् सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से देखना है, जोकि इस देश में लगभग एक शताब्दी से प्रचलित है, और साथ ही यह भी देखना है कि क्या इस विधेयक से न्याय सम्बन्धी प्रशासन में शीघ्रता अथवा सस्तापन आ सकेगा अथवा नहीं। इसी दृष्टिकोण से मैं इस विधेयक की तीन या चार बातों पर प्रकाश डालूंगा।

खण्ड २५ उस मूल खण्ड का सुधरा हुआ रूप है जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों इत्यादि की मानहानि को एक हस्तक्षेप अपराध बनाना चाहता था। जिन सदस्यों ने इस उपबन्ध की आलोचना की है, उन को मैं बताना चाहता हूं कि संवैधानिक प्रजातंत्र की सफलता के लिये यह खण्ड परमावश्यक है। मान लिया जाये कि कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों तथा राजप्रमुखों की मानहानि करता है, तो क्या यह उचित होगा कि वे उस के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये दंडाधीश या विधि न्यायालय की शरण लें।

जहां तक मंत्रियों का प्रश्न है, उन का भी, मेरे विचार में, एक विशिष्ट स्थान है। वास्तव में जब १८९८ में यह मूल अधिनियम लाग किया गया था, तब कोई मंत्री न था। १९२३ के अधिनियम के पारण के समय मंत्री तो थे, परन्तु वे पूर्णत: जनता के प्रति उत्तरदायी न थे। आज स्थिति दूसरी ही है। प्रत्येक मंत्री जनता का प्रतिनिधि है। आज की संसदीय प्रणाली में विरोधी दल उस को कहा जाता है, जिन के साथ बहुमत नहीं है। उस के द्वारा प्रशासन की आलोचना होना यद्यपि स्वाभाविक ही है, परन्तु अधिकांश रूप में केवल पार्टी की भावनाओं से प्रेरित होकर केवल आलोचना के नाते ही आलोचना की जाती है और उस में कुछ सत्त्व नहीं होता है। इसीलिये हम नहीं चाहते कि जैसे ही किसी मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाये तो उस को तुरन्त ही न्यायालय की शरण लेनी पड़े। इस उपबन्ध के द्वारा वह अपनी शिकायत दंडाधीश के सामने छ: मास के भीतर कर सकेगा। एक सदस्य ने कहा था कि मंत्रिगण अपने प्रति लगाये गये आरोपों की कुछ भी परवाह नहीं करते। इस के समर्थन में उन्हों ने एक राज्य के एक मंत्री का उदाहरण दिया था। आरोप लगाने के बाद भी यदि कोई मंत्री कुछ भी कार्यवाही नहीं करता है, निस्सन्देह उस के बारे में कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है। इस समय तर्क के लिए यह कल्पना कीजिये कि कुछ लोगों ने अपराध किया हो तो वे यह कह कर छुटकारा पा सकते हैं कि एक मंत्री से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह दण्डाधीश के न्यायालय में जा कर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे। परन्तु मंत्री अन्तत:

[श्री पाटस्कर]

जनता के समक्ष उत्तरदायी होगा अतः वह ऐसी बात नहीं कर सकता । यह अच्छा होगा कि इस प्रकार का उपबन्ध किया जाये कि भ्रष्टाचार आदि के गंभीर आरोप लगाये जाने के छः मास पश्चात् न्यायालय में अभियोग चलाया जा सके ।

परन्तु मैं समझता हूं कि इस खण्ड में तीसरी श्रेणी को भी सम्मिलित कर लेना बहुत खतरनाक होगा । इस में तकाती, पटेल, अथवा गांव का साधारण मुखिया आदि सभी आ जाते ह । मुझे इस उपबन्ध में जो राजप्रमुखों और मंत्रियों आदि के लिए बनाया गया है एसी बात सर्वथा न्यायोचित दिखाई नहीं देती ।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

पहले परिस्थितियां भिन्न थीं । तब सरकारी कर्मचारी और पुलिस सर्वथा भिन्न श्रेणियां थीं । अब वैसी बात नहीं है । इस विधि के अधीन तो गांव का एक साधारण कर्मचारी भी कार्यवाही कर सकता है, क्योंकि इस में सरकार की सारी व्यवस्था को ही उस व्यक्ति के विरुद्ध कर दिया गया है जिस ने किसी कर्मचारी के विरुद्ध कुछ कहा हो । मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । जहां तक खण्ड २५ का सम्बन्ध है मंत्रियों आदि के विषय में तो कुछ औचित्य अवश्य है । परन्तु प्रवर समिति से मैं पूछता हूं कि उन्हों ने इतने विस्तृत अधिकार देने का निश्चय किस प्रकार किया ।

खण्ड २२ का सिद्धान्त बहुत ही खतरनाक है । यह कदापि वांछनीय नहीं है कि ऐसे वक्तव्य को वक्तव्यदाता के विरुद्ध प्रयोग किया जाये जिस का अभिलेख पुलिस ने तैयार किया होता है । उसे इस प्रकार प्रयोग करने की स्थिति तो तब पैदा हो सकती है जब उद्देश्य केवल अपराध सिद्ध करना नहीं, प्रत्युत न्याय करना हो । तभी यह संभव हो सकता है । आज भी हम देखते ह कि पुलिस द्वारा अभिलिखित वक्तव्य न्याय के उद्देश्य में सहायक होने की यबाज उस के लिए धिक हानिकर ही होते ह हम इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न कर रहे ह और न्यायपालिका को कार्यपालिका अलग करना चाहते ह । ऐसी परिस्थितियों में इस वषय पर विचार करने की आवश्यकता है ।

अवैतनिक दण्डाधीशों की संख्या के बारे में मैं यह समझता हूं कि धारा १४ को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिये । इस प्रणाली के परिचालन से जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है उस से पता चलता है कि केवल सेवा निवृत्त लोगों को नियुक्त कर देने से इस सारी प्रणाली का सुधार नहीं हो जायेगा । अवैतनिक दण्डाधीश तो केवल इसलिए रखे जाते थे कि वे जैसा सरकार चाहे वैसा कार्य करते रह । संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों का प्रतिवेदन मेरे सामने है जो कि उन के सामूहिक विवेक का प्रतिफल है । अतः मैं इसे डा० काटजू का विधेयक नहीं कहता ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया नामों का प्रयोग न करें । वे गृह-मंत्री कहें ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : महोदय, मुझे कैसे भी पुकारा जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे इस का अभ्यास हो गया है, यह प्रेम की अभिव्यक्ति है ।

श्री पाटस्कर : यह बहुत अच्छा होगा कि ऐसे मामलों में हम किसी व्यक्ति से भी अवैतनिक कार्य की आशा न करें ।

डा० काटजू : क्या माननीय मित्र की यह आपत्ति है कि किसी प्रकार के अवैतनिक कार्य की प्रत्याशा नहीं की जा सकती ?

श्री पाटस्कर : निस्सन्देह ।

डा० काटजू : नगरपालिकाओं में भी ?

श्री पाटस्कर : यह ऐसा कार्य नहीं है जिस के लिए किसी वेतन की आशा की जा सके । न्याय किसी की निश्शुल्क सेवा पर आधारित नहीं होना चाहिये । हम नहरों आदि की रचना में स्वेच्छापूर्ण श्रम का प्रयोग कर सकते हैं । परन्तु न्यायालय में अवैतनिक कार्य नहीं होना चाहिये ।

धारा १०७ के संशोधन को लीजिये । इस की उपधारा (२) का संशोधन इस प्रकार किया जा रहा है जिस का यह अभिप्राय है कि यदि आगरे का दण्डाधीश चाहे तो इस धारा के अधीन इस आधार पर एक सूचना जारी कर सकता है कि उसे भय है कि त्रावनकोर से आगरा आने वाला कोई व्यक्ति वहां आकर शान्ति भंग करेगा । इस का यह तर्क दिया जा सकता है कि आगरा पहुंच कर गड़बड़ करने वाले किसी व्यक्ति को पहले ही रोक देना श्रेयस्कर है । अतः इस के लिए उपबन्ध होना चाहिये । धारा १०७(१) में यह उपबन्ध है कि दण्डाधीश ऐसे व्यक्ति को यह कारण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि क्यों न उसे प्रतिभूति आदि सहित अथवा उस के बिना बन्धनामा भरने का आदेश दिया जाये । तब वह व्यक्ति अपने इस अधिकार के लिए आग्रह करेगा कि उसे आगरे आकर अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये । संभवतः अन्यथा वह व्यक्ति आगरे न आता और जिस शान्ति भंग की आशंका थी वह न होती ।

डा० काटजू : क्या आप को निश्चय है कि आगरे के दण्डाधीश को नोटिस देना पड़ेगा ?

श्री पाटस्कर : जी हां । मुझे तो उपबन्ध में यही स्थिति प्रतीत होती है । अतएव यह अधिक अच्छा होता कि यदि इस संशोधन की अपेक्षा पूर्व उपबन्ध को ही रहने देते ।

धाराएं १४५ और १४६ "अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद" शीर्षक के नीचे अध्याय १२ में है । धारा १४६ का जो रूप हमें प्रवर समिति से मिला है बड़ा विचित्र है । मूल उपबन्ध बहुत साधारण था । उस में यह दिया गया है कि यदि नागरिक अधिकारों के अतिरिक्त शांति भंग का भय हो तो आदेश जारी किया जा सकता है । अब प्रवर समिति ने इस धारा में दीवानी और आपराधिक मामलों को मिला दिया है । यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है । वर्तमान उपबन्ध के अधीन दण्डाधीश जांच करने के पश्चात् संप्रापक नियुक्त कर सकता है । इस स्थान पर दीवानी न्यायालय को ले आया गया है । कोई ऐसा निर्देश मिलने पर दण्डाधीश को मामला दीवानी न्यायालय के पास भेजना पड़ेगा । दीवानी न्यायालय पुनः साक्ष्य प्राप्त करेगा और फिर आगे की एक एक धारा के अनुसार किसी पक्ष के इस अधिकार पर रोक नहीं होगी कि वह दीवानी न्यायालय में अभियोग चला सके । तब यदि कोई व्यक्ति आवश्यक सहायता के लिये अभियोग चलाये तो वही दीवानी न्यायालय उस व्यक्ति की पुनः परीक्षा करेगा । मैं नहीं समझ सका कि ऐसा मिश्रण क्यों किया गया है ।

क्या यह वांछनीय, उचित और न्यायपूर्ण है कि वही न्यायालय बाद के अभियोग में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियोजित उसी व्यक्ति की परीक्षा करे । सभी दृष्टिकोणों से विचार करने पर मैं इस संशोधन के उपयोग को नहीं समझ सका । आप दण्डाधीश को यह अधिकार दे सकते थे कि वह विधि सम्बन्धी किसी विशेष जटिल प्रश्न पर राय प्राप्त करने के लिए अभिलेख न्यायाधीश के पास

[श्री पाटस्कर]

भेज दे। पर यहां तो ऐसा मिश्रण है कि मामला अंशतः आपराधिक न्यायालय के पास और अंशतः दीवानी न्यायालय के पास रहेगा और वह फिर दीवानी न्यायालय के पास आयेगा।

खण्ड २३ पुलिस द्वारा जांच के सम्बन्ध में है जिस में धारा १७३ का संशोधन किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है। उपधारा (५) में कहा गया है कि यदि पुलिस पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी वक्तव्य का कोई अंश जांच के विषय से प्रासंगिक नहीं है और उसे अभियुक्त को दिखाना न्याय और लोकहित में आवश्यक नहीं है, तो वह उस अंश को निकाल देगा। क्या यह निर्णय पुलिस पर छोड़ देना चाहिये कि वह अंश जांच के विषय से प्रासंगिक नहीं है? क्या इस का निर्णय पुलिस को ही करना चाहिये जिसे उस व्यक्ति पर अभियोग चलाना है? प्रासंगिक होने का निर्णय तो या अभियुक्त की ओर से किसी को करना चाहिये या फिर यह निर्णय दण्डाधीश को करना चाहिये। इस उपबन्ध के अनुसार न्याय के हित का निश्चय अभियुक्त नहीं वरन् पुलिस करेगी। यह आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के कदापि अनुकूल नहीं है। निस्सन्देह, मैं उन लोगों से सर्वथा सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि अभियुक्त को सभी कुछ बता देना चाहिये। परन्तु पुलिस यह निर्णय नहीं दे सकती कि क्या प्रासंगिक नहीं है और क्या बात न्याय के हित के अनुकूल है क्योंकि न्याय तो उस अभागे अभियुक्त के साथ किया जाना है न कि अभियोग्यता के साथ। इस उपबन्ध पर सभी को उन सामान्य सिद्धान्तों की दृष्टि से विचार करना चाहिये जो गत बहुत से वर्षों से इस देश में लागू हैं।

समर्पण कार्यवाही के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश में बहुत चीख-चिल्लाहट के पश्चात् की गई समर्पण व्यवस्था अभियुक्त के लिए दैवीय प्रसाद था। परन्तु इस के साथ ही उस अभागे की जांच पहले पुलिस करती है, फिर दण्डाधीश के समक्ष वक्तव्य लिया जाता है और इस का तीसरा वक्तव्य फिर लिया जाता है और चौथी बार उसे न्यायालय के पास जाना पड़ता है। स्वभावतः वह घबरा जाता है। अतः मेरा यह सुझाव है कि समर्पण कार्यवाही को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिये। यहां पुलिस द्वारा आरम्भ की गई समर्पण कार्यवाहियों और गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा आरम्भ की गई समर्पण कार्यवाहियों में भेद किया गया है। इस की क्या आवश्यकता थी। विधेयक में अधिकाधिक जटिलताएं अनावश्यक रूप से भर दी गई हैं। मैं इसे अच्छा समझता हूं कि पुलिस सीधे ही मामला सत्र न्यायालय में ले जाये। इस में कोई हानि नहीं। परन्तु इसमें किये गये भेद को मैं नहीं समझ सका।

इस सम्बन्ध में मैं एक और कठिनाई देखता हूं। वह यह है कि इस बात का कौन निर्णय करेगा कि मामला सत्र न्यायालय के पास जाना चाहिये अथवा नहीं। भारत में इंग्लैण्ड के समान सार्वजनिक अभियोजन का एक निदेशक भी नहीं नियुक्त किया जा सकता क्योंकि यह देश बहुत बड़ा है।

डा० काटजू : औचित्य प्रश्न के हेतु। क्या यह अधिक अच्छा न होगा कि इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा उस समय के लिए स्थगित रखी जाय जब खंडवार विचार किया जायगा?

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : यहां हम माननीय गृह-मंत्री से सहमत हैं।

डा० काटजू : अन्यथा वह अपने भाषण को जारी रख सकते हैं। मेरे माननीय मित्र को उन का पूरा समय मिलेगा और उसी प्रकार प्रत्येक को पूरा समय मिलेगा।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : इस विषय पर हम माननीय मंत्री से सहमत हैं कि यह खंडवार विचार के समय तक के लिये स्थगित किया जा सकता है ।

श्री पाटस्कर : मैं सभी विस्तारों का नहीं, बल्कि केवल कुछ मुख्य तथ्यों का निर्देश करने जा रहा था । माननीय गृह-मंत्री तथा अन्य सदस्यों की इच्छानुसार अब मैं संशोधनों के प्रस्तुत होने पर ही उन के विषय में कहूंगा । किन्तु मैं माननीय गृह-मंत्री को यह अवश्य ही बता देना चाहता हूं कि मैं उन से इस विषय में सहमत हूं कि यह सब भेदभाव रहने की अपेक्षा सभी अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाहियां समाप्त कर दी जायें ।

डा० काटजू : मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र खंडों पर चर्चा के समय बोलेंगे और उस समय उन के दृष्टिकोण के जानने में मुझे प्रसन्नता होगी ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा --रक्षित--अनुसूचित जातियां): मानहानि के खंड के बारे में क्या है ?

श्री पाटस्कर : उस के सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं । संभवतः माननीय सदस्य उस समय यहां नहीं थे । अब मैं ज्यूरी और असेसर प्रथा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । असेसर प्रथा समाप्त की जा रही है किन्तु ज्यूरी प्रथा को किसी परिवर्तित रूप में रखने का प्रयत्न किया जा रहा है । उस से सम्बन्धित उपबन्धों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता किन्तु यदि हम ज्यूरी प्रथा नहीं चाहते हैं तो उसे हम सीधे समाप्त कर दें । इंग्लण्ड में ज्यूरी प्रथा का बिलकुल भिन्न आधार है और हमारी कल्पना उस प्रथा के बारे में भिन्न होने के कारण उसे पूर्णतया समाप्त कर देने में कोई हानि नहीं है । यदि आप उसे रखना चाहतेहों, तो उसे सचित रूप में रखें । अन्यथा मैं यह कहूंगा कि वह पूर्णतया समाप्त कर दी जाय ।

मैं संक्षेप में इस विधेयक के बारे में, जो सरकार का नहीं वरन् प्रवर समिति का सामूहिक निर्माण है, निवेदन करता हूं । इस प्रतिवेदन के अध्ययन के पश्चात् मैं यह देखता हूं कि इस विधेयक में प्रक्रिया सरल होने के बजाय और अधिक जटिल हो गयी है । इस के बाद, उस में बहुत अधिक संशोधन हैं जो व्यवहार तथा दांडिक प्रक्रियाओं का विचित्र मिश्रण हैं । दुर्भाग्यवश अवैतनिक न्यायाधीशों की प्रथा किसी न किसी रूप में रखी जा रही है । सभी बातों पर विचार करने पर मेरी समझ से कुछ मामलों में उन से अभियुक्त को लाभ हो सकता है और कुछ मामलों में अभियोग चलाने वाले पक्ष को । इस से न तो शीघ्रता का और न सस्ते न्याय का उद्देश्य ही पूर्ण होगा इस विधेयक के बारे में यही मेरा निवेदन है ।

अब इस विधेयक को प्रवर समिति के पास पुनः भेजने के सम्बन्ध में, मैं नहीं समझता कि ऐसा करना ठीक है क्योंकि पुनः भेजने पर भी वही परिणाम होगा और इस बात की कोई प्रत्याभूति नहीं है कि कोई भिन्न परिणाम होगा । मैं चाहता हूं कि एक भिन्न दृष्टिकोण से इसे देखा जाय और जब तक ऐसा भिन्न दृष्टिकोण नहीं होगा मुझे विश्वास है कि कोई भी सुधार करना संभव नहीं होगा । इस विधेयक की ओर किसी दल अथवा इस विभाग या उस विभाग के हितों के दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये वरन् न्यायशास्त्र के उन सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये जो गत अनेक वर्षों से क्रियाशील हैं और जिन में विकासपूर्ण, समयानुसार, क्रमशः परिवर्तन करने की आवश्यकता है । मेरे विचार से सभा के सभी सदस्यों का ऐसा विचार है । सफलता की संभावना हो सकती है और यह विधेयक अधिक अच्छे रूप में रखा जाना चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं श्री पाटस्कर से इस बारे में सहमत हूं कि इस विधेयक को कोई दल-विधेयक नहीं समझा जाना चाहिये और दलगत विचारधारा से इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के लिए कोई आदेश नहीं दिया जायगा और सभा में स्वतन्त्र मतदान होगा ।

इस विधेयक का करोड़ों व्यक्तियों के जीवन और उन के कल्याण पर प्रभाव पड़ेगा और बहुत अंशों तक नागरिक स्वतन्त्रता गड़बड़ी में पड़ जायगी । जब तक कि एक उपयुक्त दंड प्रक्रिया संहिता संविधि पुस्तक पर नहीं होगी, स्वतन्त्र कानून में प्रचलित आपराधिक न्यायशास्त्र की उपयुक्त पद्धति के निर्माण से ही सारा लोकतंत्रात्मक जगत् भारत की परख करेगा ।

लार्ड मैकाले, सर फिट्ज जेम्स स्टिफेन अथवा सर बर्न्स पीकाक जसे ब्रिटिश वकीलों ने एक विशेष उद्देश्य से बहुत बड़ा कार्य किया है । वे पुलिस राज्य स्थापित करना चाहते थे और औपनिवेशिक अथवा साम्राज्यवादी व्यवस्था के हितों की रक्षा करना चाहते थे । उस दृष्टिकोण से दंड प्रक्रिया संहिता बहुत अच्छी थी । उन का यह भी उद्देश्य था कि सफाई पक्ष को कुछ आवश्यक संरक्षण दिये जायें जिस से कि अभियुक्त की उचित सुनवाई हो सके और उसे सफ़ाई की पूरी पूरी सुविधायें मिलें । मुझे खेद है कि माननीय गृह-मंत्री ने हमारे परामर्श की ओर ध्यान नहीं दिया है ।

हम ने यह भी प्रतिपादन किया था कि एक विधि-आयोग नियुक्त किया जाय, वह सारे देश का पर्यटन करे, और विभिन्न वकीलों, न्यायाधीशों और अन्य हितों से विचार विमर्श कर के एक उचित विधेयक प्रस्तुत करे और तब उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । मेरा अब भी यही निवेदन है कि वह अधिक अच्छा और अधिक अपेक्षित मार्ग होगा । हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि संसद् के ५० सदस्यों ने यह सुझाव रखा था और मैं पूर्णरूप से उस सुझाव का समर्थन करता हूं । किन्तु मुझे इस पर आश्चर्य होता है कि यदि विधि-आयोग सचमुच नियुक्त किया जाता है तो क्या इस विधेयक के लिए शीघ्रता करना वांछनीय है ? वास्तव में यह भारतीय दंड विधान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, शपथ अधिनियम के साथ विचित्र प्रकार से उलझा हुआ है । क्या यह अधिक अच्छा न होता कि एक विस्तृत परिमापन किया जाता और विभिन्न विधेयकों में विस्तृत संशोधन किये जाते और विधि-आयोग जैसी विशेषज्ञों की संस्था का प्रतिवेदन हमारे समक्ष होता ? मैं यह नहीं जानता हूं कि उस के निर्देश पद क्या होंगे किन्तु मैं आशा करता हूं कि वह विधि विशेषज्ञों की स्वतंत्र संस्था होगी और वहां किसी दल विशेष के कार्य करने का प्रश्न ही नहीं रहेगा और वास्तव में पुरानी विधियों को समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र के आधुनिक आदर्शों के अनुरूप करना ही उस का प्रधान कार्य होगा । मैं पुराने विचारों और मध्य-विक्टोरिया कालीन कल्पनाओं से आज के लिये उपयुक्त न्यायप्रणाली स्थापित नहीं की जा सकती है । मुझे सन्देह है कि इस विधेयक के निर्माता पुरानी कल्पनाओं से बहुत प्रभावित थे । मेरा निवेदन है कि विधि में योजना होनी चाहिये । हमारी विधि प्रथा में कोई योजना नहीं है और विधि में सुधार के लिए हमारे प्रयत्नों में भी कोई योजना नहीं है ।

भारत के संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद १३ में कहा है कि कोई भी वर्तमान विधि जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, शून्य घोषित की जायेगी । यह एक गंभीर बात है । मैं आशा करता था कि भारत सरकार और भारतीय संसद् वर्तमान संविधियों को मूलभूत अधिकारों के अनुरूप बनाने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त करेगी । किन्तु वह नहीं किया गया है ।

परिणाम यह हुआ है कि बहुत असंतोषजनक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अनेक संविधियों को असंवैधानिक तथा शक्तिपरस्तात् घोषित कर दिया है क्यों कि वे मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध पायी गयी थी। अतः हमारी विधियों को मूलभूत अधिकारों के अनुरूप बनाने के लिए माननीय गृह-मंत्री की ओर से किसी प्रयत्न का भी हम स्वागत करते हैं। अंतः मेरे विचार से यह अपेक्षित है कि हम अपनी विधियों को मूलभूत अधिकारों तथा समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र की आधुनिक कल्पनाओं के अनुरूप बनायें जिस से कि एक कल्याण राज्य की स्थापना हो।

अतः मेरा निवेदन है कि मूलभूत सुधार किये जायें और शीघ्र ही विधि आयोग नियुक्त किया जाय। यदि सभा इस के लिए आदेश दे तो यह अपेक्षित होगा कि हम तब तक इस विधेयक पर विचार स्थगित रखें जब तक हमारे समक्ष विस्तृत-प्रतिवेदन न हों।

मैं मानता हूं कि इस विषय में वकीलों का और खासकर संसद् के वकील सदस्यों का विशेष उत्तरदायित्व है। साधारणतया वकीलों पर यह आरोप लगाया जाता है कि विधि में सुधार किये जाने के मार्ग में इस पेशे के लोग हमेशा एक रोड़े के रूप में हैं। यह केवल भारत में ही नहीं है। प्रो० लास्की ने अपनी पुस्तक "अमेरिकन डेमोक्रेसी" में कहा है कि सब से अधिक अड़चन वकालत पेशे के निहित हितों की होती है। मैं आशा करता हूं कि भारत में वकालत पेशे के लोग नवीन कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे और भारत सरकार को तथा संसद् को हमारी विधि प्रणाली के पुनरुद्धार के कार्य में सहायता देंगे। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि इस देश में यह भावना है कि यह विधेयक एक "पुलिस विधेयक" है और राज्य की दमनकारी प्रणाली को अधिक कठोर बनाने के लिये यह प्रस्तुत किया गया है। वे यह सोचते हैं कि दमन का नया औजार बनाने के लिए एक प्रकार का कल्कि अवतार हुआ है। कई बार मुझे यह बताया गया कि डा० काटजू का विधेयक वास्तव में ब्रिटिश न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त को, जिस पर कि भारतीय विधि की सारी प्रणाली अधिनियमित है, समाप्त कर देना चाहता है और वे फ्रान्सीसी प्रणाली लागू करना चाहते हैं। मैं ने इस भावना को दूर करने का यथा संभव प्रयत्न किया है। मैं ने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि माननीय गृह-मंत्री अथवा भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि पुलिस विधेयक पुरःस्थापित किया जाय अथवा ऐसा कुछ किया जाय जिस से कि राज्य की दमनकारी प्रणाली अधिक कठोर हो।

इस के अतिरिक्त इस विधेयक के कतिपय ऐसे अंग हैं जो सभी लोकतंत्रात्मक कल्पनाओं के प्रतिकूल हैं। इस से इस देश में लोकतन्त्र तथा सामाचारपत्रों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी। संविधान के अनुच्छेद १९ में इस कथन का क्या हाथ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण स्वातन्त्र्य तथा मत-स्वातन्त्र्य प्रत्याभूत है? पंडित नेहरू के इस कथन से कि वह भारत में वर्गविहीन तथा जातिविहीन समाज चाहते हैं, क्या लाभ है जब कि मंत्रियों का वर्ग एक विशेष हो, उन के लिये विशेष विधि हो क्यों कि स्वतंत्र आलोचना से कुछ मंत्रियों अथवा सरकारी कर्मचारियों की मानहानि होती है? मेरा तो यह विचार था कि ऐसे देश में जहां घूसखोरी, भ्रष्टाचार, पक्षपात, आदि का बोलबाला हो और जहां मंत्रीगण भी सन्देह से परे नहीं हैं, यह प्रमुख सिद्धान्त होना चाहिये कि वे आलोचना का स्वागत करें। माननीय गृह-मंत्री यहां यह घोषणा करें कि वह मंत्रियों के लिये कोई विशेषाधिकार, कोई उन्मुक्ति अथवा विशेष संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और तब इस

[श्री एन० सी० चटर्जी]

विधेयक के प्रति बहुत कुछ विरोध अपने आप समाप्त हो जायगा (**अन्तर्बाधा**) ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

वास्तव में स्थिति यह है कि देश में सरकार तथा माननीय गृह-मंत्री के सच्चे आशय के बारे में बहुत अंशों तक सन्देह है क्यों कि गृह-मंत्री ने एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जिस के द्वारा वह मंत्रियों को बचाना चाहते हैं। यह कहा जाता है कि सुधार हुआ है, परन्तु क्या सुधार हुआ है ? मंत्री की मान हानि अब एक हस्तक्षेपीय अपराध नहीं है । यह एक वाहियात दलील है । आप केवल विभिन्न श्रणियों में वर्गीकरण कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मंत्रियों के लिये एक बहुत बड़ा संरक्षण रख रहे हैं। खंड २५ में क्या संरक्षण है ? उस में कहा गया है कि मंत्री के मामले में मंत्रि परिषद् के सचिव से पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है । क्या यह कोई संरक्षण है कि मंत्री के मामले में कोई अभियोग तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि मंत्रि परिषद् का सचिव मंजूरी न दे दे । यह बिलकुल निरर्थक प्रक्रिया है । क्या उस से यह आशा करना संभव है कि इस से शुद्ध और स्वतंत्र न्याय होगा ? आखिर मंजूरी क्या है ? न्याय तथा विधि के प्रशासन से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति जानता है कि मंजूरी केवल अवरोध हटा लेने का नाम है। वह कैसे कह सकता है कि मैं अभियोग चलाने का अधिकार पत्र नहीं दूंगा । अतः सारी कल्पना ही गलत है । मैं माननीय गृह मंत्री से अपील करूंगा कि वह इसे तत्काल रद्द कर दें। इस से बहुत अंशों में सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा । तब लोग यह समझेंगे कि यह विधेयक वास्तव में मंत्रियों का संरक्षण विधेयक नहीं है । अभी, यह क्या है ? कोई अदालत मानहानि के अपराध में तब तक स्वयं उपक्रम नहीं कर सकती जब तक कि पब्लिक प्रासीक्यूटर द्वारा लिखित शिकायत न की गई हो ।

डा० काटजू : क्षमा करें, श्रीमान्; निजी शिकायत की जा सकती है और उस के लिए कोई रुकावट नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ यह कहता हूं कि केवल इसलिये कि किसी एक मंत्री ने घूस ली है, यह एक व्यक्तिगत अपराध है और वह सामने आ कर अपने को निर्दोष सिद्ध करे । यदि कोई मंत्री यह कहे कि 'क' ने संसद् सदस्य होने के नाते घूस ली है, तो 'क' अभियोग लगाये और अपने को निर्दोष सिद्ध करे । किन्तु यदि वह संसद् सदस्य यह कहे कि 'क' अथवा 'ख' ने मंत्री होने के नाते घूस ली है, तो यह प्रणाली उचित नहीं है और यह तरीका भी ठीक नहीं है । वहां राज्य अभियोगी है और संगठित सरकार अभियोग चलाने वाली है। वास्तव में यह विधेयक हमारी सरकार और हमारे सार्वजनिक जीवन के काले धब्बों की कालिमा को कम करने के लिए बनाया गया है । मेरा निवेदन है कि इस से प्रत्याभूत समानता-स्वातन्त्र्य के विरुद्ध भेदभाव उत्पन्न होता है। यह हमारे संविधान के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

इस से बहुत अंशों तक स्वच्छ और स्वतन्त्र निर्वाचन असंभव हो जायगा । इस से भारतीय समाचार पत्रों का गला घोंट दिया जायगा । हम सभी जानते हैं कि यह विरोध को दबाने के लिये बनाया गया है। राजनीतिक दलों पर आघात करने के लिये यह बनाया गया है । यह एक आश्चर्यपूर्ण बात है कि जब हम यह कहते हैं कि लोक तंत्रात्मक सरकार में, जहां उत्तरदायी सरकार कार्य करती है, इस प्रकार के विशेष संरक्षण चाहियें। यह कह कर कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अवश्य अभियोग लगाना होगा, हम उन के लिए

लिय विशेष संरक्षण दे रहे हैं। अतः मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह पूर्ण रूप से प्रतिगामी है। लोकतन्त्र के नाम पर मैं मांग करता हूं कि इसे तुरन्त रद्द कर दिया जाय। इस प्रकार के विधेयक पर चर्चा करना वास्तव में संसद् के लिए अपमानजनक है। इस से समाचारपत्रों पर, विरोधी दलों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस से बहुत अंशों तक मंत्रियों और सरकार की आलोचना करने के जनता के अधिकार छीन लिये जायेंगे। मेरे विद्वान् मित्र श्री पाटस्कर ने एक वाक्य कहा कि लोकतन्त्र में विरोधी दल मंत्रियों पर आक्रमण कर सकते हैं। संसार में कोई लोकतंत्रात्मक देश मुझे दिखाइये जहां मंत्रियों के लिए ऐसा संरक्षण हो। किसी देश में मंत्रियों के मानहानि के सम्बन्ध में ऐसे परित्राण नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि मंत्रियों की आलोचना केवल भारत में ही की जाती है और किसी देश में नहीं की जाती है, या यह कि यह आज ही होने लगी है और पहले कभी नहीं होती थी। सन् १९२० से ले कर १९४७ तक अंग्रेज़ों के शासन काल में कांग्रेस नेताओं ने मंत्रियों की कटु से कटु आलोचना की परन्तु अंग्रेज़ों ने भी कभी ऐसा विधान नहीं बनाया था।

दक्षिण के कुछ सदस्यों से मुझे पता चला है कि राजाजी इस प्रकार के परित्राणों के विरुद्ध हैं। मैं कह नहीं सकता हूं कि यह कहां तक ठीक है परन्तु यदि ऐसा है तो यह बात हमें बताई जानी चाहिये। मैंने यह भी सुना है कि बंगाल तथा बंबई ने भी इस प्रकार के परित्राणों का विरोध किया है।

आपराधिक विधि संहिता कितनी ही पूर्ण क्यों न हो उस के कोई भी मनोरथ उस समय तक पूरे नहीं होंगे जब तक तीन बातें न की जायें। पहली, तो यह है कि जांच करने वाले संगठन को फिर से बनाया जाये जिस से कि उस के दोष दूर हो सकें। दूसरी बात यह है कि जांच का कार्य किसी अधिकारी के द्वारा कराया जाये जो क़ानून से भली प्रकार परिचित हो। तीसरी बात यह है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का तत्काल पृथक्करण कर दिया जाये। डा० काटजू जब बंगाल के राज्यपाल थे तो उन्हों ने स्वयं दिसम्बर १९४९ में "हिन्दुस्तान स्टन्डर्ड" में अपने एक लेख में जिस का शीर्षक, "न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण" था, कहा था कि प्रत्येक प्रकार के फौज़दारी अभियोगों के लिये न्यायिक दण्डाधीश नियुक्त करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये, लोक सेवा आयोग के द्वारा उन की परीक्षा ली जाये तथा उस की सिफारिशों के आधार पर उन की नियुक्ति की जाये; कार्यपालिका के नियंत्रण से उन को पूर्ण रूप से मुक्त रखा जाये जिस से कि वे बिना किसी पक्षपात के, हस्तक्षेप या दबाव के, मुक़दमों पर विचार कर सकें और उन पर किसी प्रकार दबाव न डाला जा सके। माननीय गृह कार्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि उन्हों ने जो उद्गार प्रकट किये थे उन्हीं को कार्यरूप में परिणत करें।

जहां तक हमें ज्ञात है, कांग्रेस ने हमेशा अपने वार्षिक अधिवेशनों में इसी मांग को दुहराया था। अंग्रेज़ों ने कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को इस लिये एक में मिलाया था क्योंकि वह पुलिस का राज्य चाहते थे, धारा १४४ का प्रयोग करना चाहते थे तथा कुछ और धाराओं को केवल कार्यपालिका के आदेश से ही लागू करना चाहते थे। क्या स्वतंत्र भारत में भी हम यही कुछ करना चाहते हैं।

कहा जाता है कि धारा ३० का हम ने सुधार कर दिया है। यह शक्ति अभी तक कुछ राज्यों में केवल ज़िलाधीशों को, प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारियों को, तथा प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारियों को ही दी गई थी। परन्तु

[श्री एन० सी० चटर्जी]

अब प्रत्येक राज्य की सरकार को विशेष दण्डाधिकारी बनाने का अधिकार दिया जा रहा है । मैं तो कहता हूं कि यह संविधान के विरुद्ध है । भारत के उच्चतम न्यायालय में एक ऐसा मुकदमा पेश था जिस में यही विवाद का विषय था कि धारा ३० विधि के अनुकूल है या नहीं । दो दिन तक इसी पर विचार होता रहा और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । अनवर अली सरकार बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य के मुक़दमे में उच्चतम न्यायालय घोषित कर चुकी है कि विशेष आपराधिक न्यायालय अधिनियम संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार शक्ति परस्तात् है क्योंकि कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता को यह कहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि अमुक के मुक़दमे की सुनवाई साधारण न्यायालय में होगी और अमुक मुक़दमे की सुनवाई विशेष न्यायालय में होगी ।

धारा ३० में हम क्या कर रहे हैं । उदाहरण के लिये दंड विधान की धारा ४७३ को लीजिये जिस के अनुसार जालसाज़ी करने के लिये किसी सील मुहर इत्यादि का बनाना या उस की नक़ल तयार करना ऐसा अपराध है जिस के लिये सात वर्ष तक का, दोनों में से किसी प्रकार का, कारावास दण्ड दिया जा सकता है, तथा ऐसे मुक़दमे की सुनवाई सेशन न्यायालय में ही हो सकती है । अब धारा ३० में जो सुधार किया गया है उस के अनुसार उच्च न्यायालय की मंजूरी से ऐसे मुक़दमों की सुनवाई का अधिकार उन प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को दिया जा सकता है जो दस वर्ष से काम कर रहे हैं । धारा ३० के दण्डाधिकारी बंगाल में कभी नहीं होते थे और न बम्बई या मद्रास में होते थे । धारा ३० केवल अवध, पंजाब, आसाम तथा कुछ अन्य भाग (ग) में के राज्यों में ही लागू थी । साधारणतय: ऐसे मक़दमों की सुनवाई, जैसे धारा ४७३ के मुक़दमे, सेशन न्यायालयों में ही होती है । अब आप यही अधिकार विशेष दण्डाधिकारियों को दे रहे हैं । इस विधि में कोई ऐसी विवशता नहीं है कि धारा ४७३ का प्रत्येक मुक़दमा विशेष दण्डाधीश के पास भेजा ही जाये । इस लिये इस सम्बन्ध में जो भी शक्ति प्राप्त होगी वह पुलिस या कार्यपालिका के हाथ में होगी ।

डा० काटजू : यदि उच्चतम न्यायालय इसे शक्ति परस्तात् घोषित कर देगा तो हम उस का पालन करेंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं केवल टेकनिकल दृष्टिकोण से यह बात नहीं कह रहा हूं कि यह शक्ति परस्तात् है । उच्चतम न्यायालय में जो मामला पेश है उस में सेशन जज ने धारा ५२८ के अनुसार यह आदेश दिया था कि यह मामला एक विशेष प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के पास भेज दिया जाये । बहस यह थी कि वैसे भी धारा ३० शक्ति परस्तात् है । इसलिये हो सकता है कि इस मामले में वह इस के सम्बन्ध में कोई मत न प्रकट करें कि धारा ३० विधि के अनुकूल है या नहीं, क्योंकि जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय इस प्रकार का कोई आदेश देता है तो समझा यह जाता है कि यह कार्य न्यायपालिका का है कार्यपालिका का नहीं है । मेरा तो कहना है कि धारा ३० की आवश्यकता ही क्या है । अंग्रेज़ों ने धारा ३० इसलिये बनाई थी कि वह कुछ मामले सेशन न्यायाधीश के पास न भेज कर उन दण्डाधिकारियों के पास भेजें जो उन का प्रभाव मानते थे ।

डा० काटजू : दण्डाधिकारी तो सभी स्वतंत्र तथा ईमानदार हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साठ साल से बराबर न्यायपालिका तथा कायपालिका के पृथक्करण

की मांग करती रही और स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् स्वयं डा० काटजू ने विश्वास दिलाया था कि यह कार्य तत्काल ही किया जायेगा । यदि आप पूर्ण पृथक्करण नहीं कर सकते हैं तो न्यायिक दण्डाधिकारी तत्काल ही नियुक्त कीजिये ।

डा० काटजू : न्यायिक दण्डाधिकारी बहुत से राज्यों में नियुक्त किये जा रहे हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : तब धारा ३० की कोई आवश्यकता नहीं होगी । धारा ३० की आवश्यकता तभी होती है जब न्यायपालिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से सम्बद्ध हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण हो जाने पर क्या माननीय सदस्य इस पर राज़ी होंगे कि प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी सेशन के मामलों का भी निर्णय करें ?

श्री एन० सी० चटर्जी : सच तो यह है कि मैं धारा ३० के ही पक्ष में नहीं हूं । अब इस शक्ति को सौंपने के लिये यह शर्त रखी गई है कि उन्हों ने दस वर्ष तक प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के रूप में कार्य किया हो । ध्यान देने की बात है कि जो दस साल काम करने के बाद भी प्रथम श्रेणी का दण्डाधिकारी ही बना रहे उस में क्या योग्यता हो सकती है ।

उच्च न्यायालय के आधीन जब समुचित न्यायपालिका कार्य करती हो तो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों को आप चाहे जो अधिकार दें परन्तु धारा ३० के अंतर्गत ज़िलाधीश के नामनिर्देशित व्यक्तियों को इस प्रकार की शक्तियां सौंपना उचित नहीं है ।

अब मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री का ध्यान खण्ड २९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो धारा २०७ तथा २०७(क) से सम्बन्धित हैं । इस खण्ड के अनुसार दण्डाधिकारी उन व्यक्तियों के बयान लिखेगा जो वास्तविक अपराध के साक्षियों के रूप में अभियोगी पक्ष द्वारा पेश किये जायें । इसी खण्ड के उपखण्ड ५ में जो उपबन्ध रखा गया है वह बड़ा ही विचित्र है, कि अभियुक्त को साक्षियों से कोई प्रश्न करने का अधिकार नहीं होगा । इस के बाद उपखण्ड ७ के अनुसार इन बयानों के लिखे जाने के बाद, काग़ज़ात की जांच करने के बाद, अभियोगी पक्ष तथा अभियुक्त की बहस सुनने के बाद यदि दण्डाधिकारी की राय हो कि अभियुक्त पर मुक़दमा चलाया जाये तो वह स्वयं दोषारोपण पत्र की पूर्ति करेगा तथा यह घोषित करेगा कि अभियुक्त पर किस अपराध के करने का दोष लगाया जाता है । मूल विधेयक में डा० काटजू ने सिफारिश की थी कि अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है । अब उस को बदल दिया गया है । अब अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक होगी । प्रारम्भिक न्यायालय में आमतौर से वकील जिरह नहीं करते हैं । परन्तु यह उन की इच्छा की बात है, उन को जिरह करने का अधिकार प्राप्त है । परन्तु इस कानून के द्वारा तो उन से यह अधिकार ही छीना जा रहा है । विधि के शब्द हैं कि अभियुक्त किसी भी साक्षी से कोई प्रश्न कर सकता है । कभी कभी प्रारम्भिक न्यायालय में भी जिरह की जाती है । कलकत्ते में जब साम्प्रदायिक दंगा हुआ था तो मुझ उस समय का एक मामला याद है । श्री जालान, वहां का एक विख्यात व्यक्ति, किसी मामले में फंस गया था और वह बिना किसी दोषारोपण के ही छोड़ दिया गया केवल इस लिये कि यह दिखाने के लिये कुछ प्रश्न किये गये कि उक्त व्यक्ति उस जगह उपस्थित था ही नहीं ।

जहां तक धारा १६२ का सम्बन्ध है मैं स्वीकार करता हूं संयुक्त प्रवर समिति ने सुधार किया है क्योंकि सुझाव बड़ा ही विचित्र था कि धारा १६२ का निरसन कर

[श्री एन० सी० चटर्जी]

दिया जाये, परन्तु अब निर्णय किया गया है कि धारा १६२ को रहने दिया जायेगा। जो बयान पुलिस के सामने दिये जाते हैं उन का प्रयोग वास्तविक गवाही के रूप में नहीं किया जा सकता है। डा० काटजू के मूल विधेयक में बहुत भारी परिवर्तन किया गया है कि पुलिस के सामने दिये गये बयानों का प्रयोग किसी भी कार्य के लिये किया जा सकता है। इससे देश में एक तहलका मच गया और इस का इतना विरोध किया गया कि समिति ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। वास्तव में पुलिस इतनी बदनाम है कि न्यायाधीशों ने कहा है कि पुलिस के द्वारा लिये गये बयानों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। समिति ने जो परिवर्तन किया है उस के अनुसार अभियुक्त तथा अभियोगी पक्ष दोनों ही पुलिस के सामने दिये गये बयानों का प्रयोग प्रतिवाद करने के लिये कर सकते हैं। परन्तु है यह बहुत विचित्र बात क्योंकि अभियोगी पक्ष स्वयं अपने साक्षियों से जिरह नहीं कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह परन्तुक प्रतिषोषक के लिए कैसे व्यवहार में लाया जा सकता है ? इस परन्तुक के बिना भी पहला बयान काम में लाया जा सकता है।

श्री एन० सी० चटर्जी : न्यायाधीश बॉलिस्टर तथा ब्रौंड ने बताया कि "यह बयान बड़ी लापरवाही के साथ लिखे जाते हैं तथा अपने विचारों के अनुसार उन में जहां तहां परिवर्तन भी किये जाते हैं"। इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं लिये जाते हैं, ये बाद में किसी मुंशी आदि के द्वारा लिख लिये जाते हैं। मान लीजिये कोई गवाह अभियोजन के समय सत्य बात बता देता है जो कि पुलिस के बयान के बिल्कुल विपरीत हो तो उस गवाह को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिये गये झूठे बयानों से अभियुक्त को बचाने का कार्य ही धारा १६२ करती है। इसलिये इन बयानों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये।

इस के पश्चात्, मेरा निवेदन यह है कि अभियुक्त किये गये अपराध के कारण ही दण्ड का भागी होता था ऐसा ही प्रचलित न्यायशास्त्र का भी मत था। परन्तु अब दण्ड देने से पहले अभियुक्त की आर्थिक दशा वंशानुक्रम, स्थिति आदि के सम्बन्ध में भी विचार किया जाता है। माननीय गृह मंत्री यह ठीक ही कहते हैं कि यह बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इतने व्यक्ति बिना किसी प्रकार का मुक़दमा चलाये जेल में बन्द कर दिये जाते हैं। मझे इस का बहुत अनुभव है। डा० मुखर्जी के साथ साथ मुझे भी जैल में बन्द किया गया था परन्तु उच्चतम न्यायालय के आदेश पर छोड़ दिया गया था। उस समय दिल्ली जेल में ऐसे क़ैदियों की संख्या ६०० थी। परन्तु कुछ दिनों के पश्चात् जब मुझे दुबारा पकड़ा गया तब मैं ने ऐसे क़ैदियों की संख्या १००० से भी अधिक पाई। इस का तात्पर्य यह है कि जेल की आधी आबादी ऐसे ही व्यक्तियों की है।

पहले एक दण्डाधिकारी का क्षेत्राधिकार सीमित होता था परन्तु अब आप ऐसा खण्ड प्रस्तुत कर रहे हैं जिस के अनुसार दिल्ली का एक दण्डाधिकारी त्रावनकोर-कोचीन के व्यक्ति को भी आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश के दिये जाने से पहले पूर्ण जांच की जानी चाहिये। एक केन्द्रीय जांच संस्था स्थापित की जानी चाहिये। पुलिस को गाली देने से काम नहीं चलेगा।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ–दक्षिण) : दंड विधि के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। एक राज्य की सुरक्षा तथा दूसरा व्यक्ति की स्वतंत्रता। जब कोई दूसरा राष्ट्र राज्य

करता हो तो वह दंड विधि को अधिक से अधिक कष्टदायक बनाने का प्रयत्न करता है जिस से कि जनता डरती रहे और विरोध करने का साहस न करे। परन्तु अंगरेज़ों ने अपनी बुद्धिमानी के कारण, जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए उत्तम न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की। उन्होंने अभियुक्त को अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने का अधिकतम अवसर दिया। इसलिये जनता की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने के लिए इस २० शताब्दी में उठाया गया कोई क़दम एक आश्चर्य की बात है।

हत्या होती है, अपराध होता है; पुलिस सरासर झूठे मामले तो बनाती नहीं है परन्तु ये मुक़दमे सिद्ध इसलिये नहीं होते हैं क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाता है। इसलिये नहीं कि पुलिस तंग करती है। नहीं, फिर क्या कारण है कि लोग साक्ष्य देने से कतराते हैं। इस का कारण यह है कि हम में सामाजिक स्थिति का अवलोकन करने की क्षमता नहीं है हम में सामाजिक चेतना नहीं है। और इसीलिये थोड़े से व्यक्तियों ने हम को इतने वर्षों तक गुलाम बनाये रखा। सत्य और झूठ का पृथक्करण करने के लिये कोई साधन नहीं है और यही कारण हमारी दासता का था।

जब हम ऐसे परिवर्तन करने में समर्थ नहीं जिस से मनुष्यों के मन में परिवर्तन हो सके, जिस से स्थिति में कुछ सुधार हो सके तब तक परिवर्तन करने से क्या लाभ है।

छोटे मामलों में समन प्रक्रिया (आवाहन) अपनाई जाती है तथा बड़े अपराधों में चाहे वह वारन्ट केस हों या सैशन न्यायाधीश मामले की सुनवाई करे, अभियुक्त को जिरह करने का अधिकार प्राप्त होता है। धारा १५२ के अन्तर्गत कोई भी चतुर वकील अधिक जिरह नहीं करता है, वह केवल कुछ प्रश्नों से ही सत्य की तह तक पहुंच जाता है।

अब माननीय मंत्री बिना किसी साक्षी के अभियोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। यह बहुत विषम स्थिति है। क्या पुलिस साक्षी का कार्य कर सकती है, इसीलिये मेरा मत है कि अभियक्त को सुरक्षण केवल जिरह करने के लाभ के द्वारा ही दिया जा सकता है। अतः जिरह करने (प्रतिपरीक्षण) का अधिकार दिया जाना नितान्त आवश्यक है। यह अधिकार भी दो श्रेणियों में विभक्त होता है। प्रथम तो यह कि अभियुक्त यह जानना चाहता है कि वह व्यक्ति सचमुच उस स्थान पर उपस्थित था अथवा नहीं, और क्या उसे मामले की पूर्ण जानकारी है अथवा नहीं। दूसरे उस साक्ष्य के आधार पर वह अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। जब तक यह दोनों अवसर अभियुक्त को नहीं दिये जायेंगे उस के प्रति न्याय नहीं होगा। ऐसा करना स्वयं न्याय शास्त्र के मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। अतः मेरे विचार से अभियोजन से पहले की जाने वाली जिरह के अधिकार को हटाना किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है।

जो चीज़ समाज के सभ्य चेतना द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है वही विधि कहलाती है। विधि कुछ उद्देश्यों पर आधारित होती है। सभ्य जनता की भावनाओं की रक्षा उस से होती है। केवल बहुसंख्या के आंतक के वर्णभूत हम किसी ग़लत बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें जनता की अनुमति को उस के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है। इसीलिये मेरा विचार है कि अभियुक्त को धारा २५२, २५२ तथा १५७ के अधीन तीन बार जिरह करने, अधिकार के स्थान पर केवल दो बार जिरह करने का अधिकार दिया जाये जिस से कि वह अपने मामले को ठीक प्रकार से पेश कर सके। अभियोग लगाये जाने के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। माननीय मंत्री ने जिस प्रक्रिया का सुझाव दिया है वह अवैध है। बिना साक्ष्य के कोई

[पंडित के० सी० शर्मा]

अभियोग लगाया कैसे जा सकता है ? साक्ष्य का बड़ा महत्व है । और कोई भी साक्ष्य जब तक कि उस का परीक्षण न कर लिया जाये साक्ष्य नहीं माना जा सकता है । अभियोजन से सम्बन्धित धारा २२१ में इस शब्द के वैसे ही अर्थ हैं जैसे कि पहले थे अतः यह परिवर्तन अनुपयुक्त है और सर्वथा अनुचित है ।

शिकायतें दो प्रकार की होती हैं एक जनता द्वारा की गई तथा दूसरी पुलिस द्वारा । जनता द्वारा की गई शिकायतों में धारा २५२, २५६ तथा १५७ के अधीन अभियुक्त को तीन बार जिरह करने की सुविधा दी गई है परन्तु पुलिस द्वारा की गई शिकायतों के मामले में अभियुक्त को एक बार भी जिरह करने का अधिकार देने की आवश्यकता नहीं समझी गई है । क्या यही व्यक्ति की स्वतंत्रता है ? दोनों प्रकार के मामलों में समानता होने पर भी समान विधि क्यों नहीं प्रयोग में लाई जा सकती है ? इस के परिवर्तन के द्वारा हम संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन कर रहे हैं । यह न्याय शास्त्र के सर्वथा विरुद्ध है । हमें एसा नहीं करना चाहिये । अतः मेरा विचार हैं कि विधि आयोग अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिये । और इसे पारित करने से पूर्व हमें उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये । अभियुक्त का अपना बचाव करने का अधिकार संकुचित नहीं किया जाना चाहिये ।

प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या आजकल अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है । हमारी जेलों में बहुत अपराधी हैं । इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक बेकारी और ग़रीबी का बोलबाला देश में रहेगा हम इन संख्याओं में कोई भी कमी करने में समर्थ नहीं होंगे । इस समस्या का समाधान विधि द्वारा नहीं हो सकता है । इस के लिये समाज के समस्त ढांचे को बदलना होगा । हमारा क़ानून देश की आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था का प्रतीक होना चाहिये ।

मेरा निवेदन है कि यद्यपि सात वर्ष हो चुके हैं तो भी शासन तथा जनता में कोई भी समन्वय नहीं हुआ है । भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुये व्यक्ति देश की सेवा करने नहीं प्रत्युत धन कमाने के कारण उस में आते हैं । ये पद सम्मति नियुक्त हुये व्यक्तियों की है । अंगरेज़ों ने अपने राज्यकाल में यहां दो श्रेणियां बनाई थीं एक शासकवर्ग तथा दूसरी जनता । शासकवर्ग ही सभ्य समाज समझा जाता था । और सभ्य वह समझे जाते थ जिन के पास तीन पीढ़ियों से इतना धन हो कि उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता न हो, तथा जनता वह जिस की सात पीढ़ियां ग़रीब रही हों तथा इन धनिकों की सेवा में रह रही हों ।

हम देश की उन्नति करना चाहते हैं । परन्तु भवन की सजावट से पहले हमें दीवारें खड़ी कर के भवन निर्माण करना होगा । तथा इस का निर्माण जनता ही करेगी ।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति प्रशासन के लिये छांटे जाते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं । वे जनता में से नहीं लिये जाते हैं । लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उन्हें जनता से तनिक भी सहानभूति नहीं है । वह जनता के सम्पर्क में आते तक नहीं हैं और न जनता उन को जानती ही है । भारतीय प्रशासनिक सेवा-प्रशिक्षण विद्यालय में ऐसे विद्यार्थी हैं जो ठीक प्रकार से गाय का वर्णन भी नहीं कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : गाय को तो वे जानते हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : यह उन्हें मालूम है कि गाय बछड़ों की माता होती है ।

पंडित के० सी० शर्मा : आप वहां जाकर इस की परीक्षा तो लीजिये । उन्हें जीवन का कोई अनुभव नहीं है । स्पेन्गलर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सब से सुन्दर रूप में सब से भद्दा जीव ऑक्सफोर्ड का भारतीय स्नातक है ।

श्री टेकचन्द (अम्बाला–शिमला) : मैं इस का विरोध करता हूं ।

पंडित के० सी० शर्मा : मैं तो केवल उद्धरण दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का दंड प्रक्रिया संहिता से क्या सम्बन्ध है ? क्या आप को और कुछ नहीं कहना है ?

पंडित के० सी० शर्मा : बस मैं समाप्त कर रहा हूं । मेरे कथन का सारांश यह है कि प्रक्रिया में उतनी गड़बड़ी नहीं है जितनी कि भर्ती करने की प्रणाली में और प्रशिक्षण प्रणाली में है । भर्ती की प्रणाली दोषपूर्ण है और उपयुक्त प्रकार के व्यक्ति नहीं चुने जाते हैं प्रशिक्षण प्रणाली भी दोषपूर्ण है । साल छः महीने का प्रशिक्षण देने से कुछ नहीं बनता है । प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है जिस से कि प्रशासन के स्तर में उन्नति हो सके । लोक सेवा आयोग में ऐसे सदस्य होने चाहियें ग्राम्य परिस्थितियों तथा उन की आवश्यकताओं से परिचित हों । इस प्रकार के परिवर्तन करने से कुछ बनता नहीं है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़–पूर्व) : मेरे माननीय मित्र के जोशीले भाषण के बाद मैं विधेयक के वास्तविक उद्देश्य के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । माननीय मंत्री ने अपने भाषण में ठीक ही कहा था कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभियुक्त को अपना बचाव करने की समुचित सुविधायें मिल सकें । माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में निर्णयों के जल्दी किये जाने, व्यय को कम करने आदि बातों की ओर भी ध्यान दिलाया है ।

माननीय सदस्यों ने जिन में से अनेक वकालत करते हैं, इस बात पर अधिक ज़ोर दिया है कि मामलों के निर्णय जल्दी होने चाहियें । पिछले सत्र में माननीय उपमंत्री ने कहा था कि अभियुक्त को सुविधायें देने के साथ साथ हमें जनता के हितों की ओर भी ध्यान देना है । यह तो मैं स्वीकार करता हूं कि निर्णय जल्दी होने चाहियें किन्तु हम विधेयक का मुख्य उद्देश्य नहीं भूलना चाहिये जिस का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है । परन्तु दुर्भाग्य से यह उद्देश्य केवल काग़ज़ पर ही रह गया है । हमें विधेयक के मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिये ।

मूल विधेयक में प्रवर-समिति ने काफ़ी संशोधन किया है । यह ठीक है कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि विदेशी सरकार ने जिस प्रकार यह संहिता अपने हित के लिये बनाई थी उस में सुधार की नितान्त आवश्यकता है, किन्तु जो संशोधन किया जा रहा है उसे देखकर मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभियुक्त को वास्तव में अधिक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं बल्कि उन्हें उस से छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है । उदाहरण के लिये जिरह प्रतिपरीक्षण करने के अधिकार को लीजिये । उसे कम किया जा रहा है । पहले तीन बार अभियुक्त को यह अवसर दिया जाता था अब मुश्किल से एक बार यह अवसर दिया जायेगा । साथ ही विभिन्न अवसरों पर साक्षी प्रस्तुत करने का भी अधिकार है । इस के अतिरिक्त यदि एक साक्षी एक दिन आता है तो उस का साक्ष्य उसी दिन ले लिया जायेगा और दूसरे साक्षी का किसी और दिन लिया जायेगा । इस प्रकार अभियुक्त की ओर से की गई जिरह (प्रति परीक्षण) निरर्थक सिद्ध होगी । सभी साक्षियों से एक ही दिन जिरह करने के

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

अभियुक्त के अधिकार को कम कर दिया गया है। इसी प्रकार जहां तक साक्षियों के परीक्षण का सम्बन्ध है उस में भी कमी की गई है और उस के परिणामस्वरूप जिरह (प्रतिपरीक्षण) में भी वह कमी हो जायेगी। इस के साथ यह उपबन्ध भी किया जा रहा है कि वादी की उपस्थिति के बिना भी काम चल सकता है। इस से भी प्रतिवादी के अधिकार कम होते हैं। साक्ष्य शपथ पूर्वक दिये गये बयानों से भी दिया जा सकता है। यदि साक्षी उपस्थित हो तो अभियुक्त जिरह कर के उसे झूठा सिद्ध कर सकता है। परन्तु यह अधिकार अब समाप्त कर दिया गया है।

डा० काटजू : यदि अभियुक्त चाहे तो साक्षियों से जिरह (प्रति परीक्षण) करा सकता है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : यह तो तभी हो सकता है जब साक्षी अदालत में उपस्थित हो।

इसी प्रकार दुबारा अभियोग चलाये जाने का दावा करने का अधिकार भी अभियुक्त से छीन लिया गया है। यदि दण्डाधीश बदल जाता था तो पहले उसे यह अधिकार प्राप्त था किन्तु अब यह नये दण्डाधीश की इच्छा पर है कि वह ऐसा करे या न करे।

अपील करने की विशेष अनुमति का एक उपबन्ध है। अभी तक इस प्रकार की अपील करने का अधिकार नहीं था, पर अब गैर-सरकारी शिकायत पर वादी को उच्च-न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति दिये जाने की प्रार्थना करने का अधिकार हो गया। इस से अभियुक्त के अधिकारों में और भी कमी होगी।

अब मैं सरकारी कर्मचारियों की मानहानि के प्रश्न को लेता हूं। पहले जब तक कर्मचारी स्वयं फरियाद न करे, मुक़दमा नहीं चल सकता था किन्तु अब लोक अभियोजक इस विषय की फ़रियाद कर सकता है और मामले की सुनवाई हो सकती है।

ये सब उदाहरण देने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में अभियुक्त को सुविधायें दी नहीं जा रही हैं बल्कि छीनी जा रही हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अब एक वर्ष के उपरान्त, प्रवर-समिति के कथनानुसार हमें और अधिक विस्तृत विधान प्राप्त हो जायेगा तब इस विधेयक को पारित करने की क्या जल्दी है? और वह भी ऐसी दशा में जब कि इस के उपबन्ध पहले के उपबन्धों से भी बुरे हैं। हम एक वर्ष बाद आमूलचूल परिवर्तन करें, वही अच्छा होगा।

निर्णय में जो विलम्ब होता है उस के विषय में मुझे यही कहना है कि इस में विधि का या प्रक्रिया का नहीं व्यक्तियों का दोष है। सब से अधिक तो पुलिस का दोष है। यदि किसी विषय में छः महीने लगते हैं तो ५½ महीने पुलिस की लापरवाही से लगते हैं और १५ दिन अदालत में लगते हैं। चाहे माननीय मंत्री कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, जब तक पुलिस का प्रबन्ध ठीक नहीं होगा, सब निष्फल होगा। मेरा सुझाव तो यह है कि अभियोजन का समय यह निश्चित कर दिया जाये कि कितने समय में साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये और यदि अभियोजक उस का पालन न करे तो अभियुक्त अपनी रक्षा के प्रमाणों के साथ मुक़दमे को आगे बढ़ा सकता है। यद्यपि माननीय मंत्री की इच्छा है कि न्याय शीघ्र तथा सस्ता हो तथापि वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुए हैं। मेरा निवेदन है कि वह शासन यंत्र को ठीक करें और फिर सभी कुछ ठीक हो जायेगा।

सरकारी कर्मचारियों की मानहानि के विषय में मैं फिर यही कहुंगा कि यह एक

असाधारण उपबन्ध है । यदि सरकार कोई जांच करती है तो जनता को उस में विश्वास नहीं होता है, जनता जांच करने वालों पर विश्वास नहीं करती है । सरकार बड़ी उलझन में पड़ गई है । यह भी सत्य है कि जनता भ्रष्टाचार के बारे में खूब चर्चा करती है इसीलिये सरकार ने यह उपबन्ध करने की सोची है । यदि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपनी रक्षा के लिये मुक़दमा लड़े तो इस से बहुत गड़बड़ी हो जायेगी । सरकारी काम रुक जायेगा परेशानी बढ़ जायेगी । ऐसा उपबन्ध किसी भी देश के क़ानून में नहीं है । इसलिये इस सम्बन्ध में मेरी तो यही धारणा है कि अभी जैसी स्थिति चल रही है वैसी ही चलने दी जाये । यदि कर्मचारी स्वयं फ़रियाद करेंगे तो लोग उस से शिक्षा ले कर अपने आप को सुधार लेंगे ।

मुक़दमों में जो व्यय होता है उस के बारे में भी मैं थोड़ा सा कह देना चाहता हूं । यह कहा गया है कि व्यय कम हो जायेगा । किन्तु वास्तव में यदि विचार पूर्वक देखा जाये तो व्यय और अधिक बढ़ जायेगा, अभी तो सत्र न्यायालय में कम समय लगता है क्योंकि दण्डाधिकारी के यहां से मामले परिपक्व रूप में वहां जाते हैं, किन्तु अब उस का कार्य बहुत बढ़ जायेगा । व्यय सत्र न्यायालय के मुक़दमों में अधिक होता है अतः अब व्यय पहले से दुगना या तिगुना होने लगेगा । इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुक़दमों में न तो व्यय कम होने वाला है न समय कम लगने को है और न अभियुक्त को सुविधायें ही अधिक मिलने वाली हैं ।

एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । वारन्ट (अधिपत्र) वाले मामलों में दो तीन बार जिरह (प्रति परीक्षण) करने की सुविधा नहीं दी गई है जब कि समन (आह्वान) वाले मामलों में यह सुविधा दी गई है । यह कैसी उलटी बात है । जो मामले गम्भीर होते हैं उन में इस अधिकार का उपबन्ध किया जाना चाहिए था । संभव है कि यह विषय प्रवर-समिति की दृष्टि से बच गया हो ।

इस प्रकार आंशिक रूप से विधान बनाने से तो यही उत्तम है कि जब सम्पूर्ण संहिता पर विचार होगा तभी हम इस विषय को भी लें ।

श्री फ्रैंक एंथनी : इस विधेयक पर बोलते हुए मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रवर समिति के सदस्यों ने न्यायशास्त्र के मूल भूत आधारों पर ध्यान न देते हुए केवल माननीय गृह-मंत्री को प्रसन्न करने के लिये थोड़ी सी हेर-फेर के बाद इस विधेयक को प्रस्तुत कर दिया है । मुझे तो यह विधेयक उतना ही आपत्तिजनक जान पड़ता है जितना यह प्रारम्भिक अवस्था में था ।

चाहे प्रवर-समिति के सन्मुख कैसे ही संशोधन क्यों न रखे गये हों, उस ने न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों को ध्यान में न रखते हुए, कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है । धारा ४३५ के प्रस्तावित संशोधन को उस ने अवश्य अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उस से उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण करने की शक्ति कम होती थी । इस के अतिरिक्त मेरा विचार यह है कि जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं वह पुलिस के अधिकार को और अधिक दृढ़ कर देंगे और अभियुक्त को और अधिक जकड़ देंगे । मैं माननीय गृह मंत्री के इस विचार से सहमत हूं कि हमारी दंड प्रणाली संहिता में आमल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है । ऐसी दंड प्रणाली विदेशी शासकों के लाभ में थी, परन्तु यह निश्चित है कि वह सभ्य न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित थी । आज प्रचलित इस न्यायशास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि केवल उसे कार्यान्वित करने वालों में है । इसीलिये मैं अनुभव करता हूं कि समस्या का जो समाधान किया गया है वह

[श्री फ्रैंक एंथनी]

ग़लत है । प्रवर समिति ने इस समस्या पर आधार रूप से विचार नहीं किया है, उस का यह विचार मालूम पड़ता है कि इक्का दुक्का उपबन्धों में परिवर्तन कर देने से इस प्रशासन विशेष का समस्त आधार ही बदल जायेगा । मैं तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमारी समस्त प्रशासन व्यस्था मानसिक जड़ता की रोगी है और यही हाल समस्त आपराधिक प्रशासन का है । सारी बुराइयों की यही जड़ है । और इस का कारण क्या है ? इक्का दुक्का उपबन्धों में सामान्य से संशोधन कर देने से यह बुराइयां दूर नहीं होंगी । इन की जड़ बहुत गहरी है और हमें तह तक जाना होगा । हमारा आपराधिक प्रशासन बिल्कुल मूल से ही भ्रष्ट है । और मूल क्या है ? वह है पुलिस के अधिकारी और मजिस्ट्रेट । मैं स्वीकार करता हूं कि अत्युत्तम उत्तरदायी मजिस्ट्रेट तथा जांच अधिकारी हो सकते हैं । परन्तु यह निश्चित है कि जांच पड़ताल की अवस्था में जांच करने वाले अधिकारी अधिकतर विवेक-हीन होते हैं। मुक़दमा बनाना, मुक़दमा गढ़ना ही उन का काम होता है । मैं ने देखा है कि पंजाब तथा अन्य राज्यों में मुक़दमा बनाने का काम एक सामान्य बात है । प्रशासन की धारा का प्रवाह स्रोत पर ही गन्दा तथा भ्रष्ट हो जाता है और इसी से सारी बुराइयां फैलती हैं । यह मैं नहीं कहता हूं कि हमारी प्रक्रिया या प्रणाली में कोई दोष नहीं है, परन्तु दस में से नौ मामलों में साक्ष्य बनाये जाते हैं और मामले गढ़े जाते हैं । और फिर यह विष बेल फैलती चली जाती है । अभियुक्त सोचता है कि वह झूठ का मुक़ाबला झूठ से ही कर सकता है, और इसलिये पुलिस द्वारा बनाये गये जाल को वह जालसाज़ी द्वारा ही काटने तथा निरर्थक करने का कौशल करता है । विधि व्यवसाय करने वाले भी ऐसा करने पर बाध्य हो जाते हैं और उन का यह प्रयास कुछ सीमा तक श्लाघ्य भी है ।

इस सारी बुराई को हमें रोकना है । जब तक हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक् नहीं होगी यह बुराई दूर नहीं की जा सकती है । हमारे मजिस्ट्रेट वास्तव में इस देश की पुलिससेवा के विस्तार मात्र हैं ।

इस सारी समस्या की उपेक्षा की गई है, यह मेरा विचार है । हम ने बुराई के स्रोत की ओर ध्यान ही नहीं दिया है और इसलिये जो सिफ़ारिशें की गई हैं उन से स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है । इस से तो उल्टे बुराइयों को प्रश्रय मिलेगा ।

"शीघ्र न्याय तथा सस्ता न्याय" का नारा लगाया गया है । परन्तु जो न्याय होगा वह शीघ्र न्याय होगा और सस्ता न्याय भी होगा परन्तु वह वास्तव में न्याय नहीं होगा । यह शीघ्रता अभियुक्त के लिये हानिकारक होगी । जब भी शीघ्रता की जाती है वह सदैव ही अभियुक्त के लिये हानिकारक होती है । माननीय सदस्य अपने भाषणों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि विलम्ब अभियुक्त की ओर से नहीं किया जाता है ? विलम्ब होता कहां है ? विलम्ब जांच पड़ताल की अवस्था में होता है । सामान्यतया यही होता है । रेलवे कर्मचारी भी देश की दण्ड विधि के अधीन हैं पर उन के लिए सब से अधिक दुर्भाग्यजनक उपबन्ध यह है कि ज्योंही उन की किसी अभियोग में गिरफ्तारी होती है तुरन्त उन्हें कार्य से पृथक् कर दिया जाता है और उन्हें केवल एक तिहाई वेतन मिलने लगता है । दो या तीन वर्ष की छानबीन के बाद पुलिस चालान पेश करती है और फिर लगभग आगामी तीन वर्षों में दण्डाधीश उस का निर्णय करता है । इस प्रकार एक तिहाई वेतन पर लम्बे ६ वर्षों तक वह कर्मचारी भूखों मरता है । यदि इस काम में शीघ्रता करना है तो छानबीन करने की अवस्था की प्रक्रिया में सुधार करना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब भी जब अभियुक्त जेल में होता है या सफाई के लिए दुबारा

दण्डाधीश द्वारा बुला लिया जाता है; उस की जांच समाप्त नहीं हो चुकी होती या अभियोग समाप्त नहीं हो चुका होता, तो भी अभियोग प्रारम्भ होने के ६० दिन के भीतर ही उसे जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

श्री फ्रैंक एंथनी : जांच में विलम्ब होने या पुलिस द्वारा जांच की कार्यवाही पूरी करने में छः महीने से अधिक समय लगने पर दण्डाधीश उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है। यह उस का स्वविवेकात्मक अधिकार है।

यदि सरकार चाहती है कि न्याय किया जाय तो, उसे कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक् कर देना चाहिये। इस विधेयक के अनुसार पुलिस की स्थिति और अधिक मज़बूत बना दी गयी है और दण्डाधीशों के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं। अब अभियुक्त का मामला अधिकतर संक्षिप्त रूप में हुआ करेगा और उसे अपील का कम अवसर रहेगा। इस विधेयक को लाने का मुख्य कारण यह है कि कार्यपालिका के सिर पर यह भूत सवार है कि छूट जाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत अधिक है।

धारा १६२ के प्रस्तावित संशोधन को सदस्यों ने इस भावना से स्वीकार किया है कि जब अभियुक्त को अपने पहले बयान के खण्डन करने का अधिकार है तो अभियोक्ता को एक अपील करने का अधिकार क्यों न दिया जाय? ये सब उपाय न्याय विरोधी और अवैज्ञानिक हैं। इस प्रकार धारा १६२ अपने दोनों संशोधनों के साथ केवल एक वैधानिक हत्या है।

धारा १६२ का आधारभूत सिद्धान्त यही है कि जांच करने वाले अधिकारी के सामने अभियुक्त का जो बयान होता है उसे अभियुक्त खण्डित कर सकता है। जांच अधिकारी अभियुक्त के बयान को बदल कर चाहे उसे काला कर दे या सफेद कर दे—और हम देखते हैं कि १० में से ९ मामलों में वह बयानों को बदल देता है। इसी कारण अभियुक्त को बयान बदलने का अधिकार होता है और अभियुक्त का यह अधिकार कुछ सीमा तक जांच अधिकारी के ऊपर एक नियंत्रण की तरह काम करता है। अब हम अभियुक्त के इस आधारभूत अधिकार को छीन कर जांच अधिकारी को देने जा रहे हैं ताकि वह धारा १६२ के अन्तर्गत झूठा बयान बना सके। एक मंत्री के बयान के सामने भी एक पुलिस की बात मानी जायेगी। यह सब आधारभूत अधिकारों के विरुद्ध काम है। पहले जो अधिकार अभियुक्त को था वही अधिकार उस से छीन कर पुलिस को दिया जा रहा है।

इस उपबन्ध को स्वीकार करने का मतलब यह है कि पुलिस शासन खड़ा किया जा रहा है। प्रवर समिति ने विधेयक के आधारभूत सिद्धान्त पर ध्यान नहीं दिया है। चूंकि अभियुक्त को धारा १६२ के अनुसार सुविधा है इसलिए आप उस को निकाल देना चाहते हैं और वे सुविधायें अभियोक्ता को देना चाहते हैं।

अब मैं समर्पण और अभियोजन वाले मामलों पर आता हूं। इन मामलों की प्रक्रिया बहुत ही आपत्तिजनक है। एक मनुष्य पर अभियोग लगाया जाता है, साक्ष्य उस की उपस्थिति में लिया जाता है। फिर हर पेशी पर उस का उपस्थित होना क्यों आवश्यक है? अभियोक्ता गवाह को गाली देता है, डराता-धमकाता है, पर अभियुक्त को चुपचाप खड़ा रहना पड़ता है; इस से क्या लाभ? पुलिस अधिकारी भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं पर वहां भी उसे चुपचाप खड़ा रहना पड़ता है। यह न्याय की हंसी उड़ाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

समर्पण कार्यवाही में केवल दो ऐसे गवाहों का परीक्षण किया जाता है जो घटना

[श्री फ्रैंक एंथनी]

को अपनी आंखों से देख चुके हों । तब दण्डाधीश अभियुक्त का परीक्षण करता है । यहां भी अभियुक्त से प्रतिरक्षा बयान की सभी बातें पूछ ली जाती हैं जब कि अभियोक्ता का प्रतिरक्षा बयान बाद में लिया जाता है । और अभियुक्त के प्रतिरक्षा बयान के आधार पर अभियोक्ता अपना प्रतिरक्षा बयान ठीक कर लेता है । यह सब भी अनुचित है । अभियुक्त को प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया जाता केवल उस का एक बयान लिया जाता है । मुझे केवल धारा १६२ या ३४२ की ही चिन्ता नहीं है बल्कि न्यायपद्धति की सम्पूर्ण प्रणाली के बिगड़ने पर दुःख है ।

मैं सरकारी नौकरों की मानहानि के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं । इस प्रस्तावित परिवर्तन के द्वारा आप एक वर्ग विधि की सीमा से ऊपर रखना चाहते हैं यह बात आपत्तिजनक है । चूंकि सरकार आरोपों का खण्डन करने में समर्थ नहीं है, अतः विरोधी दल और प्रेस को कुचलने के लिए इस संशोधन का सहारा लेने का विचार कर रही है ।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि इन सभी उपबन्धों का प्रयोजन हमारे आधारभूत सिद्धान्त का अपमान करना है ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आज आठ वर्ष व्यतीत हो गये हैं, और एक तर्कपूर्ण संशोधन की अपेक्षा एक घृणित संशोधन हमारे सामने रखा गया है । अधिक अच्छा होता यदि सरकार यह संशोधन विधि आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद रखती । इस विधेयक के दो उद्देश्य घोषित किये गये हैं । एक अभियुक्त को उस की प्रतिरक्षा के लिए अधिक और उत्तम सुविधायें देना और दूसरा उद्देश्य है न्याय करने में शीघ्रता करना । पर न्याय में विलम्ब के लिए अयोग्य और विलम्ब करने वाले दण्डाधीश और अनुभवहीन जांच अधिकारी उत्तरदायी हैं । इस के उपचार के लिए सरकार अवैतनिक दण्डाधीशों का पुनरुत्थान करना चाहती है । ब्रिटिश राज्य में कांग्रेस ने इन्हीं अवैतनिक दण्डाधीशों के अस्तित्व का विरोध किया था । गृह मंत्री ने स्वयं एक बार कहा था कि न्याय में विलम्ब का कारण पुलिस जांच की ढील ढाल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है ।

अभियोक्ता के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार धारा ३० का विस्तार करने का विचार कर रही है । धारा ३० जनता को दबाने का एक साधन है । उत्तर प्रदेश और बंगाल सरकारें इस उपबन्ध के विरुद्ध हैं । इस उपाय का दूसरा मुख्य उद्देश्य मंत्रियों का संरक्षण करना है अतः हमें सरकार की इस गतिविधि पर कोई आश्चर्य नहीं है । धारा ५००, जो मानहानि से सम्बन्धित है, एक भयंकर उपबन्ध है । सर्वसाधनसम्पन्न राज्य जब किसी व्यक्ति पर अभियोग चलायेगा तो उस मामले में क्या न्याय होगा, इस की कल्पना आप सभी लोग कर सकते हैं । ऐसे मामलों का दण्डाधीश पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा इसे भी आप भूल नहीं सकते । यह दुष्प्रवृत्तिपूर्ण बात होगी । मंत्रियों को इस प्रकार का संरक्षण देने की आखिर क्या आवश्यकता है । वे इस प्रकार के व्यक्ति हैं ही जिन्हें जनतंत्र में कई तरह की बातों का सामना करना पड़ेगा, और अपनी गतिविधियों के बचाव में बहुत कुछ कहना पड़ेगा और सफ़ाई पेश करनी पड़ेगी ।

इसके अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १९७ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । हाल में ही नागपुर के उच्च न्यायालय के एक निर्णय में कहा गया है कि 'मंत्री' जनसेवक होता है, अतः उस पर तब तक अभियोग नहीं चलाया जा सकता जब तक कि राज्यपाल ऐसा

करने की अनुमति न दे। यदि राज्यपाल अनुमति न दे तो उपचार क्या है ? इस का कोई उपचार नहीं है। इस से यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि एक मंत्री भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन स्वेच्छापूर्वक अपराध कर सकता है और वह सर्वथा मुक्त हो सकता है। निश्चय ही यह भेदभाव है और संविधान के उद्देश्य के प्रतिकूल है।

अब हम अंग्रेज़ी जनतंत्रवाद की भारतीय जनतंत्रवाद से तुलना करते हैं। इंगलैंड में परिस्थिति यह है कि यदि किसी मंत्री के बारे में तनिक भी परिवाद होता है तो मंत्री स्वेच्छा-पूर्ण त्यागपत्र देता है और मामले की जांच-पड़ताल की मांग करता है। और यहां, यह हाल है कि मंत्री के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार आदि का समाचारपत्रों, आदि में, चाहे निरन्तर रूप से प्रचार होता रहे, परन्तु इन सब के होते हुये भी मंत्री वहीं जमे रहते हैं। यह वास्तव में असह्य है। प्रशासन के उच्चतम पदाधिकारी भी जांच-पड़ताल नहीं करा पाते या ऐसा करने से मना कर देते हैं। 'गोल्डस्मिथ' ने अपनी कविता में कहा था :—

"निर्धन कुचला जाता विधि से,
पर शासन करता धनी विधि पर।"

मैं भी उसी भाव से कहता हूं कि :—

"सज्जन कुचले जाते विधि से,
पर करते हैं शासन कांग्रेसी विधि पर।"

कुछ मंत्रियों को अपने अत्यधिक महत्व व अनिवार्यता का इतना आत्माभास है कि लोग उन्हें इन्द्र आदि देवताओं के समान मानते हैं और उनसे कहते हैं : तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा। भाई तुम मत जाओ।

शीघ्र न्याय पाने का उपबन्ध करने में यह विधेयक पूर्णतया असफल रहा है। यदि इस का विरोध न किया गया तो इस के परिणाम-स्वरूप पुलिस राज्य का उदय होगा।

श्री एन० एस० जैन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण) : संयुक्त प्रवर समिति ने जिस रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता को प्रस्तुत किया है, वह निश्चय ही कुछ रूपों में मूल विधेयक का संशोधित रूप है। प्रवर समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करते समय यह देख कर मैं ठगा-सा रह गया कि समिति के सदस्यों ने कुछ धाराओं में संशोधन करते हुये यह समझने का प्रयत्न नहीं किया कि दण्ड-विधान तथा दण्ड-न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्त क्या हैं। मैं माननीय गृहकार्य मंत्री की उत्सुकता को भलीभांति महसूस करता हूं कि इस दण्ड-न्याय को अवलम्बी तथा सस्ता बनाया जाय, परन्तु वह शीघ्रता तथा सस्तापन दण्ड-न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्तों का खन्डन कर के नहीं होना चाहिये। भारत के लिए दण्ड-न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्तों को बदले बिना दण्ड प्रक्रिया संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन करना बुद्धिमानी नहीं है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की अवैतनिक दण्डाधीश सम्बन्धी धारा १४ से मैं पूर्णतया असहमत हूं। कल सभा में बोलते हुये माननीय गृहमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की कुछ समितियों ने अवैतनिक दण्डाधीशों के लिए इन नामों की सिफारिश की है। मैं यह जानता हूं, परन्तु विनम्रतापूर्वक मैं यह कह सकता हूं कि वे समितियां तथा वे नाम जिन की उन्होंने सिफ़ारिश की है, कभी-कभी कदाचित् प्राचीन काल के दण्डाधीशों की अपेक्षा निकृष्ट हैं। यदि आप किसी के लिए कारावास का दण्ड देने का अधिकार देना चाहते हैं तो आप एक न्यायालय स्थापित करना चाहते हैं और न्यायालय का वरण ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जो कदाचित् किसी राजनैतिक क्षेत्र से सम्बद्ध होते हैं अथवा विधान से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में त्रुटि का होना स्वाभाविक है। अमरीका न्याया-

[श्री एन० एस० जैन]

धीश तथा न्यायिक पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं, परन्तु भारत में ऐसा नहीं होता ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मैं चाहे उदाहरण न दूं परन्तु विरोध के डर के बिना यह कह सकता हूं कि यदि हम लोगों से इस बारे में बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति आ कर यह कहता है "हम अवैतनिक दण्डाधीश के न्यायालय अथवा दण्डाधीश के न्यायालय से अपना मामला हटाना चाहते हैं क्योंकि वह स्थानीय व्यक्ति है और उस का अमुक व्यक्ति से अमुक सम्बन्ध है ।" स्वाभाविक है कि उस न्याय-पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति में स्थानीय होने के कारण कुछ स्थानीय पक्षपात की भावना हो और उस व्यक्ति के जिस के विरोध में वहां अभियोग हो, उस के साथ अच्छे सम्बन्ध न हों । इन सारी बातों के कारण लोगों को न्यायालयों से मिलने वाले न्याय में विश्वास नहीं होता । अतः मैं नहीं जानता कि इस पर भी हमारे माननीय मंत्री इन अवैतनिक दण्डाधीशों को क्यों रखना चाहते हैं । यह सच है कि उन्हों ने यह कह कर लोगों के लिए कुछ अधिक अच्छा काम कर दिया है कि उन की नियुक्तियां नियमानुसार होंगी । यह ठीक है परन्तु नियम तो इस संशोधन के बिना भी बनाये जा सकते थे । अब भी, इस संशोधन के बिना कोई भी राज्य दण्डाधीशों की नियुक्ति के नियम बना सकता है । यद्यपि प्रवरण के नियम हों फिर भी तथ्य यही है कि वे स्थानीय लोग हैं और उन पर स्थानीय प्रभाव होता है, और अधिकतर लोग सामान्य लोगों में से नहीं, अपितु प्रभावशाली वर्ग से लिये जाते हैं । अतः मेरा विचार है कि इस पद्धति का जितना शीघ्र अन्त हो उतना ही वह इन अवैतनिक दण्डाधीशों तथा जनता के लिए उत्तम है ।

दूसरी बात जिस की ओर मैं माननीय गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं धारा ३० से सम्बद्ध है । जिस समय माननीय गृह कार्य मंत्री यह उल्लेख कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका को प्राधिकारियों से पृथक् किया जा रहा है तो मुझे आश्चर्य हो रहा था । मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और जानता हूं यह क्रिया कैसे हो रही है । मेरा विचार है यह पहले की अपेक्षा अब निकृष्ट स्थिति में है । ये सारे न्यायिक दण्डाधीश अभिभाषक-समाज से चुने जाते हैं और अस्थायी होते हैं । इन्हें केवल २५० रुपये या ३०० रुपये मिलते हैं, इन का कोई भविष्य नहीं होता, और उन का सेवा में रहना जिला दण्डाधीश की रिपोर्ट पर निर्भर होता है । क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा न्यायिक दण्डाधीश ज़िला दण्डाधीश के प्रभाव के अधीन नहीं होता ? यदि माननीय मंत्री वास्तव में यह चाहते कि ये अधिकार प्राधिकारी दण्डाधीशों को न दिये जायें तो, कदाचित् इस का कुछ तात्पर्य होता । यदि वह इन अधिकारों को केवल न्यायिक दण्डाधीशों को देना चाहते हैं तो भी कुछ बात होती । परन्तु धारा ३० में उल्लिखित है कि ज़िला दण्डाधीश को भी, जो ज़िला की समूची न्यायपालिका के प्रशासन का प्रभारी है, ये अधिकार दिये जा सकते हैं । यहां उस पृथक् करण की भी बात नहीं रहती । अतः मैं विनम्रतापूर्ण सरकार से निवेदन करता हूं कि यह धारा ३० इस रूप में प्रस्तुत न की जाय ।

इस के अतिरिक्त मैं उस संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जो समर्पण प्रक्रिया के बारे में प्रस्तुत किया गया है । मैं स्वयं इन समर्पण प्रक्रियाओं के विरुद्ध हूं । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय गृहमंत्री ने इन उपबन्धों को, जिन के अनुसार इन समर्पण प्रक्रियाओं को ज्यों-का-त्यों रहने दिया है, सिवाय इस के कि इस के कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में अभियुक्त के अधिकारों को काट दिया गया है, कैसे स्वीकार कर लिया है ।

यदि समर्पण प्रक्रियायें होती हैं तो ये उचित रूप में होनी चाहियें ।

यदि यह न्याय को अवलम्बी बनाने का प्रश्न है तो मैं इस से सर्वथा सहमत हूं । फिर इन समर्पण प्रक्रियाओं में क्यों समय लगाया जाय ? इस का क्या लाभ ? सम्भव है कि पुलिस केवल एक साक्ष्य को प्रस्तुत करे और कहू दे कि अन्य उपस्थित नहीं हो रहे हैं—यहां तक कि चाहे सारे ही अभियुक्त अनुपस्थित हों, फिर भी कार्यवाही होती रहेगी । यह तो केवल दिखावा है । अतः समर्पण कार्यवाही पर जमे रहने के बजाय हमें यह जानना चाहिये कि हम अभियुक्त को क्या अधिकार देना चाहते हैं । मेरा विचार है कि अभियुक्त के ये अत्याधिक वांच्छित अधिकार हैं—(१) उस मामले के बारे में पूर्णरूप से जानना जिस का उसे उत्तर देना है, (२) अभियोक्ता के साक्षियों से प्रश्न करने का अवसर, और (३) बचाव के लिए साक्ष्य उपस्थित करने का अवसर । इस विधेयक में हम देखते हैं कि समर्पण कार्यवाही में अभियुक्त को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है । परन्तु हमें पहले यह निश्चय करना होगा कि हम प्रश्न करने के लिए अभियुक्त को क्या अधिकार देना चाहते हैं । क्या हम अभियुक्त को साक्षियों से प्रश्न करने का एक या दो अवसर देना चाहते हैं ? यदि माननीय गृहमंत्री का विचार है कि अत्यधिक गंभीर मामलों में भी, जैसे हत्या तथा डाके आदि के मामले, प्रश्न करने का केवल एक अवसर देना पर्याप्त है, तो मुझे और कुछ नहीं कहना है । उस स्थिति में मैं केवल यह कहूंगा कि कृपया समर्पण कार्यवाही समाप्त कर दी जाय क्योंकि वे केवल न्यायालय अभियोक्ता तथा बचाव पक्ष के समय का उपयोग होगा । इस से बचाव-पक्ष को अधिक व्यय करना होगा और उस से उतना लाभ नहीं होगा जितना कि होना चाहिये । हम, जो न्यायालयों में विधिवृत्ति करते रहे हैं, इस बात पर बल देते रहे हैं कि हम प्रश्न पूछने के दो अवसर चाहते हैं, क्योंकि जांच में जब साक्षी प्रथम बार आता है, उस समय यह आवश्यक नहीं है कि वह वही सब कहे जो कि धारा १६१ के प्रक्कथनों में है । उस में अनेकों भिन्नतयें होती हैं । अभियुक्त यह चाहता है कि प्रथम उसे साक्षी को सुनने, उस से कुछ प्रश्न करने और यह जानने का अवसर मिलना चाहिये कि उसे उस साक्षी से और प्रश्न करने के लिए क्या साक्ष्य अथवा लेख प्राप्त करने हैं । प्रथम अवसर पर अभियुक्त के उन सारे लेखों को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है जो उसे प्रश्न करने के लिए चाहिये । अतः दण्डसम्बन्धी जांच में अभियुक्त को प्रश्न करने के दो अवसर प्राप्त होना सर्वथा अनिवार्य है । मामले की जांच करने तथा साक्षियों को प्राप्त करने में पुलिस को प्रायः ३ मास से ६ मास तक लगते हैं । आप यह कैसे आशा करते हैं कि एक अभियुक्त अचानक ही उन साक्षियों से प्रश्न करने के लिए, बिना यह जाने कि वे साक्षी किसी बात पर क्या कहेंगे, सारी सामग्री जुटा सकेगा ?

डा० काटजू : क्या यह सच नहीं है कि अत्यधिक मामलों में पुलिस प्रथम ४८ घन्टों में होने वाली जांच में उन साक्षियों से पूछ-ताछ करती है जो घटना घटने के समय वहां उपस्थित थे ?

श्री एन० एस० जैन : प्रायः ऐसा होता है । सम्मानपूर्वक मैं यह कह सकता हूं कि इन साक्षियों में से अधिकतर व्यक्ति जो घटनास्थल पर उपस्थित थे, सच्चे नहीं होते । अभियुक्त को इन का ज्ञान नहीं होता । जब ये १६१ प्रक्थन उसे दिये जाते हैं तब उसे इन का बोध होता है । अतः मैं यह कह रहा था कि आप चाहे समर्पण कार्यवाही रखें या न रखें, परन्तु अभियुक्त को साक्षियों से प्रश्न करने के दो अवसर दिये जायें और दोनों में

[श्री एन० एस० जैन]

कुछ समय का अन्तर हो ताकि अभियुक्त आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सके ।

डा० काटजू : यह तो पूरी तरह से सभा का मामला है । आप जो चाहें कर सकते हैं ।

श्री एन० एस० जैन : अन्ततोगत्वा, यदि माननीय गृहमंत्री यह नहीं चाहते तो यह नहीं होगा । मेरा विचार है कि यदि इन समर्पण कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया जाता है और सत्र-न्यायालय में साक्षियों से प्रश्न करने के दो अवसर दे दिये जाते हैं तो इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी । इस के अतिरिक्त, माननीय मंत्री का यह कहना सर्वथा ठीक है कि निरन्तर रूप से अधिक स्थगन नहीं होने चाहियें । परन्तु इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध कहां है कि स्थगनों की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि ऐसा कोई उपबन्ध है तो ठीक है । सत्र न्यायालयों में इस तरह की कोई भी बाधा नहीं होती, कोई भी स्थगन नहीं होते, और प्रत्येक साक्षी मौजूद होता है । किन्तु दण्डाधीश के समक्ष होने वाली समर्पण कार्यवाही में ऐसा नहीं किया जा रहा है । कभी-कभी पुलिस जान-बूझ कर साक्षियों को एक-एक कर के घटाती रहती है ताकि भावी साक्षियों को यह जानने का श्रेय प्राप्त हो कि प्रति-परीक्षा में अन्य साक्षियों ने क्या कहा है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि स्थगन अधिक न होने पायें । चूंकि बचाव-पक्ष के लिए मुक़दमा बार बार स्थगित नहीं किया जाता इसलिए अभियोग-पक्ष के लिए विधि को और भी सख़्त बना देना चाहिए । अतः मेरा यह निवेदन है कि इस विधि में यदि यह व्यवस्था कर दी जाय कि जब तक पूरे गवाह उपस्थित नहीं हो जाते तब तक मुकद्दमे की सुनवाई अदालत में नहीं होगी तो बहुत कुछ अन्याय दूर हो सकेगा ।

रोज़नामचा (डायरी) उचित रूप से रखने के लिए यदि उचित विधि बना दी जाती है या उचित नियम बना दिये जाते हैं या उचित आदेश दिये जाते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता में एक बहुत बड़ा सुधार हो जायगा । हमारी सब से बड़ी कठिनाई यह है कि यह डायरी उचित रूप से नहीं रखी जाती; न इस में बयान ही ठीक ढंग के या मूल रूप में होते हैं और न उस में मुहर ही उस दिन की लगी होती है जिस दिन की होनी चाहिए । एक प्रकार से ये डायरियां दारोगा जी की स्वेच्छा पर बनी होती हैं ।

धारा १७२ के बारे में एक संशोधन भेजते हुए मैं ने एक सुझाव रखा है कि मुकद्दमे की ये डायरियां दंडाधीश देखें और उन पर हस्ताक्षर करें । और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वह रजिस्टर देख कर यह ज्ञात कर सके कि मुकद्दमे की डायरी कब आयी और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास कब गई । किन्तु बताया गया है कि इन संशोधनों पर इसलिए विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संशोधित की जाने वाली धाराओं के लिए ठीक नहीं हैं ।

सभापति महोदय : स्थिति यह है कि सभा में कह गया था कि इन संशोधनों के बारे में विचार किया जायगा और माननीय गृहमंत्री भी इस से सहमत थे, और इसी आदेश के साथ यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया था किन्तु संयुक्त समिति ने कहा कि इन के बारे में जनता की राय ली जानी चाहिए अतः उन्हों ने इन पर विचार नहीं किया ।

श्री एन० एस० जैन : मेरा मतलब तो यह है कि कुछ-न-कुछ तो होना चाहिए चाहे वह विधि में संशोधन कर के हो; और यदि यह संभव न हो तो कम-से-कम मुकद्दमों की डायरी से सम्बन्धित नियमों में ही कुछ संशोधन किया जाय ।

डा० काटजू : यह मामला तो कार्य पालिका आदेशों का है ।

सभापति महोदय : अथवा माननीय सदस्य संहिता में संशोधन कर के यह मामला तै करा सकते हैं और उस संशोधन पर यहां विचार किया जायगा और वह सुसंगत भी होगा ।

श्री एन० एस० जैन : धारा १९८ ख में जो व्यवस्था की गई है उसे मैं आवश्यक समझता हूं । यदि इस में कोई आपत्तिजनक बात है तो वह पुलिस द्वारा हस्तक्षेप है । पुलिस द्वारा जांच नहीं होनी चाहिये ।

संयुक्त प्रवर समिति ने मानहानि के सम्बन्ध में जो उपबन्ध बनाये हैं वे बहुत ही सहायक हैं । उन की व्यवस्था के अनुसार पुलिस का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है । कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सत्र न्यायाधीश सरकार के विरुद्ध भी निर्णय दे देते हैं । किन्तु इन उपबन्धों में एक कमी यह रह गई है कि क्या उस व्यक्ति का जिस की मानहानि हुई है गवाह के रूप में आना आवश्यक है अथवा नहीं ?

घूंस लेना स्वयंमेव मानहानि है । जब तक कि व्यक्त स्वयं गवाह के रूप में आना आवश्यक न समझे तब तक विधि के अनुसार किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है । अब बचाव पक्ष का यह काम रह जाता है कि वह यह सिद्ध करे कि किस कारण वह रुपया लिया गया था । अगर बचाव-पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाता तो इस पर बड़ी आसानी से विश्वास किया जा सकता है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यदि धारा १९८ ख में यह उपबन्ध जोड़ दिया जाता है कि जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है अभियोग पक्ष का वह गवाह ज़रूर होगा तो बहुत कुछ ठीक हो जायगा । डर इस बात का है कि कहीं मानहानि करने वाला व्यक्ति अभियुक्त द्वारा जिरह करने से न बच जाय । इसलिए बढ़िया बात यह है कि यह मामला अदालत में ले जाया जाय जहां मानहानि करने वाले से कहा जाय कि तुम यह सिद्ध करो कि अमुक व्यक्ति ने घूंस ली है और यदि तुम यह सिद्ध कर देते हो तो उसे दंड दिया जायगा अन्यथा तुम्हें दंड दिया जायगा । यह कोई गलत बात नहीं है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि विधि में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है उसे गवाह के रूप में अवश्य आना चाहिए और यह कहना चाहिए कि उस ने ऐसा किया है अथवा नहीं । और उसे यदि जिरह करने का अधिकार मिल गया तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।

डा० काटजू : इस पर विचार करना सभा का कार्य है । मुझे तो इस में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री एन० एस० जैन : अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि अभियुक्त को जिरह करने के लिए दो अवसर देने चाहियें और धारा १९८ ख के अधीन उस व्यक्ति को, जिस की मानहानि की गई है, गवाह के रूप में आने का अवसर दिया जाये ।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, पहली मर्तबा जब पार्लियामेन्ट में यह बिल पेश हुआ उस वक्त मैं ने एक तरमीम हाउस के सामने रखी थी कि यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अच्छा नहीं है, इसको बदल कर एक नया कोड बनाया जाय । इस कानून पर अच्छी तरह से गौर कर के आजाद हिन्दुस्तान के लिये एक न्याय का अच्छा कानून बने । मैं ने गुस्से में आ कर उस वक्त यह भी कहा था कि इस कानून की खराबियों को देखते हुये बहैसियत वकील, बहैसियत मुलजिम या बहैसियत एक पब्लिकमैन मैं इस को कानून की शक्ल में नहीं देख सकता हूं । इस को फाड़ कर फेंक दिया जाय । उस वक्त डा० काटजू ने वादा किया था कि भाई मैं नहीं चाहता कि किसी को इस के मुताल्लिक

[श्री आर० डी० मिश्र]

शिकायत करने का मौका मिले । मेरे बुलन्द-शहर के दोस्त ने यह कहा है कि स्वतंत्र भारत में नया कानून बनना चाहिये इस लिये सन् १९५४ में नया कानून बनाया जायगा, और साथ में उन्हों ने यह भी इत्मीनान दिलाया कि इस में जो बातें हैं सिर्फ उन्हीं बातों पर गौर नहीं किया जायेगा बल्कि तमाम कोड पर ग़ौर किया जायेगा । उस के बाद मेरे भाई सिंहासन सिंह साहब का एक ऐमेन्डमेन्ट था जिस में कमेटी को यह हिदायत दी गई थी कि वह सारे कानून पर ग़ौर करे । इस ऐश्योरेन्स के बाद मैं ने अपना ऐमेन्डमेन्ट वापस लिया । उन का वह ऐमेन्डमेन्ट मंजूर हुआ और उसी ऐमेन्डमेन्ट के मुताबिक वह बिल ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को गया ।

अब ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई । ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने जितनी बैठकें कीं, उन के जितने घंटे हुए उन का मैं ने टोटल लगाया । कुल मिला कर उस की बैठकें ६३ घंटे और १५ मिनट हुईं । इतने थोड़े समय बैठ कर कमेटी ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जिस के मुताबिक फांसी लगाई जायेंगी, लोगों को कैद किया जायेगा, ट्रान्स्पोर्टेशन किया जायेगा, तकदीर का फैसला कर दिया ।

डा० काटजू : आप की राय में कितना समय लगना चाहिये; ५६३ घंटे ?

श्री आर० डी० मिश्र : उस में तो ५६५ दफायें हैं । अगर तमाम मेम्बरान हमारे सामने उस को पढ़ने बैठें तो शायद ६३ घंटों में पढ़ भी नहीं सकेंगे । अगर डाक्टर साहब खुद पढ़ने बैठें तो ६३ घंटों में उस की ५६५ दफाओं को पढ़ नहीं पायेंगे ।

डा० काटजू : मुझे बहुत पुराना याद है ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं आप को बताता हूं । आप को याद है हाई कोर्ट की प्रैक्टिस । लेकिन यहां पर तो नीचे की अदालतों में अमल होना है, आप नहीं जानते कि वहां क्या होगा ।

डा० काटजू : मुझे नीचे से ऊपर तक खूब तजुर्बा है ।

श्री आर० डी० मिश्र : अभी आप के सामने आया जाता है । मैं अपनी २८ वर्ष की प्रैक्टिस का तजुर्बा आप के सामने रखता हूं । इस कमेटी ने ६३ घंटे काम किया है । डाक्टर साहब ने वादा किया था कि इस कानून पर पूरी तरह ग़ौर किया जायेगा । इस कानून पर ग़ौर करने के लिये जो पहली मीटिंग हुई, उस में कमेटी ने कु नहीं किया । १५ जुलाई से यह कमेटी बैठी थी ; कमेटी ने जो रिप्रे-ज़ेनटेशन आये, उन पर ग़ौर नहीं किया । ७ अगस्त को दिन के ९ बजे कमेटी बैठी और १० बज कर ४० मिनट पर इस कमेटी की कार्रवाई खत्म हो गई । उस दिन इस कमेटी ने क्या किया ? उस दिन कमेटी के सामने सेविंग क्लाज रखा गया और उस में तरमीम की गई कि इसे गवर्नमेन्ट जब चाहे, जिस साल में और जिस तारीख को चाहे उस में इस को नाफ़िज़ करे, चाहे १९५५ में चाहे, १९५६ या १९५८ में, क्योंकि उस में कुछ दिक्कतें थीं । वारन्ट केस के अन्दर डबल प्रोसीजर हो गया, कमिटमेन्ट का डबल प्रोसीजर हो गया । रिवीजन में कुछ गड़बड़ी हो गई, तमाम देश का जो जुडिशल प्रोसीजर है उस में गड़बड़ी हो जाने वाली है, इसलिये उन्होंने यह किया कि इतने महीनों में यू० पी० में लागू करेंगे, फलां तारीख को बम्बई में लागू करेंगे और फलां तारीख को मद्रास में लागू करेंग ताकि आहिस्ता-आहिस्ता सब पुराने केस खत्म हो जायें तब यह प्रोसीजर लागू हो । जब आप को इस कानून को नाफिज़ करने की जल्दी नहीं है तो इस के पास करने की क्या जल्दी है ?

उस के बाद कमेटी के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि जो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आये हैं उन पर विचार करना है। डाक्टर साहब ने इस हाउस में यकीन दिलाया था कि जो मेम्बरान अपनी राय भेजेंगे उस पर गौर किया जायगा। यह १२ मोटी मोटी किताबें हमारे पास भेज दी गयीं। इन को अगर कोई आदमी ६३ घंटे और १५ मिनट में पढ़ कर बतला दे तो मैं उस को आप जो इनाम बतलावें, देने को तैयार हूं। मैं समझता हूं कि इन को न इन की मिनिस्ट्री ने, न होम मिनिस्ट्री ने न इन के सेक्रेटरी ने और न इन के दफ्तर के किसी बाबू ने पढ़ा।

डा० राम सुभग सिंह : तो यह छपीं कैसे ?

श्री आर० डी० मिश्र : प्रेसमैनों को दे दी गयीं। वहां दफ्तर में स्टेनोटाइपिस्ट रहते हैं उन्होंने इन को छाप दिया और सरकारी प्रेस में छपने को दे दिया। प्रेस सरकार का है, कागज़ सरकार का है, घर से तो कुछ लगता नहीं। इसलिए इस को छाप दिया गया। हम समझते थे कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे ढंग से काम करती है। मैं ने डाक्टर साहब को चिट्ठी टाइप करवा कर भेजी। उस को टाइप करवाने में बड़ी मुश्किल हुई। पार्टी आफिस में उस को छपवाया तो उस का १९ रुपये का बिल हुआ। अभी तक मैं ने उस को दिया नहीं है। मैं यह कहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीड्योर अमेंडमेंट बिल पर मैं ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया उस को छपाने का १९ रुपये का बिल आया। मैं ने अपने मेमोरेंडम को छपवाकर इस नियत से भेजा था कि गवर्नमेंट इस पर गोर करेगी। वह मेमोरेंडम ५५ सफे प्रिंटेड मैटर है। जो सप्लीमेंट डी में छपा है। अब आप अन्दाजा लगाइये कि ५५ सफे प्रिंटेड मैमोरेंडम को ड्राफ्ट करने में पार्लियामेंट के एक मेम्बर को कितनी मेहनत पड़ी होगी क्योंकि उस के पास मदद के लिए कोई क्लर्क नहीं है, कोई स्टेनो-टाइपिस्ट नहीं है। तो जो मैं ने लिख कर दिया उस पर गौर तो कर लिया जाता। डिमाक्रेसी में हर एक को अपनी अलग अलग राय रखने का हक़ है, लेकिन डिमाक्रेसी का यह उसूल कि आप अपनी बात कहें और दूसरे की सुनें और फिर निश्चय करें।

बाबू रामनारायण सिंह : यहां डिमाक्रेसी नहीं है।

श्री आर० डी० मिश्र : और उस के बाद अगर विचारों का अडजस्टमेंट हो जाय तो कानून अच्छा बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा ५५ सफे का जो मेमोरेंडम था उस को किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन इन किताबों में कई पार्लियामेंट के मेम्बरों के मेमोरेंडम हैं। अगर होते सिर्फ जजों के, वकीलों के या बार एसोसियेशन्स के तो उन को टाला जा सकता था। इसलिए क्या इनायत उन्होंने हमारे ऊपर की, उसे देखिये। उन्होंने जब देखा कि पार्लियामेंट मेमोरेंडम आ गये हैं, उन का क्या इलाज किया जाय। तो उन्होंने जो इलाज किया वह पैरा ५५ में लिखा है और मिनेट्स में छपा है, जिस में उन्होंने इस बात को माना है कि यह इम्पारटेंट है और इन पर गौर होना चाहिए। ये जो मेमोरेन्डम हमारे पास भेजे गये ह, इन में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर राय न दी गयी हो। इस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय छपी हुई है। इस में न सिर्फ जस्टिस पातंजलि की राय है बल्कि इस में जस्टिस महाजन और जस्टिस वीवियन बोस, आदि की भी रायें हैं। कई स्टेट्स के हाई कोर्ट के जजों की रायें हैं। इस में बाम्बे हाई कोर्ट के जजों की राय है, बंगाल हाई कोर्ट के जजों की राय है, मद्रास हाई कोर्ट के जजों की राय है। कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिस की राय न हो। गवर्नमेंट ने जो पहले अपनी राय कायम की थी और जिस की एक किताब मेरे पास उस पर

[श्री आर० डी० मिश्र]

सब ने अपनी अपनी राय भेजी। कोई छोटी-से-छोटी स्टेट ऐसी नहीं बची कि जिस की उस पर राय न आयी हो। लेकिन इस में लिखा गया है कि नहीं अभी राय नहीं आयी है। किस की राय आप मांगते हैं। हाई कोर्ट के जजेज़ की राय आप के पास मौजूद है, मेम्बरों की रायें आपके पास मौजूद हैं। हम लोगों ने इसलिए अपनी रायें भेजी थीं कि उन को पढ़ा जाता। आप ने उन को क्यों नहीं पढ़ा ? उन को पढ़ने के बाद आप अपनी राय कायम करते और यह कहते कि यह रायें ठीक नहीं हैं, देश इस बात को नहीं चाहता, तो हम समझ सकते थे। मैं ने अपने मेमोरेंडम में जो बात लिखी है वह सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ की राय से मिलती है। वह हाई कोर्ट के जजेज़ की राय से मिलती है, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ और बार एसोसियेशन्स की राय से मिलती है। तो मैं पूछता हूं कि आप और किस की राय चाहते हैं। और कौन राय देने वाला बाकी है। लेकिन आप ने एक तरफ नहीं पढ़ा और हमारी मेहनत बेकार गयी। मुझे इस बात की शिकायत है। इस तरह से डिमाक्रेसी नहीं चल सकती। और न इस तरह से काम हो सकता है। क्यों नहीं पढ़ा आपने, बतलाइये ? इस में लिखा है कि एक फेडेरेशन आया प्रेस वालों का। उन्होंने अखबार में छाप दिया था आप अखबार वालों से डरते हैं, इसलिए आप ने उन को बुला लिया। हम को आप ने क्यों नहीं बुलाया। आप हम से भी बात चीत कर लेते। हम ने अखबारों में कुछ नहीं छापा था और न हम छापना चाहते हैं, क्योंकि हम पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं और हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में रह कर हम अपना काम कर सकते हैं। तो मेरी पहली शिकायत यह है कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को जो काम सुपुर्द किया गया था उस ने उस को पूरा नहीं किया। इस हाउस ने जो प्रस्ताव पास किया उस के मुताबिक उस ने काम नहीं किया। इसलिए पंडित ठाकुर दास ने जो तजवीज़ की है मैं उस को सपोर्ट करता हूं कि दूसरी कमेटी बनायी जाय या इसी कमेटी से कहा जाय कि आप ने अपना काम पूरा नहीं किया है, आप कुल मामलात पर गौर कर के और सारे कोड पर गौर कर के अपनी राय दीजिये। कोई जल्दी नहीं है। मुल्क पर कोई आफत आने वाली नहीं है। यह क्रिमिनल प्रोसीड्योर थोड़ी बहुत तबदीली के साथ सन् ८२ से चला आ रहा है। अब भी कोई ऐसी बात नहीं होने वाली है। क्या चीज़ है कि जिस की वजह से जल्दी हो रही है। इस में जल्दी का एक खास कारण है। वारंट केस के बारे में पहले ही कुछ मेम्बरों ने कह दिया कि अब तक मुलज़िम को जिरह करने का जो हक़ था वह अब मुलजिम का हक़ नहीं है। उस पर हमारे बहुत से दोस्तों ने कहा कि मुलजिम के हकूक को काटा जा रहा है। मैं भी समझता हूं कि दो राइट के बगैर फौजदारी मुकदमे में कोई वकील ठीक जिरह नहीं कर सकता। शुरू में मुलज़िम घर से आता है तो वह नहीं जानता कि कौन गवाह आने वाले हैं, उन की क्या शक्ल है। इसलिए उन पर ठीक से जिरह नहीं की जा सकती। इस दिक्कत को तो जो रूरल वकील हैं वही समझ सकते हैं। जो टाप के वकील होते हैं वह न जिरह कर सकते हैं और न वह केस को बनाते हैं। वह तो रूलिंग्स दिखला सकते हैं या कोई टैकनिकल डिफैक्ट हो तो उस को बतला सकते हैं, कि साहब दफा ३४२ में बयान नहीं लिया गया, उस पर दस्तख़त नहीं हैं। असली केस को तो रूरल वकील लड़ाता हैं जिस के सामने सारे वाक़ियात आते हैं और गवाह आते हैं। वह सेशन में केस को लड़ाता है। कह दिया जाता है कि वकील लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बुलवाते हैं। लेकिन मैं बतलाता हूं कि बाज़ वक्त झूठ बोलना भी लाज़िमी हो जाता है। आप कहेंगे कैसे ? मैं

आप को अपना एक तजुर्बा बतलाता हूं । एक डिक्री होल्डर ने एक काश्तकार को बेदखल कर दिया । उस पर क्रिमिनल ट्रेसपास का केस आया चलाया गया । क्रिमिनल ट्रेसपास दो तरह से होता है, एक तो जुर्म की नीयत से जिस की ज़मीन है उस पर जाने से या उस को परेशान करने की नीयत से । तो इस नीयत से अगर कोई किसी के मकान में या जमीन पर जाता है तो कहा जाता है कि उस ने क्रिमिनल ट्रेसपास किया । वैसे तो हम एक दूसरे के मकान पर या जमीन पर आते जाते रहते हैं लेकिन जुर्म उस वक्त होता है जब कि कोई जुर्म की नीयत से या जमीन के मालिक को परेशान करने की गरज से जाता है "हाई कोर्ट ने तै किया कि जब तक मालिक ज़मीन का अनाम करना साबित न हो, दफ़ा ४४० साबित नहीं होता । इसलिये यू० पी० ऐक्ट में तरमीम हुई कि अगर कोई बेदखल हो जाय और अगर बेदखल होने वाला काश्तकार ज़मीन जोते तो यह समझा जायेगा कि उस की नीयत अनाम करने की थी । ज़मींदारों का जब वहां पर वक्त आया था तब कानून में ऐसी तरमीम की कि अगर कोई काश्तकार बेदखल कर दिया जाय और फिर वह उस ज़मीन पर जोतने जाय तो यह समझा जायगा कि उस की ऐंट्री एनायेंस के लिये है, लिहाज़ा प्रिज़म्पशन उस के खिलाफ़ जायगा और उस हालत में मुलज़िम को सज़ा होना लाज़िमी है । अगर उस ने मुंह से कह दिया कि हां ज़मीन से बेदखल हो चुका था और फिर वहां पर आया । इस मामले का एक मुलज़िम मेरे पास आया और उस ने कहा कि साहब मेरे ऊपर लाला ने मुक़दमा कर दिया, मुक़दमा उसे मालूम नहीं था, उस ने यह कहा कि समन ४४७ का था, ज़मीन का मुक़दमा चला दिया । लाला से मुक़दमा लड़ रहा था, उस ने चला दिया । मैं ने कहा कि भाई यह तो बेदखली का मामला है जो ज़मीन तुम से छीनी जा चुकी है और जिस पर तुम वापस आये हो उस से वह तुम को बेदखल करना चाहता है । उस ने मुक़दमा चलाया कि तुम ने उस की ज़मीन दखल के बाद जोती । उस ने कहा ज़मीन पर मेरा कब्ज़ा है, मैं ज़मीन नहीं छोड़ूंगा । अब आप ही बतलाइये कि ऐसे केस को कैसे वकील लड़ें । मैं ने उसको सलाह दी कि अगर तुम ज़मीन से बेदखल हो गये हो और बेदखल होने के बाद ज़मीन जोती हो तो फिर मुक़दमा किस बात का लड़ाते हो तुम्हें सज़ा हो जायगी । उस ने कहा कि मुझे दखल होने का पता नहीं है । अब बताइये अगर शुरू में ही वकील यह प्ली ले ले कि साहब दखल का पता नहीं है और वह काश्तकार जा कर कह दे कि ज़मीन पर मेरा कब्ज़ा है तो सज़ा हो जायगी । इसलिये ऐसे मामलों में, जहां मुद्दई फरज़ी कार्यवाही करते हों और झूठे गवाह सिखा कर तैयार किये जाते हों, घर से उन को पढ़ा-सिखा कर कचहरी में पेश कर दिया जाता हो, इन से बचने के लिये क्या किया जाय । बड़ी होशियारी से काम किया जाये तब कहीं मुक़दमा कामयाब होता है ।

डा० लंका सुन्दरम् : जजमेंट भी पहले तैयार हो चुकता है ।

श्री आर० डी० मिश्र : जजमेंट से कोई मतलब नहीं है । मैं आप को केस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस को समझने की कोशिश कीजिये । मैं ने उस को राय दी कि प्ली यह लेना है कि दखल का मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं ने ज़मीन नहीं छोड़ी, मैंने उस को समझाया कि यह ज़मीन का क़िस्सा है अगर इस में यह साबित हो गया कि दखल के बाद तुम ने ज़मीन जोती तो तुम्हें वह ज़मीन छोड़नी पड़ेगी और कानून ज़बरदस्ती छुड़वायेगा लेकिन अगर यह साबित कर दिया जाता है कि दखल ठीक नहीं हुआ है तो तुम्हें मिल जायगी । काफ़ी वह इस बात पर अड़ा रहा कि मैं ज़मीन नहीं छोड़ूंगा चाहे जान चली जाय । लेकिन जब मैं ने उस से कहा कि मुक़दमा जीतने के वास्ते तुम को इतना कहना ही पड़ेगा

[श्री आर० डी० मिश्र]

कि तुम्हें दखल का पता नहीं है तो वह यह कहने के लिये राज़ी हुआ लेकिन यह कहता ही रहा कि मैं ज़मीन नहीं छोड़ूंगा । क़िस्सा मुख़्तसिर, वह यह कहने के लिये राज़ी हो गया, और उस ने कहा कि मोको साहब दखल का पता नहीं है और जैसे मैं ने कहा था सिखाया था, कह दिया । उस के बाद मैं ने मुस्तग़ीस से जिरह में पूछा कि मुलज़िम के खेत पर कुआं नहीं है, नहर से भराई भी नहीं होती है, उस ने कहा--- 'नहीं' । मैं ने पूछा कि इस साल बारिश तो शुरू आसाढ़ में हुई थी मुस्तग़ीस ने जवाब दिया– 'हां' । मैं ने पूछा कि मुलज़िम ने शुरू आसाढ़ में ही खेत जोता था उस ने कहा 'हां' । फिर मैं ने कहा कि तुम उस के बाद डंडा लेकर उस के खेत पर पहुंचे थे और झगड़ा हुआ था, उस ने जवाब दिया : 'हां' । फिर उस के बाद तो तुम खेत पर नहीं गये, उस ने कहा कि हम नहीं गये । मुझे काग़ज़ों से पता लगा था कि दखल आख़िर आसाढ़ में लिया गया था और ज़मीन पर कोई झगड़ा नहीं हुआ । बारिश दरअसल शुरू आसाढ़ में हुई थी, उसी समय खेत बोया गया था---यह सच्ची बात ज़िरह में मुस्तगीस से निकाल ली । उस के दावे के मुताबिक दखल खेत पर उस ने आख़िरी आसाढ़ में लिया था और बयान में कह गया झगड़ा शुरू आसाढ़ में हुआ । उस के बाद जितने मुस्तग़ीस की तरफ़ से गवाह आये, मैं ने किसी से जिरह नहीं की, क्योंकि सिर्फ़ मुस्तग़ीस से जिरह कर के मैं ने उस के केस को ख़तम कर दिया था । मैं ने अदालत से कहा कि अभी मुस्तग़ीस ने इक़बाल किया है कि मुलज़िम शुरू आसाढ़ में जमीन जोत रहा था और वह डंडा ले कर वहां पहुंचा था और झगड़ा किया था । उस की तरफ़ के वकील साहब का मुंह लटक गया---बोले कि भूल से शुरू आसाढ़ कह गया, उस को आख़िरी आसाढ़ कहना चाहिये था । मैं ने कहा जनाब अब क्या होता है, मारिये चांटा कि वह ऐसा क्यों कह गया । मैं ने जब उस से जिरह के वक्त पूछा कि शुरू आसाढ़ में तो कहता रहा : हां जी, हां जी । मेरे यह सब बतलाने का मतलब यह है कि अदालत में किसी बात को शुरू में खोल देने से मामला बिगड़ जाता है, अगर मुद्दई को इस जिरह का पता लग जाता तो वह शुरू आसाढ़ की बात न कहता और एक बेगुनाह को सज़ा हो जाती । डिफेंस के वकील इस मामले में बड़ी ऐहतियात बरतते हैं और डिफेंस वाले अपना केस खोलना नहीं चाहते और चुप रहते हैं और यह देखते हैं कि मुस्तग़ीस की तरफ़ से क्या सबूत आता है और केस पेश किया जाता है और उस के मुताबिक अपना डिफेंस पेश करते हैं । और जो मास्टर वकील होते हैं वह जिरह करते हैं और जिरह में ही मुकदमा खत्म कर देते हैं । जिरह दो तरह की होती हैं । मुस्तग़ीस के गवाहों से कुछ रिश्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं और वकील पहले हिस्से की जिरह में यह पता लगाना चाहता है कि किस किस बात को मुद्दई और गवाह मान लेगा और किस को नहीं मानेगा । पहली मर्तबा तो वकील जिरह करता है रिश्ते और ताल्लुक़ात के मुताल्लिक़ और अगर गवाह उस को मान लेता है तो अगर किसी जगह वह बात लिखी होती है जिस को गवाह मान लेता है तो नक़ल लेने की ज़रूरत नहीं वरना नक़ल लेनी पड़ती है और डिफेंस तैयार करना पड़ता है । और दूसरी मर्तबा फैक्ट्स पर जिरह होती है और एक साथ जिरह होती है जिस से एक दूसरे गवाह को जिरह न मालूम हो । जिरह में एक गवाह कुछ कहता है और दूसरा कुछ । मैं समझता हूं कि इंसाफ दिलाने के वास्ते दो मर्तबा जिरह करने का राइट ज़रूरी है । मेरा कहना यह है कि आप के इस प्रोसीजर में बड़ी ख़राबियां हैं और जितनी ख़राबियां पहले थीं और जिन की मुझे शिकायत थी वह ख़राबियां पहले से भी ज्यादा आ गयी हैं । मैं ने ही इस को कंडेम

किया था हमारे देशपांडे साहब कहते हैं कि अंग्रेजों की न्याय-पद्धति अच्छी है और चटर्जी साहब भी उस को सपोर्ट करते हैं । ब्रिटिश जुरिसप्रूडेंस के कानून के हमारे डा० काटजू भी बड़े सपोर्टर हैं और हामी हैं, लेकिन मैं ने क्रिमिनल प्रोसीजर में जो ख़राबी और नुक्स थे उन को कंडेम किया । ख़ैर, अच्छा या बुरा जो कुछ वह था उस में जो अच्छी बात थी भी वह इस तरमीमी बिल से ख़त्म हो गयी और अब वह अच्छाई बाक़ी नहीं रहेगी । हम से यह कहा गया कि हम मौजूदा ज़ाब्ता फौज़दारी कानून में से कम्पलीकेशंस निकालने के लिये यह मौजूदा तरमीमी कानून लाये हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप ने उस में से कौन सी कम्पलीकेशन निकाली है । कमिटल प्रोसीडिंग्स अब तक एक किस्म की थी अब दो तरह की इस से हो जायेंगी । एक पुलिस कमिटल और एक प्राइवेट कम्पलेनेन्ट कमिटल । प्राइवेट कमिटल वाले मामलों में मुलज़िम को तीन जिरहों का हक़ होगा, प्राइवेट कमिटल प्रोसीडिंग्स में एक एक हरूफ़ साबित करना पड़ेगा लेकिन पुलिस कमिटल प्रोसीडिंग्स के दौरान कुछ भी साबित नहीं करना पड़ेगा, मुलज़िम को जिरह करने का हक़ नहीं होगा । बिल्कुल एक पुलिस का राज हो जायगा । "ही शैल हैव नो राइट" । जो राइट उस को मौजूदा क्रिमिनल प्रोसीजर ने दिया था, पुलिस के चालान करते ही उस का वह राइट क्रास एग्ज़ामिनेशन का जाता रहेगा । भला यह क्या इंसाफ आप दे रहे हैं और हम वकील लोग जब अदालतों में जायेंगे तो हम से पूछा जायगा कि क्यों साहब यही कानून बना कर पार्लियामेंट से आप हमारे सामने लाये हैं, आख़िर हम लोग भी तो डिफेंस कौंसेल रह चुके हैं । बढ़िया डिफेंस कौंसेल ऐक्यूज्ड के ही होते हैं । वकील पूछेंगे कि ऐक्यूज्ड के वास्ते आप ने क्या किया उन के राइट्स बढ़ाने की जगह उस में कमी कर दी है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा । पुलिस कमिटल केस में डिफेंस का वकील और मुलज़िम दोनों चुप खड़े रहेंगे और उन्हें मुस्तग़ीस और उस के गवाहों से जिरह करने का कोई हक़ नहीं होगा । वे हम से कहेंगे कि आप यह क्या कानून बना कर वहां से लाये हैं तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा । मेरा तो तजुर्बा ऐसा नहीं है और न ही मैं समझता हूं डाक्टर काटजू साहब का होगा कि चुप रह कर और बिना जिरह किये किसी वकील ने किसी ऐक्यूज्ड को छुड़ा लिया हो । मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक केस भी ऐसा न छुड़ाया होगा । मुलज़िम को छुड़ाने की बात तो दूर रही भीख मांगने या दूसरे की जेब से पैसा लेने के लिये काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है । किसी से चंदे में पैसा लेने के लिये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं दूसरे के पास से पैसा निकाल पाते हैं । इसी तरह से दूसरे मुख़ालिफ़ आदमी से अपने हक़ में कोई बात कहलवाने के लिये हमें बहुत माथापच्ची और मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जाकर काम बनता है और डिफेंस का वकील अपने मुलज़िम को छुड़ाने में कामयाब होता है । यह कोई आसान चीज़ नहीं है, यह कोई मामूली बात नहीं है ।

मैं कमिटल प्रोसीडिंग्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूं । मैं चाहता हूं कि सीधे जज साहब के यहां मुक़दमा जाये । मैं उस प्रोसीजर के ख़िलाफ़ हूं । डाक्टर काटजू ने अंग्रेजी न्याय-पद्धति की बहुत तारीफ़ की और कहा कि अंगरेज़ के ज़माने में बड़ा न्याय होता था चूंकि अंगरेज़ जज बैठते थे, तो मैं कहता हूं कि अब क्या बात हो गयी ? अब उन जगहों पर हिन्दुस्तानी बैठ गये तो क्या वे बेईमान हैं, काम नहीं करते हैं । वाह वा, क्या बात है । क्या तारीफ की है आप ने जजों की ? जब अंगरेज़ जज बैठता था तो वह ईमानदार होता था, लेकिन अब हिन्दुस्तानी जज बैठता है, इसलिये वह बेईमान है ।

डा० काटजू : यह कहां कहा गया है, जरा पढ़ कर देखिये ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं ने पढ़ा है, कहिये तो कोट करके दिखा दूं ।

डा० काटजू : आप मजाक में इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन यह गलत है ।

श्री आर० डी० मिश्र : डाक्टर साहब, यह मजाक नहीं है । आप की महाभारत में लिखा है । मेमोरेंडम, वर्ग ग के पृष्ठ २५ पर, जो भारत सरकार ने "डायलेटरीनेस" ("चिक्रियता") के अन्तर्गत परिचालित किया है, यही बात कही गई है । आप उसे पढ़ कर बताइये कि इस का क्या मतलब निकलता है ?

डा० काटजू : आप ने यह फरमाया था....

श्री आर० डी० मिश्र : आगे और पढ़िये, पराई भाषा है, समझने की कोशिश कर रहा हूं । इस में हर जगह अंगरेज़ न्यायाधीश की प्रशंसा की गई है । आखिर इस का क्या मतलब है । हर जगह ब्रिटिश जज और उन दिनों की न्याय-पद्धति की प्रशंसा है ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिये जिस का कोई पुष्ट प्रमाण न हो । वह इस प्रकार की कही बात को कृपया वापिस लें या मेमोरेंडम से ऐसे अंश उद्धृत करें जिन से यह बात सिद्ध की जा सके ।

श्री आर० डी० मिश्र : यदि मैं ने वक्तव्य में कोई ग़लत बात कही हो अथवा किसी प्रकार का आरोप लगाया हो, तो मैं उस को वापिस लेता हूं । मैं ने ऐसी कोई भी बात तो नहीं कही है; यदि माननीय गृह मंत्री अथवा अन्य किसी माननीय सदस्य ने बिना मेरे कहे मुझे ग़लत समझा हो तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं । (हंसी)

सभापति महोदय : इस में हंसी की कोई भी बात नहीं । यदि कोई माननीय सदस्य गृह मंत्री जी के सम्बन्ध में ऐसी वैसी बातें कहे तो सभा उन सब बातों को सही मानेगी---यह हो सकता है कि उन्होंने कुछ बातें ठीक कही हों किन्तु जब तक उन को मेमोरेंडम से उद्धृत नहीं किया जाता तब तक उन्हें सही कैसे माना जा सकता है । कभी यह भी हो सकता है कि किसी भी माननीय सदस्य या मंत्री के मूंह में वे शब्द भर दिये जायें जो उन्होंने कभी नहीं कहे थे । इसीलिये सभा से मेरी यह प्रार्थना है कि यहां ऐसी बातें न कही जायें जिन का कोई पुष्ट प्रमाण न हो । अब माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं ने कोई बात डाक्टर साहब के मुताल्लिक़ ऐसी नहीं कही न यह कहा कि डाक्टर साहब ने कोई बात की है । लेकिन अंग्रेजी में जो यहां पर लिखा है वह जैसा मेरी समझ में आया उस को ही मैं ने एक्स्प्रेस करने की कोशिश की । हो सकता है कि मेरी अंग्रेजी की इतनी लियाकत न हो, तो मैं अपनी इस लियाकत का ढिंढोरा क्यों पीटूं । मैं यहां पर भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश नहीं करता क्योंकि पराई भाषा है, न जाने किस तरह से मुंह से निकल जाये । लेकिन अगर मेरी देशी भाषा के समझने में भी गलती हो जाय तो मेरे पास इस का कोई इलाज नहीं है । अंग्रेजी समय के न्याय की बातें मेरे बहुत से दोस्तों ने कही हैं---हमारे देशपांडे साहब ने भी इस बारे में कहा । पुराने जमाने में जब अंग्रेजी जुरिस्प्रुडेन्स के सिद्धान्त के अनुसार यहां न्याय किया जाता था उस समय यहां अंग्रेज जज काम करते थे, इसलिये यहां पर न्याय होता था । अब चूंकि हिन्दुस्तानी हैं इसलिये, मेरे ख़याल में यह आया कि शायद अब न्याय नहीं किया जाता, बेईमानी होने लगी है । लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है ।

मैं यह कह रहा हूं कि अब तक कमिटमेंट का एक ही प्रोसीजर था, परन्तु अब डबल कमिटमेन्ट प्रोसीडिंग्स कर दी गई हैं। लेकिन वजह यह नहीं है। खराबी यह है कि आप ने सेशन केसेज़ के दो मुख्तलिफ प्रोसीजर कर दिये। एक तो कम्प्लेनेन्ट केस का और दूसरा पुलिस केस का। जैसे ज्योतिष के अन्दर किसी के पीछे सनीचर का ग्रह लग जाय तो समझ लो कि मुश्किल आ गई, उसी तरीके से पुलिस केस हो तो समझ लो कि सनीचर, राहु, केतु, सब चिपट जाते हैं। कम्प्लेनेन्ट के केस तो मैजिस्ट्रेट रियायत कर के छोड़ भी दिया करते हैं, लेकिन पुलिस केस का छुटाना बड़ा मुश्किल होता है। उस केस में मुलज़िम के हक़ को पहले से भी घटा दिया गया है। अगर कम्प्लेनेन्ट केस में मुलज़िम का हक़ घटा दिया जाता तो माना जा सकता था कि गवाह झूठा है, मुलजिम झूठा है, झूठे आदमी निर्दोषों को परेशान करते हैं, लेकिन बहस यह की गई कि कम्प्लेनेन्ट केस के अन्दर पुलिस डायरी नहीं होती है, विटनेसेज के बयान नहीं होते हैं, इस लिये कम्प्लेनेन्ट केस में यह प्रोसीजर होना चाहिये। लेकिन पुलिस केस में तो पुलिस डायरी मौजूद होती है। आप को पुलिस डायरी की हैसियत मालूम हो गई है। मेम्बरान की तकरीरों में आया कि पुलिस जो बयान लिखेगी उस से कोई फायदा नहीं, न उन को प्रोसिक्यूशन की तरफ से साबित ही किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन उस से कोई फायदा नहीं उठा सकता है। फिर इस की क्या गारेन्टी कि वह सही ही होगा। पुलिस डायरी और उस के स्टेटमेन्ट प्रोसिक्यूशन के किस काम का? प्रोसिक्यूशन उसे कोरोबोरेशन के लिये इस्तेमाल नहीं कर सकता। कंट्राडिक्शन में, झूठा साबित करने के लिये मुलजिम ही इस्तेमाल कर सकता है। पुलिस डायरी की यह कीमत है। मैजिस्ट्रेट के सामने दफा २०२ की जांच में जो सबूत मैजिस्ट्रेट लेता है क्या उस की इतनी भी कीमत नहीं है। मैजिस्ट्रेट क्या इतना बेवकूफ है कि चाहे मुस्तगीस किसी को झूठा फंसा दे और वह उस को ठीक समझ ले। पहले वह देखता है कि मुस्तगीस का कम्प्लेण्ट यकीन करने के काबिल है या नहीं। जैसे पुलिस तहकीकात करती है वैसे मैजिस्ट्रेट उस की खुद तहकीकात कर के जब वह इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि मुलजिम ने जुर्म किया तब वह मानता है और मुलजिम को तलब करता है। लेकिन नहीं, यहां इस नये बिल में यह बात नहीं देखी गयी, यह ख्याल नहीं किया गया। होम मिनिस्ट्री को कम्प्लेण्ट केसेज़ पसन्द नहीं हैं इसलिए उन को निकाल दिया गया। इस नये बिल में सेशन ट्राइल में से एसेसर्स को निकाल दिया गया। यह तो एक तरह से ठीक भी किया गया क्योंकि इस बारे में सब की राय थी कि एसेसरों को निकाल दिया जाय। एसेसर तो पहले इसलिये रखे गये थे कि जो अंग्रेज जज आते थे उन को यहां के रस्मो रिवाज नहीं मालूम होते थे, उन को इन एसेसरों से मदद मिलती थी। पर अब तो हमारे अपने मुल्क के जज हैं। वे सब बातें जानते हैं उन को इस तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है। एसेसरों की राय भी अक्सर जज नहीं मानते। इसलिए उन को तो हटा दिया यह ठीक किया। लेकिन सेशन केस में एक जूरी की ट्राइल का सिस्टम भी है। हिन्दुस्तान में जूरी ट्रायल में जितनी दिक्कत आई है उतनी किसी और कानून में नहीं आयी होगी। जूरी ट्रायल में जज की कोई कीमत नहीं रहती। वह तो सिर्फ जूरर्स का क्लर्क रह जाता है। वह केस को उन के सामने पेश करता है। इस पर वकील लोग यह आबजेक्शन बाद में लेते हैं कि इस मुकदमे में नान-डाइरेक्शन या मिस-डाइरेक्शन हुआ इसलिए जूरी का फैसला गलत हुआ और सजा हुई नहीं तो केस छूट जाता। अगर हाई कोर्ट में यह साबित कर दिया जाता है कि किसी केस में नान-डाइरेक्शन या मिस-डाइरेक्शन हुआ है तो केस छूट जाता है। पहले की प्रीवी काउंसिल की रूलिंग्स हैं जिन में कहा

[श्री आर० डी० मिश्र]

गया है कि अगर जूरी की राय से अगर अदालत अपील की राय खिलाफ हो तो जूरी की ही राय ठीक है । जूरी लोगों के सामने सब फैक्ट्स पेश होते हैं इसलिए फैक्ट्स पर उन की राय ही आखिरी मानी गयी है । जूरी ट्राइल में बहुत सी दिक्कतें होती हैं । एक केस मैं ने पढ़ा है जिस में जज जूरी के साथ एग्री कर जाता है । जहां पर ऐसा होता है वहां पर हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती । वह यही कहती है कि अगर कोई मिस-डाइरेक्शन या नान डाइरेक्शन हो तो बतलाओ वरना हम कुछ नहीं कर सकते । जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूं वह मद्रास का केस है । उस का नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है । उस में जज जूरी से एग्री कर गया था । वह केस बड़ा पिटीएबल था । हाई कोर्ट के जज की राय थी कि उस को छोड़ देना चाहिए । प्रासीक्यूशन का काउंसिल भी एग्री कर गया कि जूरी के फैसले में कुछ गड़बड़ हुई है इस को छोड़ दिया जाय । लेकिन उस में कुछ नहीं किया जा सका क्योंकि जज जूरी से एग्री कर गया था और कोई मिस डाइरेक्शन या नान डाइरेक्शन का पाइंट मिला नहीं । हाई कोर्ट के जज ने कहा कि हम इस में क्या कर सकते हैं । लिहाजा उस में कुछ नहीं किया जा सका और सात साल की मैक्सिमम सजा उस में रही । जिस आदमी को एक हाई कोर्ट का जज इन्नोसेंट समझता है उसको वह नहीं छोड़ सका । उस मुकदमे में सरकार से रहम करने की सिफारिश की गई थी । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह के कम्प्लीकेशन्स इस जूरी ट्राइल में होते हैं । यू० पी० में जो वांचू कमेटी बैठी थी उस ने इस को हटाने के लिये सिफारिश की थी और यू० पी० ने जूरी ट्रायल को बन्द कर दिया । बहुत सी स्टेट्स में तो यह ट्रायल कभी हुई ही नहीं । राजस्थान में यह नहीं है । इस के हक में कहा यह जाता है कि यहां डिमाक्रेसी है, अगर दस आदमियों की राय से काम हो तो अच्छा है । हो सकता है कि अगर दस अच्छे अच्छे आदमी इस काम को करें तो वह ज्यादा अच्छा हो । लेकिन होता क्या ? इस जूरी ट्रायल में जूरर्स को एक तरह से कैद कर दिया जायेगा । जितने दिन केस चलेगा उतने दिनों के लिए उन को कैद सी हो जायेगी । इसलिए अच्छे आदमी इस में आना पसन्द नहीं करेंगे और थर्ड रेट आदमी आयेंगे जो तरह तरह से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे । इस पर ज़रा सीरियसली गौर करना चाहिए था । लेकिन इस मामले पर गौर नहीं किया । मुझे थोड़ा वक्त और दिया जाय ।

सभापति महोदय : अभी आनरेबल मेम्बर को बोलते हुए सिर्फ ३५ मिनट हुए हैं । मैं चाहता हूं कि आनरेबिल मेम्बर को अगर कोई ज़रूरी बातें कहनी हों तो वह उन को चार पांच मिनट में कह दें वर्ना अगर वह इस तरह से केसेज़ के किस्से सुनायेंगे तब तो घंटों लग जायेंगे ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं जल्दी ही खत्म करता हूं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून के अन्दर कोई जल्दी की चीज़ नहीं है । अगर ट्रांस्पोर्टेशन की जगह पर प्रिज़न आफ लाइफ हो जाय तो कोई फर्क नहीं पड़ता है । अगर कानून में ट्रांस्पोर्टेशन बना भी रहे तो कोई बात नहीं । अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो आजकल ट्रांस्पोर्टेशन नहीं कर सकती क्योंकि ट्रांपोटशन की कोई जगह नहीं है उस का अर्थ जन्म कैद ही होता है । तो इस की कोई जल्दी नहीं है । असेसर्स से कोई असर नहीं पड़ता । न मुल्क में कोई बल्वा होने जा रहा है कि जिस के लिए इस कानून बनाने की जल्दी हो । फिर क्या जल्दी है इस कानून को बनाने की ? हां दफा १९८ में डिफेमेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है । उस पर गौर कीजिये । इस में किसी ने होशियारी से

मिनिस्टरों को शामिल कर दिया है । इस से यह जाहिर होने लगा है कि यह कानून मिनिस्टरों को बचाने के लिये लाया गया है । लेकिन असल बात यह है कि सरकारी मुलाजिम इस तरह से अपने को बचाना चाहते हैं जिन्होंने कि तमाम गवर्नमेंट को बदनाम कर रखा है, जिन में बहुतों पर ब्राइबरी और करप्शन के केसेज़ चले हैं और बहुतों को सजायें हुई हैं और कुछ के केसेज़ अभी पेंडिंग हैं । हम लोग इन के करप्शन और ब्राइबरी की वजह से परेशान हैं । ये लोग इस तरह से अपने लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं । पहली मर्तबा १९७ दफा का जिक्र करते हुए मैं ने इस हाउस के सामने कुछ कहा था । अगर किसी सरकारी काम करने में किसी सरकारी मुलाजिम से गलती हो जाय तो बगैर गवर्नमेंट की मंजूरी के उस पर दफा १९७ के कारण सरकार की मंजूरी के बिना नहीं चल सकता । बड़ी अच्छी बात है । अगर कोई थानेदार किसी बलवे को रोकने में डंडे मार रहा है और फोर्स इस्तैमाल कर रहा है, उस वक्त अगर कोई शरीफ आदमी उधर आ जाता है और उस के डंडा लग जाता है तो मामूली तौर पर दफा ३२३ का ज़र्म हो जाता है । लेकिन चूंकि थानेदार ने किसी बुरी नीयत से ऐसा नहीं किया इसलिए उस पर जुर्म आयद नहीं होता । लेकिन दफा १९७ की इस रियायत का इस्तैमाल कर के सरकारी मुलाजिमों ने बहुत गड़बड़ की । उन्होंने न सिर्फ सैंकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में रिश्वत लेना शुरू कर दिया । वे लोग ६० बरस पुरानी शराब रिश्वत में लेने लगे, यानी अपनी जिन्दगी से पहले की शराब की उन को ज़रूरत होने लगी । जब उन को बहुत पैसा मिलने लगा तो उन को आजकल की शराब से नशा नहीं आता और उन को ६० बरस की पुरानी शराब की ज़रूरत महसूस हुई । इस पर इन में से कुछ पर मुकदमे चले और सज़ायें हुईं और कुछ पर चल रहे हैं और कुछ पर चलेंगे । जब बहुत रिश्वत बढ़ गई तो सन् ४७ में एक ऐक्ट बना जिस के मुताबिक इस जुर्म को कागनिजेबिल कर दिया गया कि पुलिस वाले मुजरिमों को पकड़ेंगे और बन्द कर देंगे । यह लोग जो खुदाई कर रहे हैं इन को इस खुदाई से उतार दिया जाय । यह ऐक्ट सन, ४७ को बना । लेकिन उस कानून में बड़ी होशियारी से एक दफा आगे बढ़ा दी गई कि आयन्दा दफा १६१ और १६५ के मुकदमे गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर नहीं चल सकते । अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी चाहिए, अगर वह स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो उस की मंजूरी चाहिए और अगर किसी और डिपार्टमेंट का है तो उस डिपार्टमेंट के हैड की मंजूरी चाहिए ऐसा क्यों किया गया यह इसलिये कि रिश्वत लेना कोई डिस्चार्ज आफ पब्लिक ड्यूटी नहीं है । हाई कोर्ट्स ने फैसला दिया था कि रिश्वत लेना पार्ट आफ ड्यूटी नहीं है और इस के लिए १९७ के मुताबिक सरकार की सेंक्शन की ज़रूरत नहीं है । अब चूंकि अफसरों ने देखा कि कांग्रेस वाले रिश्वत रोकने के लिये एक कानून चाहते हैं तो उन्होंने उस कानून में यह दफा बढ़ा दी । और उस में यह दफा रख दी । अब इस से कानून का असर दूसरा ही हो गया कि रिश्वत का मुकदमा चलाने की भी मंजूरी सरकार से लो । और यह मंजूरी कौन देगा ? कोई सेक्रेटरी साहब । यह अपने आदमियों को कब पकड़ा जाने देंगे क्योंकि वे तो उन की मार्फत ही रिश्वत लेते हैं । उन के साथ तो उन का हिस्सा बंटा हुआ है । ऐसे कानूनों से कोई फायदा नहीं । मैं कहता हूं कि डिमाक्रेसी अच्छी है, डिक्टेटरशिप भी अच्छी है और राजा भी अच्छे हैं बशर्ते कि उन का एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम ठीक हो । अगर गवर्नमेंट खराब है तो कोई भी सिस्टम खराब हो सकता है । मैं आप को एक मोटी सी बात बतलाता हूं । आजादी के बाद हम ने खद्दर पर जोर दिया । लेकिन अफसर लोग टाई

[श्री आर० डी० मिश्र]

कालर में ही आते रहे । हम ने यह चीज़ अखबारों में छापी, राष्ट्रपति ने सरकूलर निकाले, जवाहर लाल जी ने सरकुलर निकाले । हम ने परसनली लोगों से कहा कि अब जब राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अपील निकाली है और ड्रैस तै कर दी है तब टाई क्यों पहनते हो ? क्या जवाहर लाल जी जब घर घर जा कर आप से कहेंगे तब आप खद्दर पहनेंगे । लेकिन हम देखते हैं कि आज भी गवर्नमेंट के मुलाजिम न राष्ट्रपति की परवाह करते हैं, न जवाहर लाल जी की परवाह करते हैं, न मैजारिटी की परवाह करते हैं और न माइनारिटी की परवाह करते हैं । इसी पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि आज भी सरकारी अफसर आफिसर्स गैलरी में कालर टाई लगाकर आते हैं । कहां है राष्ट्रपति का आर्डर ? ये लोग कैसे घुस आते हैं सेक्रेटेरियट में टाई कालर लगा कर ? ये लोग किसी की परवाह नहीं करते ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को दो मिनट और देता हूं, वे अपना भाषण समाप्त कर लें ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं यह कह रहा था कि सिस्टम की ख़राबी है । जब हम लोग पार्लियामेंट में रह कर यहां के अफसरों से अपनी बात नहीं मनवा सकते तो जजों और मजिस्ट्रेटों से अपनी ख़्वाहिश और बात कैसे मनवा सकते हैं । इस तरमीमी बिल को पास करने के लिये जो जल्दी की जा रही है कि बड़े बड़े अफसर लोगों पर सरकार की ओर से डिफेमेशन के मुकदमे चला कर जनता का रिश्वत और करप्शन के बारे में मुंह बन्द कर दें । पिछले छः महीनों में जिस किसी ने कोई बात कही हो सरकार उस की तहकीकात न करने पावे । मिनिस्टर की आड़ में यह अफ़सरान का तबक़ा चाहता है कि यह कानून जल्दी पास हो जाये और उन को डिफेमेशन के मुकदमे चलाने का अख़्त्यार मिल जाय । मेरा कहना यह है कि इस क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में यह जो मिनिस्ट्रों और अफसरों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है यह जायज़ नहीं है । यह क्रिमिनल प्रोसीज्योर बिल सेल्फ कंडेम्ड है इस को किसी पार्टी ने पसन्द नहीं किया है, कोई बात इस में अच्छी नहीं है । मैं डाक्टर काटजू साहब से अपील करूंगा कि हमारे ठाकुर दास भार्गव जी ने जो तरमीम रखी है उस को मान कर इस बिल को कमेटी में वापिस ग़ौर के लिये भेज दें या इस पर गौर करने के लिये कमीशन बना दें वह गौर करे और उस के बाद इस को माकूल शक़ल में लायें तब मैं आप को यक़ीन दिलाता हूं कि इस को सब तरफ़ से सपोर्ट मिलेगा और जो आप की ख़्वाहिश और मंशा है जिस को इस बिल के एम्स और ओब्जेक्ट में आप ने जाहिर किया है वह पूरी हो सकेगी, मौजूदा शक़ल में पास करने से हम अपना मक़सद नहीं हासिल कर सकेंगे ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अब तक इस विधेयक की जो आलोचना की गई है उस के आधार पर उसे दो भागों में बांटा जा सकता है । एक ओर तो वे व्यक्ति हैं जो सरकार के विरोधी होने के नाते सरकार-विरोधी तत्वों पर जोर दे रहे हैं । और दूसरे वे व्यक्ति हैं जो इस विधेयक का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह अभियुक्त के हित में नहीं है ।

अपराध-विषयक न्याय प्रशासन का सम्बन्ध भारत की ३६ करोड़ जनता से है । इसलिये यह ऐसा होना चाहिये कि सम्पूर्ण जनता में इस के प्रति विश्वास बना रहे । कुछ कमियों के बारे में उच्च न्यायालय ने ध्यान दिलाया है और कुछ कमियां और भी नज़र आई हैं । इसलिए चार वर्ष पूर्व, जब कि वर्तमान संसद् की स्थापना भी नहीं हुई थी, सरकार ने इस के बारे में राय जानने की कोशिश की थी और यह भी जानने का प्रयत्न किया था कि कहां तक जनमत एक-सा रहता है ।

इस जांच के आधार पर सरकार यह जानना चाहती थी कि क्या इस सम्पूर्ण संहिता में बहुत परिवर्तन होना है जिस के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता का पूर्णतः नया प्रारूप बनाना होगा अथवा वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता में जो इतने दिनों से चली आ रही है इधर उधर कुछ परिवर्तन करना है जिस से कि दंड प्रक्रिया संहिता के मूल सिद्धान्तों में हेर-फेर किये बिना कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने से काम चल जायगा । इस सम्बन्ध में सरकार के पास न केवल राज्य सरकारों का ही मत आया अपितु राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में जो प्रश्नावली दी गई थी तथा जिन बातों पर उन की राय जानने का प्रयत्न किया गया था, उन सब को इतने वृहत रूप से प्रसारित किया गया था कि हमारे पास सभी वर्गों की रायें आ गईं ।

विरोध पक्ष के एक सदस्य ने कहा था कि हम ने सभी वर्गों से रायें नहीं मांगी हैं अपितु कुछ वर्गों से ही मांगी हैं । सन् १९५३ के बाद से अब तक समाचार-पत्रों द्वारा हम ने इस की चर्चा की है और इस से यह प्रकट होता है कि जनता इस विधेयक के सभी उपबन्धों के पक्ष में है । अंग्रेजी समाचार-पत्रों द्वारा ही हमें काफ़ी समर्थन नहीं मिला अपितु भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों द्वारा भी समर्थन मिला है । इसलिए गत वर्ष जब सूचना-पत्र में यह विधेयक पहली बार प्रकाशित हुआ था तो सभी वर्गों के लिए इस बात की छूट थी कि वे अपने-अपने विचार प्रकट करें । हमें कुछ ऐसे लोगों की रायें प्राप्त हुई हैं जो न तो वकील हैं और न न्यायाधीश । इन सभी विचारों को दृष्टि में रख कर सरकार ने विधेयक तैयार किया था । जैसा कि मैं ने बताया, सरकार ने इस सम्बन्ध में एक नीति अपनाई है और वह यह है कि मूल आधारों में कोई हेर-फेर किये बिना कुछ सुधारों की बहुत आवश्यकता है, और सरकार की दृष्टि में वे सुधार बहुत ही दृढ़ एवं उचित हैं । इसलिए सरकार ने कुछ परिवर्तन किये हैं और सम्पूर्ण भारत की जनता के समक्ष उन को प्रस्तुत किया है । तदुपरान्त काफी मात्रा में सरकार के पास लोगों की राय एवं उन के विचार आये हैं । सरकार ने फिर कुछ परिवर्तन किये और इस वर्ष आय-व्ययक सत्र के समय इसे प्रस्तुत किया गया । दोनों सभाओं में इस पर काफ़ी दिनों तक चर्चा हुई और सरकारी विधेयक के कुछ उपबन्धों की कटु आलोचना हुई । इस के बाद गृह-कार्य मंत्री ने स्पष्टतः यह बता दिया कि इस विधेयक को किसी दल का विधेयक न समझा जाय और इसी दृष्टि से इस पर विचार किया जाय । इस के बाद संयुक्त प्रवर समिति की स्थापना हुई । इन प्रश्नों पर विचार हुआ और जब यह देखा गया कि काफ़ी मात्रा में जनमत मिल गया है और विधेयक के कुछ उपबन्धों के बारे में न्यूनाधिक रूप में सब का एक-सा मत है तो सरकार ने अपना विचार वैसा ही बना लिया । और वह सर्वमाननीय सूत्र संयुक्त प्रवर समिति ने स्वीकार कर लिया । हमारे सामने इस समय वह विधेयक है जिस पर संयुक्त प्रवर समिति ने अच्छी तरह विचार कर लिया है । संयुक्त प्रवर समिति द्वारा दिये गये सभी या लगभग सभी सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है । अब जो यह पृष्ठभूमि तैयार हुई है वह सरकारी विधेयक की नहीं अपितु एक ऐसे विधेयक की है जिसे संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त प्रवर समितियों का अधिकतम समर्थन मिला है । संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन अच्छा है अथवा इस में और संशोधन की आवश्यकता है,—यह विचार करना इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध बात है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता दूं कि इस विधेयक के पुरःस्थापन के पश्चात् जब पिछले बजट सत्र के दौरान चर्चा हुई थी तब एक विशिष्ट सुझाव यह था कि इस पर जनमत जानने के लिये इसे जनता में परिचालित किया

[श्री दातार]

जाय। यह अस्वीकृत हुआ। उस समय आप के तथा अन्य दूसरे सदस्यों के द्वारा रखा गया एक सुझाव यह भी था कि विधेयक को विधि आयोग के नियुक्त होने तक रोक लिया जाय, तथा विधि आयोग दंड प्रक्रिया विधि तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसे देश की सभी विधियों से सरोकार रखना था। हमारा यह मत है कि जहां तक पहिले प्रश्न का सम्बन्ध है, वह न्यूनाधिक रूप में अवरुद्ध है क्यों कि सभा ने उस विशेष प्रस्ताव को गिरा कर यह निर्णय किया था कि जनमत जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि जहां तक जनमत की मुखरता का प्रश्न है, वह सभा के समक्ष है।

जहां तक विधि आयोग का सम्बन्ध है, मैं सभा को यह बता दूं कि यह न्यूनाधिक रूप में विलम्बकारी सुझाव है।

विधि आयोग, जिसे नियुक्त किया जा रहा है अथवा जो सरकार के समक्ष विचाराधीन है वह सभी विधियों से सरोकार रखने वाला एक सामान्य उपाय है। यदि एक विशेष आयोग नियुक्त किया जाय तो भी इस कार्य में कम-से-कम दो वर्ष का समय लगेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सरकार दो तीन वर्ष का विलम्ब स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है; उस का दृष्टिकोण यह है कि जनमत के अनुरूप वह कुछ मामलों में तत्काल ही एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। हमारे विचारों को संयुक्त प्रवर समिति ने भी स्वीकार किया है। इसलिये मैं यह बतलाना चाहूंगा कि विधेयक को जनमत जानने के लिये भेजना अथवा विधि आयोग का मत जानने के लिये रोकना आवश्यक नहीं है।

कुछ विवादास्पद प्रश्नों, जिन पर जनता का पर्याप्त ध्यान केन्द्रित है, को लेने के पूर्व मैं सभा को यह बता दूं कि इस विधेयक का उद्देश्य देश के दंड न्याय प्रशासन को सुधारना है। आप ने कहा है कि इस विधेयक से धरती पर स्वर्ग नहीं उतर आयेगा : मैं इस के लिए आप से पूरी तरह सहमत हूं किन्तु यह वर्तमान अवस्थाओं को सुधारने का प्रयास है; इस की कई अन्य दिशायें भी हैं; हम ने पुलिस को भी वहां तक सुधारना है जहां तक उस का सुधार अत्यन्त अनिवार्य है।

हमें अनुत्तरदायी आलोचनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी ने भी कहा है कि ऐसी आलोचनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो वह हमारी अपनी राष्ट्रीय पुलिस है। सरकार इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

इसी प्रयोजन के लिये सरकार का अपना कार्यक्रम है। उन में से एक सुधार यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया जाय। हम दूसरी दिशाओं में भी कदम उठा रहे हैं; हम आलोचकों की इस बात से सहमत हैं कि जांच की पद्धति का सुधार किया जाय। इस प्रश्न पर सरकार तथा राज्य सरकारें ध्यान दे रही हैं। हम जांच करने की वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रारम्भ कर रहे हैं। इसलिये मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार केवल इस विधेयक से ही संतुष्ट नहीं होगी; यह सुधार के उन कई पहलुओं में से एक है जो सरकार की दृष्टि में हैं।

अब मैं उन विशिष्ट प्रश्नों को लूंगा जिन पर सभा में जोरदार आग्रह किया गया है तथा जिन के सम्बन्ध में संयुक्त प्रवर समिति की न्यूनाधिक सर्वसम्मति की इच्छा पर सरकार ने रूपान्तरण स्वीकृति दी है। आप को ज्ञात होगा कि विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त पहली चर्चा पर कुछ विशेष उपबन्धों पर गौर किया गया था। उदाहरणस्वरूप धारा १४५ से १४८ और १६२ से सम्बन्धित समर्पण की

कार्यवाही, मानहानि की विधि तत्पश्चात् कूट साक्ष्य के दंड के लिये विशेष उपबन्ध तथा कुछ अन्य । ये मामले सभा में बहुत ही विवादास्पद समझे गये । मैं सभा को यह बता दूं कि इन के सम्बन्ध में सरकार ने संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त प्रवर समिति के मत को स्वीकार किया है । इस कारण सरकार की आलोचना तथा विरोध करते रहना गलत होगा । हमारे पास केवल सरकार के ही विचार नहीं हैं किन्तु संसद् की दोनों सभाओं के ४९ सदस्यों के भी विचार हैं ।

उन्हों ने इस पर पर्याप्त समय बिताया है, तथा इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर सोचा है । इस प्रकार हमारे पास संयुक्त प्रवर समिति के विचार हैं जिन पर मेरे मत से आदरपूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : क्या यह स्वयंसिद्ध सत्य नहीं है कि पूर्ण, अंश से अधिक बड़ा होता है तथा समस्त सभा का मत ही इस विषय का अन्तिम निर्णय कर सकता है ।

श्री दातार : इसी कारण मैं ने इसे आदरपूर्वक विचार कहा है, न कि स्वीकृति । मैं ने इस शब्द का प्रयोग किया है ।

मैं उन उपबन्धों का जिक्र नहीं करूंगा जिन के सम्बन्ध में बहुत विवाद हो चुका है, तथा जिन के सम्बन्ध में सरकार एक प्रकार का समझौता स्वीकार कर चुकी है । उदाहरण स्वरूप धारा १४५, एक सामान्य भावना है कि यह विलम्बकारी है तथा न्यूनाधिक व्यावहारिक प्रकृति की है, यद्यपि इस को दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल कर लिया गया है क्योंकि शान्तिप्रसारण अथवा शान्ति प्रसारण की सम्भावना के सम्बन्ध में कब्जे के प्रश्न पर भी विचार करना होगा । इसलिये यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि जहां तक इन उपबन्धों का सम्बन्ध है, वे न्यूनाधिक व्यावहारिक प्रकार के तो हैं किन्तु वे शान्ति तथा व्यवस्था के कारणों से दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किये गये हैं । हम ने पहिले यह प्रस्ताव किया था कि कोई न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिये । आवेदन प्रस्तुत होते ही सम्पत्ति कुर्क हो जानी चाहिये तथा दोनों पक्षों को व्यावहारिक न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये । यह उपबन्ध बहुत कड़ा समझा गया । न्यायाधीशों तथा इस सभा के कई माननीय सदस्यों ने यह बतलाया कि इस का ऐसे व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग हो सकता है जो दूसरे व्यक्ति से कब्जा छीनने के लिये स्वयं कब्जा न रखता हो संयुक्त प्रवर समिति ने इस कारण यह सुझाव दिया कि साधारण मामलों में जहां पर कब्जे का प्रश्न उलझा हुआ न हो, दण्डाधीश भी इस प्रश्न पर विचार कर सकता है तथा जहां तक कब्जे का सम्बन्ध हो, संक्षिप्त जांच कर सकता है । तब यह बतलाया गया कि उस पक्ष के लिये, जो दण्डाधीश के समक्ष पराजित हुआ है, कब्जे के प्रश्न पर विधि न्यायालय में जाना खर्चीला होगा । इसलिए एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला गया । जिस के अनुसार वह मामला रोका जायगा, तथा व्यवहार-न्यायालय को कब्जे के प्रश्न पर तीन महिने के भीतर जांच करनी होगी । यह समय तथा धन की मितव्यतता के लिए किया गया है । न्यायालय शुल्क कुछ भी नहीं दिया जायेगा । न्यायाधीश इस मामले को देखेगा तथा तीन महिनों के भीतर उस कब्जे के प्रश्न पर, जिस पर कि दण्डाधीश का विचार है कि यह उलझा हुआ है एक निश्चयात्मक स्थिति ज्ञात हो जायगी ।

इस प्रकार इसका उपयोग एक समझौता-सूत्र के रूप में हो रहा है । यह खर्चीला भी नहीं होगा तथा दोनों पक्षों के लिये उपयोगी होगा तब शीर्ष के प्रश्न पर पक्ष अपनी इच्छानुसार जांच अथवा आन्दोलन कर सकते हैं । इसी कारण धारा १४५ से १४७ में एक नया

[श्री दातार]

खंड जोड़ा गया तथा साधारण मामलों में दण्डाधीश यह न्यायिक विचार करने, कि वह किसी विशेष व्यक्ति का कब्जा था अथवा नहीं, के सम्बन्ध में किसी परिणाम पर पहुंचने को स्वतंत्र होगा ।

अब मैं धारा १६२ पर आता हूं । इस मामले में धारा १६२ को रहने दिया गया है। हमारी मूल अभिलाषा थी कि धारा १६२ को हटा दिया जाय। इस से अभियोक्ता-पक्ष तथा अन्य लोग पहिले के बयानों को संप्रतिपति मान लेने के लिये स्वतंत्र होते तथा सुनवाई के समय प्रतिवाद अथवा पुष्टि करने के प्रयोजन के लिये उन का उपयोग करते । यह विशेष रूप से उल्लिखित था कि इस बयान का उपयोग अभियोक्ता-पक्ष न कर सके । संयुक्त समिति ने जिस समझौता संशोधन का सुझाव दिया है वह यह है कि प्रतिवाद के अधिकार पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा है । जहां तक अभियोजन का प्रश्न है उन्हें न्यायालय तक जाने की स्वीकृति है तथा इस आधार पर अनुमति मांगने की स्वीकृति है कि विशेष साक्षी प्रतिकूल हो गया है । तथा यदि साक्ष्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार न्यायालय इस परिणाम पर पहुंचता है कि वह प्रतिकूल है तो ऐसे मामले में अभियोजन उस से प्रतिवाद करने के प्रयोजन से प्रश्न पूछ सकता है तथा यदि कोई पहिला बयान हो––हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि जो कुछ उस ने पहिले कहा वह आवश्यक रूप से गलत है तथा जो कुछ वह दंडाधीश के सम्मुख कहता है वही आवश्यक रूप से सही है––तथा यदि पहिला बयान उपयोग में लाने की स्वीकृति हो तो इस का उपयोग करने की स्वीकृति दोनों पक्षों को होगी तब यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि उस का उपयोग पुष्टि के प्रयोजन के लिये नहीं होगा यदि यह ज्ञात होगा कि यह पहिले बयान की ओर लौट रहा है तो उस का पहिले बयान से प्रतिवाद कर दिया जायेगा । आप अब देखेंगे कि किसी विशेष मामले के प्रारम्भ के बहुत पहले ही सारे पत्र, अभिलेख, बयान, तथा दूसरे मसविदे अभियुक्त के सम्मुख रहेंगे । इस के पूर्व १६२ के अधीन बयान ही, प्रक्रिया की एक स्थिति के पश्चात अभियुक्त को दिये जाते थे । आप को पता लगेगा कि अभियुक्त के हित में मामला प्रारम्भ होने के बहुत पूर्व ही उसे सारे मसविदे निशुल्क प्राप्त हो जायेंगे । अभियुक्त के हित में यह एक बहुत बड़ी प्रगति है । इस प्रकार मैं सभा से निवेदन कर रहा था कि सरकार ने संयुक्त समिति द्वारा सुझाये हुए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को स्वीकार किया है ।

अब मैं समर्पण की कार्यवाही को लेता हूं । इस के सम्बन्ध में लगभग सर्वसाधारण जनमत यही था कि समर्पण की कार्यवाही बिल्कुल समाप्त कर दी जाय । श्रीमान्, आप ने भी कल यह कहा था कि समर्पण की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये किन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि दंड प्रक्रिया संहिता में समर्पण की कार्यवाही का जो स्वरूप है उस पर पूर्व-विचार किया जाना चाहिये । वे गम्भीर मामले हैं और उन के सम्बन्ध में जांच या अन्य किसी भी प्रकार कुछ साक्ष्य अवश्य इकट्ठा किया जाना चाहिये और मूल विधेयक, जो सरकार के सम्मुख था, के प्रस्ताव के अनुसार दण्डाधीश का यह कर्तव्य था कि वह ध्यान रखे कि क्या दस्तावेजों के पेश करने के सम्बन्ध में उचित उपबन्ध किया जाता है । इस के पश्चात् उसे सम्बन्धित दण्डाधीश या सत्र न्यायालय के पास सभी पत्र भेजने पड़ते थे । संयुक्त समिति को यह बताया गया था कि ऐसे मामले में, उदाहरणार्थ, यदि मामला बिल्कुल नगण्य है तो जिस दण्डाधीश के सम्मुख इस की कार्यवाही हो रही हो उसे यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने

काम को न्याय सम्बन्धी पहलू पर भी विचार करे। वह अभियुक्त को मुक्त कर सकता है यदि वह देख ले कि सामग्री काफी पक्की नहीं है या साक्ष्य नगण्य है। मेरे माननीय मित्र श्री पाटस्कर ने कल हठपूर्वक कहा था कि ऐसे मामलों में प्रति परीक्षण का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जाता। उस का उत्तर मेरे पास यह है कि यह एक पूर्ण प्रारम्भिक जांच के रूप में नहीं है जैसा कि प्रारम्भ में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार सोचा गया था। अब गम्भीर अपराधों के ऐसे मामले बहुत कम हुआ करेंगे और इसी कारण प्रति परीक्षण का अधिकार लौटा लिया गया था। आप देखेंगे कि मेरे मित्र ने ठीक उस के नीचे अगले उपबन्ध को नहीं पढ़ा। उस में यह उल्लिखित है कि इस का यह अभिप्राय नहीं कि दण्डाधीश जो प्रश्न पूछना चाहे उन्हें पूछने का उसे अधिकार न होगा।

श्री पाटस्कर : क्या इस का अभिप्राय प्रति-परीक्षण होगा ?

श्री दातार : इस का अभिप्राय है कि यदि ऐसे मामले में प्रति-परीक्षण आवश्यक हो तो अभियुक्त न्यायालय की अनुज्ञा मांगेगा और न्यायालय उस पर विचार करेगा। हम केवल यह चाहते हैं कि कार्यवाही को लम्बा न किया जाये। और फिर मैं सभा को बता दूं कि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। समर्पण कार्यवाही के मामलों में भी देखा गया है कि बहुत कम और असाधारण अवसरों पर अभियुक्त के वकीलों को प्रति-परीक्षण करने दिया जाता है। इन तथ्यों के होते हुए सरकार ने सोचा कि प्रति-परीक्षण अधिकार स्वरूप देने की आवश्यकता नहीं। परन्तु फिर भी दण्डाधीश को छूट होगी कि वह, यदि देखे कि कोई विशेष प्रश्न अत्यन्त सुसंगत अथवा अत्यन्त आवश्यक है तो वह अभियुक्त के प्रस्ताव पर उसे पूछ सके।

कल मेरे माननीय मित्र श्री पाटस्कर ने आग्रह किया कि निजी शिकायत की समर्पण कार्यवाही और अभियोजन कार्यवाही में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। जैसा कि मैं ने अभी बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरम्भ की गई समर्पण कार्यवाही में कुछ सामग्री तैयार रहती है जिस पर सत्र न्यायालय आगे कार्यवाही कर सकता है। निजी शिकायत में तो यह स्पष्ट ही होता है कि फ़र्यादी ने उसी समय उसे आरम्भ किया होता है इसलिये जब तक कोई प्रारम्भिक कार्यवाही के लिये सामग्री एकत्र न की जाए तब तक अभियक्त को बड़ी असुविधा होगी और स्वयं अपराधी के लिये भी यह अनुचित होगा। ऐसे मामले में फ़र्यादी सारे तथ्य उपयुक्त रूप से सत्र न्यायाधीश के सामने नहीं रख सकेगा। श्रीमान्, इसी प्रयोजन के लिये संयुक्त समिति सहमत हो गई कि सत्र न्यायालय में चलाये जा सकने वाले निजी शिकायतों के मामलों में——जो बहुत कम ही होते हैं——वर्तमान प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये।

फिर अधिकतर मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों की मानहानि सम्बन्धी उपबन्धों की ही आलोचना की गई। कल मेरे माननीय मित्र ने मंत्रियों पर दया की परन्तु उन्हों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों तक यह न पहुंचने पाये। जहां तक इस का सम्बन्ध है जब विधेयक मूल रूप से पुरःस्थापित किया गया और आय-व्ययक सत्र में वाद-विवाद किया गया। उस समय सरकार की नीति सभा, जनता और प्रैस आयोग के सामने थी।

उन उपबन्धों में से, जिन पर आपत्ति की गई, एक यह भी था कि अपराध को हस्तक्षेप्य नहीं बनाया जाना चाहिये। प्रैस आयोग ने इस विशेष प्रश्न पर विचार किया और मैं आप को एक दो पैरे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिस में प्रैस आयोग के अधिक

[श्री दातार]

संख्या में सदस्य इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि सरकारी कर्मचारी अथवा मंत्री की मानहानि के मामले में, यदि वह व्यक्ति जिस की मान-हानि की गई है स्वयं न चाहे तो सरकार अभियोग चला सके । मैं सभा का ध्यान पृष्ठ ४३१ और उस के आगे के पृष्ठों की ओर दिलाता हूं । मैं विशेषकर दो पैरे सभा को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "हमारा विचार है कि यदि ऐसे मानहानि के मामलों को हस्तक्षेप्य अपराध बनाना ही है तो उन्हें किसी सरकारी कर्मचारी पर उस के सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन के बारे में लगाये गये आरोप तक ही सीमित रखा जाये, जैसे कि विधेयक में प्रस्तावित है । फिर भी हम समझते हैं कि इस प्रक्रिया से रक्षा नहीं की जा सकेगी ।"

आगे मैं सभा का ध्यान निम्नलिखित विचारों की ओर दिलाना चाहता हूं :

> "दूसरी ओर हम अनुभव करते हैं कि कुछ ऐसे मामले होंगे जहां गम्भीर आरोप लगाये जायेंगे और पुलिस द्वारा अनुसन्धान अपेक्षित होगा । ऐसे सरकारी कर्मचारी भी होंगे, जिन्हें सम्भवत: कोई डर हो, और जो मामले को न्यायालय में न ले जाना चाहें और लगाये गये मानहानि करने वाले आरोपों से मुक्त न होना चाहते हों । पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकती क्योंकि अपराध हस्तक्षेप्य नहीं है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १८२ के अन्तर्गत कोई न्यायालय तब तक किसी मानहानि के अपराध को हस्तक्षेप्य करार नहीं दे सकता जब तक वह व्यक्ति शिकायत न करे जिसे उस अपराध से हानि पहुंची है । इसलिये एक प्रक्रिया तैयार करनी पड़ेगी जो इन दोनों बातों अर्थात् पुलिस की अनर्थक कार्यवाही और इस के परिणाम स्वरूप अपराधियों को भयभीत करने और पुलिस द्वारा अनुसन्धान या कुछ मामलों में जहां आवश्यक हो कि सरकारी कर्मचारी का मानहानि करने वाले आरोपों से मुक्त होना आवश्यक हो दण्डाधीश द्वारा जांच, संतुलित हो सके ।"

फिर श्रीमान्,

> "प्रथम परिणाम सरकारी कर्मचारी पर उस के सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के बारे में आरोप लगाने को हस्तक्षेप्य अपराध न बनाने से प्राप्त होता है । द्वितीय परिणाम प्राप्त करने के लिये विधि का संशोधन करना आवश्यक है ।"

उन्हों ने पृष्ठ ४५४ पर इन शब्दों में संशोधन का प्रस्ताव किया है :

> "सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन में सरकारी कर्मचारियों की मानहानि के बारे में हमारे सहकारी कोई परिवर्तन नहीं चाहते ।"

कुछ सदस्य :—

> "हम केवल इस परिवर्तन का प्रस्ताव करते हैं कि बिना इसे हस्तक्षेप्य अपराध बनाये, उस पदाधिकारी द्वारा शिकायत करने पर जिस के अधीन वह सरकारी कर्मचारी काम करता है वैध कार्यवाही किया जाना सम्भव हो, यह व्यवस्था भी करनी चाहिये कि शिकायत के अनुसरण में आदेशिका जारी करने से पूर्व यह निश्चय करने के लिये कि आरोप

में कोई सचाई है दण्डाधीश अथवा पुलिस द्वारा अनुसन्धान किया जाये।"

संयुक्त प्रवर समिति ने इन बातों का ध्यान रखा और, इस विषय में प्रैस के अधिकारों की रक्षा करने के लिये वह एक पग और भी आगे बढ़ गई। जैसे कि आप को पहले ही विदित है, प्रैस के प्रतिनिधि हमारे सामने थे और उन्हों ने कहा कि यदि ऐसे सब मामलों का निर्णय सत्र-न्यायाधीश करे तो हमारा विश्वास फिर जम जायगा।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : आज प्रैस में इस का प्रतिवाद किया गया है।

श्री दातार : साक्ष्य देते समय उन्होंने प्रस्ताव किया कि यदि मामले का निर्णय सत्र-न्यायाधीश करे तो वे सन्तुष्ट होंगे।

श्री एस० एस० मोरे : यह गलत है।

श्री दातार : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी सारी बात सुनें। उन्हों ने कहा कि उन की मूल आपत्ति रहेगी परन्तु फिर भी यदि मामले का निर्णय सत्र-न्यायाधीश करे तो उन के हितों की कुछ रक्षा हो जायेगी। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र इस से सहमत होंगे।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : यह गलत है।

श्री दातार : उन्हों ने प्रस्ताव किया कि या तो पुलिस जांच करे जिस पर बहुत आपत्ति की गई, या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा २०२ के अन्तर्गत दण्डाधीश द्वारा जांच की जाये। संयुक्त प्रवर समिति ने दोनों तरीकों को प्रैस के हित में बहुत अच्छा समझा। उन्हों ने सुझाव दिया कि सम्बन्धित पक्षों को भयभीत होने से बचाने का ठीक तरीका यह होगा कि सार्वजनिक अभियोक्ता, ज़िला न्यायालय, और प्रैज़ीडैंसी टाऊन में उस के समान अधिकारी शिकायत दर्ज कर दे। केवल सत्र-न्यायाधीश को ही इन मामलों का निर्णय करना चाहिये। आप सहमत होंगे कि अपराध हस्तक्षेप्य नहीं है। इसलिये यदि इन परिस्थितियों की ओर ध्यान दिया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। किसी सरकारी कर्मचारी या मंत्री के निजी चालचलन से इस का कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु सार्वजनिक जीवन में वे जो कुछ करते हैं उस का प्रशासन से गहरा सम्बन्ध है। प्रैस आयोग के कथनानुसार इस बात की बड़ी सम्भावना है कि कुछ ऐसे पापात्मा सरकारी कर्मचारी हों और जब उन की कुछ बातें प्रत्यक्ष हो जायें वे शिकायत न करना चाहें क्योंकि उन का गहन प्रतिपरीक्षण किया जायेगा। सरकार चाहती है कि उस के पदाधिकारियों पर कोई उंगली न उठा सके और यदि कोई उन पर आरोप लगाये तो या तो उन का प्रमाण मिल जाय या आरोप लगाने वाले को दण्ड मिले, प्रशासन को शुद्ध रखने के लिये ही सरकार ने यह तरीका अपनाया है। सभासद इस बात को समझने की कृपा करें कि सरकारी कर्मचारी अथवा मंत्रियों का कोई बचाव नहीं किया गया है। उन के निजी अथवा सार्वजनिक कार्य में जब कभी उन की मानहानि की जाये, वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उन्हें शिकायत करने का अधिकार है परन्तु जब उन के सार्वजनिक कार्य के बारे में आरोप लगाया जाये तब स्वाभाविक ही है कि सरकार भी उस में सम्मिलित है जो या तो उस की पूर्ण रूप से निन्दा कर के उसे निकाल देगी या उस व्यक्ति को दण्ड दिलवायेगी जिस ने झूठा आरोप लगाया है। ऐसे लेखकों के सम्बन्ध में इसी तरीके से कार्य करने पर लोगों में विश्वास का संचार होगा।

इस प्रश्न पर कई दृष्टिकोणों से पूर्ण विचार किया गया है और प्रैस आयोग जैसा स्वतन्त्र निकाय इस परिणाम पर पहुंचा है कि इस सार्वजनिक दृष्टिकोण से

[श्री दातार]

सार्वजनिक प्रशासन के हित में सरकार को अधिकार होना चाहिये । इसी प्रयोजनार्थ हम ने एक सूत्र तैयार किया है जिस के अनुसार उन के हितों का बचाव किया जायेगा, जनता के हित सुरक्षित होंगे और जनता के हित में ही प्रशासन का हित है ।

मैं दो मिन्टों में अपना भाषण समाप्त करूंगा । अवैतनिक दण्डाधीशों के बारे में दोनों पक्षों की ओर रायें दी जा रहीहैं । परन्तु फिर भी दो प्रकार से उन का बचाव किया गया है । इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, विशेषकर ब्रिटिश शासन में, अवैतनिक दण्डाधीशों को बिना उन की अर्हताओं का ध्यान करते हुए नियुक्त कर दिया गया था । विधेयक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उन्हें अवश्य ही न्यायिक अनुभव होना चाहिये ।

श्री पाटस्कर : क्या बम्बई राज्य में यह प्रयोग नहीं किया गया और फिर छोड़ दिया गया ?

श्री दातार : बम्बई के बारे में माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं । सम्भवतः वे उन दूसरे राज्यों के बारे में नहीं जानते जहां यह प्रयोग सफल रहा ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : मध्य प्रदेश में यह सफल रहा है ।

श्री दातार : मुझे इस से बहुत खुशी है । दंडन्याय के प्रशासन में दो चीज़ें ऐसी हैं जिन से जनता का इस के साथ सीधा सम्पर्क हो सकेगा । एक तो होगी ज्यूरर पद्धति और दूसरे ख्यातिप्राप्त और योग्य व्यक्तियों को न्याय व्यवस्था सम्बन्धी काम का सौंपा जाना । इस विषय में संयुक्त प्रवर समिति ने एक और परित्राण का उपबन्ध किया है । उन का यह सुझाव है कि अवैतनिक दंडाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाये.....

श्री एस० एस० मोरे : इस उपबन्ध का उद्देश्य केवल यह है कि उन की अर्हताओं का निर्धारण —न कि नियुक्ति—राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से किया जाये ।

श्री दातार : धारा ३० के दंडाधीशों के बारे में यह उपबन्धित है कि वे दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रथम श्रेणी के दंडाधिपति होने चाहियें । इन्हें उतना ही कुशल समझना चाहिए जितना कि नये नियुक्त हुए सहायक न्यायाधीश । और सभी प्रथम श्रेणी के दंडाधीश तो सहायक न्यायाधीश बनाये भी नहीं जा सकते, अतः श्री चटर्जी की बात कुछ यथार्थ नहीं थी । दस वर्ष के अनुभव की बात हमें सर्वोत्तम व्यक्ति दिलवाने के लिये काफी होगी । धारा ३० के दंडाधीशों की संस्था अवध, पंजाब इत्यादि में बहुत ठीक प्रकार से चल रही है । इस से अधिक काम निकल सकेगा और जल्दी भी ।

सभा का कार्य

सभापति महोदय : कल १२ बजे मध्याह्न से ४ बजे तक आंध्र सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा होगी और ४ बजे प्राइवेट सदस्यों का कार्य आरम्भ होगा । इस पर सभा के सभी पक्ष सहमत हैं ।

इस के पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार १९ नवम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—485 LSD—10-5-55—240